लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 5, शुक्रवार, 21 फरवरी, 1969/2 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 5, Friday, February 21, 1969/Phalguna 2, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
91. संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की बैठक	Meeting of National Council of Joint Consultative Machinery	..	1—6
92. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Activities of R. S. S.	..	6—13
93. पृथक उत्तराखण्ड राज्य	Separate Uttarakhand State	..	13—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
94. लक्कादीव का विकास	Development of Laccadives	..	15—16
95. ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा जीते गये पदक	Medals won by India in Olympic Games	..	16
96. केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध	Centre-State Relations	..	16—17
97. प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	..	17—18
98. विद्यार्थियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा	Religious and Moral Education for Students	..	18
99. कालीकट का हवाई अड्डा	Air port at Calicut	..	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
100. श्री जी० डी० बिड़ला द्वारा भारत में प्रशिक्षण के लिये इथोपिया के विद्यार्थियों को आमंत्रण	Invitation by Shri G. D. Birla to Ethiopian Students for Training in India ..	19
101. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली	Central Secretariat Library, New Delhi ..	19
102. सांविधिक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की रूपरेखा	Outlines of Statutory Joint Consultative Machinery ..	20
103. दिल्ली/नई दिल्ली में यातायात व्यवस्था	Traffic Arrangements in Delhi/New Delhi ..	20—21
104. आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी	Naxalities in Andhra Pradesh ..	21
105. स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त सरकारी कर्मचारी	Post-Graduate Qualified Government Employees ..	21—22
106. छोटी सदड़ी, राजस्थान स्वर्ण कांड	Chhoti Sadri Rajasthan Gold Scandal Case ..	22
107. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद पर सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on C. S. I. R. ..	22—23
108. दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग का प्रतिवेदन	Khosla Commission Report on Delhi Police ..	23
109. कोचीन पत्तन न्यास	Cochin Port Trust	24
110. राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों, नियमों तथा निदेशों को अस्वीकार करना	Rejection of Central Government's Acts, Rules and Directions by State Governments ..	24—25
111. 1967 के आम चुनाव में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on use of Foreign money in 1967 General Elections ..	25
112. राज्य सड़क परिवहन निगम	State Road Transport Corporations	25—26
113. इन्दौर में दंगे	Indore Riots ..	27
114. नवानगर के जामसाहब द्वारा विशेषाधिकारों का त्याग	Surrender of privileges by Jam Saheb of Nawanagar ..	27—28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
115. पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी	Wage Board for Port and Dock Workers ..	28
116. भारत में छात्र असंतोष	Student's Unrest in India ..	28—29
117. दिल्ली में हुआ साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कन्वेन्शन (दिसम्बर, 1968)	Delhi Convention against Communalism (December, 1968) ..	29
118. एलोरा और अजन्ता की गुफाओं के मन्दिर	Ellora and Ajanta Cave Temples ..	29—30
119. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में पी. एच. डी. के छात्र की पिटाई	Beating of a PHd. Student in IARI, New Delhi ..	30—31
120. चुंगी का समाप्त किया जाना	Abolition of Octroi ..	31
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
560. उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दिये गये कार्य	Assignment given to retired Supreme Court Judges ..	31—32
561. समाचारपत्रों पर मुकदमे चलाना	Prosecution of Newspapers ..	32
562. भारतीय पर्यटन विकास निगम	Indian Tourism Development Corporation ..	33—34
563. छुट्टियों में दिल्ली परिवहन की बसों का चलाना	Plying of DTU Buses on Holidays	34
564. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया के लिये वायु सेना के कर्मचारी	Air Force Men taken in IAC and Air India ..	34—35
565. कलकत्ता में डकैती	Robbery in Calcutta ..	35—36
566. पूर्वोत्तर परिषद्	North Eastern Council ..	36
567. सी० एस० आर० 561 तथा 983 का संशोधन	Amendments to CSR 561 and 983 ..	36
568. उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अध्यापकों की शिकायतें	Grievances of UP Teachers ..	37
569. लक्कादीव के लिये योजना एकक	Planning Unit for Laccadives ..	37

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
570. शीघ्र न्याय दिलाना	Speedy Administration of Justice	..	38
571. वयस्क शिक्षा पर खर्च	Expenditure on Adult Education	..	38
572. अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Upper Division Clerks	..	38
573. पदोन्नतियों/स्थायीकरण के मामले में असंतुलन	Imbalance in Promotions/confirmations	..	39
574. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा समयोपरि कार्य और विज्ञापनों पर खर्च	Expenditure on Overtime and Advertisements of Indian Airlines Corporation	..	39—40
575. केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में पुस्तकें	Central Secretariat Library	..	40
576. मद्रास में विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Students in Madras	..	41
577. गजेन्द्रगडकर आयोग का प्रतिवेदन	Gajendragadkar Commission Report		41
578. चीनी दूतावास द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में सहायता करना	Chinese Embassy Assisting Subversion in India	..	42
579. पर्यटन से होने वाली विश्व की कुल आय में भारत का भाग	India's Share in Total World Turnover from Tourism	..	42—43
580. नेताओं की मूर्तियां	Installation of Leader's Statues in Delhi	..	43
581. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	Education Minister's Statement Regarding use of Languages in UPSC Examinations	..	44
582. हिन्दी कार्यान्वयन समितियों की स्थापना	Setting up of Hindi Implementation Committees	..	44
583. हिन्दी भाषी तथा अन्य राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Correspondence in Hindi with Hindi speaking and other states		44—45
584. संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन	UPSC Advertisements		45
585. नागा विद्रोहियों की गतिविधियां	Movements of Naga Hostiles	..	45—46

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

586. बम्बई में हिल्टन की तरह का होटल	Hilton Type Hotel at Bombay	..	46
587. भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करना	Abolition of Privy Purses and privileges of Former Rulers	..	47
588. इंजिनियरी का डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० पास करने पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ	A. M. I. E. Qualified Engineering Diploma Holders	..	47—48
589. राजकीय सड़क परिवहन निगम	State Road Transport Corporation	..	48
590. केरल के लिये ड्रेजर की खरीद	Purchase of Dredger for Kerala	..	48—49
591. जलयानों का निर्माण (मशीनीकृत)	Construction of Sailing Vessels (Mechanised)	..	49
592. आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध जांच	Inquiry against former I. G. of Police Andhra Pradesh	..	49—50
593. केरल में प्रकाशन स्तम्भ का विकास	Development of Lighthouses in Kerala	..	50
594. किलथान द्वीप (लक्षदीव द्वीप-समूह) में पुलिस थाने पर आक्रमण	Attack on Police Station, Kilthan Island (Laccadive Islands)	..	50—51
595. आसाम के चाय बागानों में विदेशियों की गतिविधियां	Activities of Foreigners in Assam Tea Gardens	..	51
596. दिल्ली में यातायात की दुर्घटनाएं	Traffic Accidents in Delhi	..	51—52
597. इम्फाल के पास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा स्थापित कालेज	College opened by Christian Missionaries near Imphal	..	52—53
598. दिल्ली के अध्यापकों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि	Advance increment to teachers of Delhi	..	53
599. निजी थैलियों के सम्बन्ध में शाहे ईरान का परामर्श	Shah of Iran's advice regarding Privy Purses	..	53—54
600. केरल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लिया जाना	Withdrawal of cases against Government employees by Kerala Government	..	54

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

601. मणिपुर, आसाम और नेफा के भागों को नागालैण्ड में मिलाया जाना	Integration of Parts of Manipur, Assam and NEFA with Nagaland	..	54—55
602. विश्वविद्यालयों को प्रति विद्यार्थी अनुदान	Grant per Students to Universities	..	55
603. एयर बस का खरीदा जाना	Purchase of Air Bus	..	55
604. प्राइमरी शिक्षा की एक समान प्रणाली	Uniform System of Primary Education	..	55
605. शिक्षकों को ऊंचे वेतनमान देने के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grant to U. P. for giving higher pay scale to teachers	..	56
606. मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन	Anti Hindi agitation in Madras	..	56
607. सरकारी कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति	Government Employees Allotted to Himachal Pradesh	..	56—57
608. हिन्दी आशुलिपिकों की नई भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on Fresh Recruitment of Hindi Stenographers	..	57
609. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पद	Posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..	57—58
610. शिक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff in Education Ministry	..	58—59
611. एलोरा तथा अजन्ता गुफायें	Ellora and Ajanta Caves		59
612. लन्दन के निकट विमान दुर्घटना	Air Crash Near London	..	60
613. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई कार्य	Excavation work by Archaeological Survey of India	..	61
614. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against certain officers of Archaeological Survey of India	..	61
615. गैर-राज्यकीय निवासियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Non-State Residents	..	61—62
616. तटवर्ती नौवहन उद्योग	Coastal Shipping Industry	..	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
617.	अन्दमान यातायात	Andaman Traffic ..	62
618.	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Maharashtra ..	62—63
619.	धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये कानून	Law on Conversions ..	63
620.	महाराष्ट्र में नये जिले	New Districts in Maharashtra ..	63
621.	जिला गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतनमान	Pay scales of Teachers in District Garhwal (U. P.) ..	63—64
622.	पौड़ी गढ़वाल के अध्यापकों की पदावनति	Reversion of teachers of Pauri-Garhwal ..	64
623.	पौड़ी-देवप्रयाग सड़क	Pauri-Devprayag Road ..	64
624.	सतपुलि बानघाट पुल (उत्तर प्रदेश) का निर्माण	Construction of Satpuli-Banghat Bridge (U. P.) ..	65
625.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against employees who participated in the strike on the 19th September, 1968	65—67
626.	दिल्ली में मद्य निषेध दिवस सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Dry Day restrictions in Delhi ..	67
627.	सड़क आयोजना सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee on Road Planning ..	67—68
628.	नक्सलवादियों में परिचालित गुप्त दस्तावेज	Secret documents circulated amongst Naxalites ..	68—69
629.	मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन	India's performance at Mexico Olympics ..	69
630.	कोवालम (केरल) में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र	International Tourist Centre at Koyalam (Kerala) ..	69—70
631.	रात में नौवहन की सुविधायें	Night Navigational Facilities ..	70
632.	सेंट्रल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Central Schools ..	70—71
633.	मंत्रालय के प्रतिवेदनों तथा संसद् में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हिन्दी उत्तरों की भाषा	Language of Ministers' reports and Hindi replies to Parliamentary Questions ..	71

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

634.	हिन्दी में सरकारी प्रकाशन	Government publications in Hindi ..	72
635.	विशाखापत्तनम में बड़ी क्रेनों की कमी	Lack of big crane at Visakhapatnam ..	72—73
636.	पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Punjab Government Employees ..	73
637.	नर बलि	Human Sacrifice ..	74
638.	केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों के लिये हिन्दी का ज्ञान	Knowledge of Hindi for Officers in the Central Secretariat ..	74
639.	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय	Hindi University in South ..	75
640.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर	Indian institute of Technology, Kanpur ..	75
641.	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के श्रेणी I के अधिकारी	Class I Officers in Ministry of Transport and Shipping ..	76
642.	अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ..	76
643.	इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन को अपने हाथ में लेना	Acquisition of India Office Library, London ..	77
644.	एयर इंडिया द्वारा होटल उद्योग में शामिल होना	Air India to enter Hotel Industry ..	77—78
645.	तंजौर दुर्घटना में हरिजनों का जलाया जाना	Burning of Harijans in Tanjore incident ..	78—79
646.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को पुनः मान्यता देना, और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामलों का वापिस लिया जाना	Restoration of Recognition of Central Government Employees Union and withdrawal of police cases against Government Employees ..	79—80
647.	चौथी योजना में शिक्षा के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for education during Fourth Plan	80—81
648.	आन्ध्र प्रदेश में गिरिजनों की गतिविधियां	Activities of Girijans in Andhra Pradesh ..	81—82
649.	ग्वालियर से विमान सेवा	Gwalior on Air Route ..	82
650.	गांवों में सड़कों का विकास	Development of Rural Roads ..	82—83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
651. कलकत्ता पत्तन का विकास	Development of Calcutta Port ..	83
652. भूकम्प की भविष्यवाणी	Prediction of Earthquake ..	84
653. पारादीप बन्दरगाह तक सीधा (एक्सप्रैस) मार्ग	Expressway to Pradeep port	84
654. हड़तालों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on strikes ..	85
655. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	Aligarh Muslim University ..	85
656. हिन्दी में विधेयकों का प्रस्तुत करना	Introduction of Bills in Hindi ..	85—86
658. देश की आन्तरिक सेवाओं में इंडियन एयर लाइन्स के फालतू यात्रियों को एयर इंडिया द्वारा ले जाया जाना	Air India to carry surplus passengers of Indian Airlines Corporation on Internal Services ..	86
659. दिल्ली में कर	Taxes in Delhi ..	87
660. पुस्तकों के प्रकाशन के लिये समन्वय समिति का सचिव	Secretary to Co-ordination Committee for Publication of Books ..	87—88
661. माध्यमिक शिक्षक संघ से मांग पत्र	Charter of Demands from Madhya Pradesh Shikshak Sangh ..	88
662. मेरठ विश्वविद्यालय में छः माही परीक्षा प्रणाली	Semester System of Examination in Meerut University ..	88—89
663. उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in High Courts/Supreme Court ..	89—90
664. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अनुवाद कार्य	Translation work by Central Hindi Directorate ..	90
665. पंजाब में हिन्दी	Hindi in Punjab ..	90—91
666. चीनी साहित्य का प्रकाशन	Publication of Chinese Literature ..	91
667. नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Clash with Naga Hostiles ..	92
669. अध्यापकों के वेतनों के राष्ट्रीय मान के लिये आयोग	Commission for National Scale of pay for Teachers ..	92
671. राजस्थान में ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की खुदाई	Excavation of Material of Historic importance in Rajasthan ..	93
672. भारी मालवाहक जहाज	Bulk Carriers ..	93

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
675.	छोटे पत्तन का विकास	Development of Minor Ports ..	93—94
676.	कोचीन शिपयार्ड परियोजना	Cochin Shipyard Project ..	94—95
677.	दल बदल सम्बन्धी समिति	Committee on Defections ..	95—96
678.	छात्रों में असन्तोष सम्बन्धी समिति	Committee on Student's Unrest	96
679.	भोजन व्यवस्था तकनीक तथा संस्थान प्रबन्ध में प्रशिक्षण	Training in Catering Technology and Institutional Management	96—97
680.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Commission on B. H. U. Affairs ..	97—98
681.	राज्यों में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन	Salaries of Primary and Higher Secondary Teachers in States ..	98
682.	हरिजनों पर अत्याचार	Crimes against Harijans	98—99
683.	कोचीन बन्दरगाह विकास योजनाएं	Cochin port Development Schemes	99—100
684.	दिल्ली परिवहन की बसों में पुलिस वालों और उनके परिवारों को बिना टिकट बसों में यात्रा करने की अनुमति देना	Free lift to policemen and their families in DTU Buses ..	1C0—101
685.	दिल्ली में तिब्बतियों का नजरबन्द किया जाना	Detention of Tibetans in Delhi ..	101
686.	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रचार सम्बन्धी योजना	Scheme for publicity to promote Tourism ..	101—102
687.	वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in freight rates ..	102—103
688.	भारत में हाकी के खेल में सुधार	Improving of Hockey game in India ..	103
689.	बन्दरगाह समिति	Harbour Committee ..	103—104
690.	बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय के अस्थायी शिक्षकों का बर्खास्त किया जाना	Dismissal of temporary teachers by Banaras Hindu University ..	104
691.	दिल्ली - जयपुर - बम्बई की विमान सेवा	Delhi-Jaipur-Bombay Flights ..	104—105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

692. विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	..	105—106
693. स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन के अध्यापक	Science Teachers in Schools	..	106
694. गुजरात में लोथाल संग्रहालय	Lothal Museum in Gujarat	..	106—107
695. दिल्ली में कोटला फीरोजशाह स्मारक	Monument of Kotla Ferozshah, Delhi	..	107
696. नैनीताल के निकट तराई भावर में अपराध	Crimes in Tarai Bhaber Near Naini Tal	..	108
697. जूनियर हाई स्कूल, चिंदवाड़ा (उत्तर प्रदेश)	Junior High School, Chindwara (U. P.)	..	108
698. उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay scales of Teachers in U. P.	..	108
699. तेलिचेरी पुलपल्ली की घटनाओं की जांच	Enquiry into Tellicherry Pulpally incidents	..	109
701. मनीपुर में नागाओं की गतिविधियां	Naga Activities in Manipur	..	109
702. विदेशियों द्वारा होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान	Payment of Hotel Bills by Foreigners in Foreign Exchange	..	109—110
703. अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर शुल्क	Levy on International Passengers	..	110
704. सरदार लक्ष्मण सिंह गिल के विरुद्ध आरोपों की जांच	Probe into Allegation against Sardar Lachman Singh Gill	..	110—111
705. प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग	Progressive Muslim League	..	111—112
706. भाषाई सीमा विवादों को सुलझाने के लिये व्यवस्था	Machinery to Resolve Linguistic border Disputes	..	112—113
707. शिक्षा उप कर लगाना	Levy of Education Cess	..	113
708. होटल पुनरीक्षण समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Report of Hotel Reviewing Committee	..	113
709. विमान द्वारा यात्रा के रियायती दर वाले टिकट वालों के लिये आरोहण पत्रक (बोर्डिंग कार्ड)	Boarding Cards for Concessional Fare Tickets for Travel by Air	..	114

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

710.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध इंजीनियरिंग कालेज के पाकिस्तान जाने वाले स्नातक	Graduates of Engineering College Affiliated with Aligarh Muslim University leaving for Pakistan ..	114—115
711.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक की भविष्य निधि	Provident Fund of a Professor of Aligarh Muslim University ..	115
712.	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित लोवर डिवीजन क्लर्कों की नियुक्ति	Appointment of Lower Division Clerks trained in Hindi Stenograph ..	115—116
714.	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि का न दिया जाना	Non-payment of Arrears by N. D. M. C. and D. M. C. ..	116
715.	दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Administrative Reforms Commission Report on Delhi set up	116
716.	दिल्ली के लिये अधिक शक्तियां	More Powers for Delhi ..	117
717.	सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन	Ceylon Broadcasting Corporation ..	117
718.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु	Retirement Age of Government Employees ..	117
719.	केरल में मुस्लिम बहुल नये जिले	New Muslim Majority districts in Kerala ..	118
724.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त परीक्षार्थियों की पात्रता	Eligibility for S.S.L.C. holders for Public Service Commission Examinations ..	118—119
725.	झंझरपुर में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre at Jhanjharpur ..	119
726.	बिहार में नक्सलवादी कार्यवाहियां	Naxalite Activities in Bihar ..	119
727.	डाक तथा तार के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकारी दल	Working Group of Administrative Reforms Commission on P and T ..	120

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
728. लक्कादीव प्रशासन के अनुसूचित जातियों के लिये कोटा	Quota for Scheduled Tribes in Laccadives Administration ..	120
729. अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ..	121
730. काश्मीर पर त्रिराष्ट्रीय नियंत्रण	Three Nation Control on Kashmir	122
731. अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels, Ltd., New Delhi ..	122
732. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान की खरीद	Purchase of Aircraft for IAC ..	123
733. शिक्षा मंत्रालय के प्रशासन शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारी	Employees working in Administrative Section of Education Ministry ..	123
734. हिन्दी शिक्षण योजना	Hindi Teaching Scheme ..	124
735. श्री नम्बूदरीपाद का वक्तव्य	Shri Namboodaripad's Statement ..	124—125
736. विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा	Science Talent Search Examination ..	125
737. प्रादेशिक भाषाओं में संघ लोक सेवा परीक्षाएं	UPSC, Examinations in Regional Languages ..	125—126
741. हरिजनों को ईसाई बनाया जाना	Conversion of Harijan to Christianity ..	126—127
742. पारादीप पत्तन	Paradeep Port ..	127—128
743. पारादीप पत्तन में सामान्य माल गोदाम	General Cargo Berth at Paradeep Port ..	128
744. उड़ीसा में देहाती सड़कें	Rural Roads in Orissa ..	128
745. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Clashes	129
746. नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites ..	129—130
747. केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप	Central Intervention in Kerala ..	130—131
748. कलकत्ता पत्तन के यातायात में कमी	Decline in Calcutta Port Traffic ..	131—132
749. शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के बारे में पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Review Committee report on National Council of Educational Research and Training ..	132—133

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
750. साक्षर जनसंख्या	Literate Population ..	133
751. मध्य प्रदेश में रायपुर को विमान सेवा	Air Service to Raipur in M. P. ..	133
752. एक हरिजन नेता की हत्या	Murder of a Harijan Leader ..	133—134
753. भारतीय टैक्नालाजी संस्थान, कानपुर की उपभोक्ता सहकारी समिति	Consumers Co-operative Society of Indian Institute of Technology, Kanpur ..	134
754. गालिब शताब्दी वर्ष	Ghalib Centenary Year	135
755. पूर्व हड़प्पा युग की वस्तुओं का पाया जाना	Discoveries of Pre-Harappan Age ..	135—136
756. द्रव्य भौतिकी विज्ञान	Material Physics ..	136
757. मध्यम आय वाले पर्यटकों के लिये सस्ता आवास	Cheap Accommodation for Middle Income Tourists ..	136—137
758. मध्य प्रदेश में भारतीय तथा विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Indian and Foreign Christian Missions in Madhya Pradesh	137
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा भारतीय विधि संस्थान में वर्तमान राजनैतिक एवं संवैधानिक समस्याओं पर वार्ता का समाचार	Reported talk at the Indian Law Institute by a senior civil servant on current political cum-constitutional problem ..	137—138
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri Narendra Kumar Salve ..	137, 138
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	137, 138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	138—141
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
छियासठवां प्रतिवेदन	Sixty-sixth Report ..	141
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-third Report ..	141
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	Twenty-fifth Report	141
सभा का कार्य	Business of the House ..	142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	Motion of on the President's Address ..	142—154
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad ..	142—144
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ..	144—147
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	147—148
श्री एस० के० सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandan ..	148—151
श्रीमती सुधा रेड्डी	Shrimati Sudha V. Reddy ..	151—153
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma ..	153—154
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	154
तैंतालीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत	Forty-third report—adopted, as amended ..	154
विधेयक पुरःस्थापित	Bills introduced ..	154
(1) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन), विधेयक, 1968 (नई धारा 121 ख का रखा जाना) (श्री कंवरलाल गुप्त का)	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1968 (Insertion of new section 121 B) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	158
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन) (श्री कंवर लाल गुप्त का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Substitution of article 43) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	158
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन) (श्री कंवर लाल गुप्त का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of articles 75 and 164) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	159
(4) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 80 ग का संशोधन) (श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी का)	The(Income tax (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Section 80 C) by Shri S. S. Kothari	159
(5) सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक, 1969 (श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी का)	The Public Undertakings (Compulsory Approval of Agreements) Bill, 1969 by Shri S. S. Kothari ..	159—160
(6) स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1969 (धारा 16, 27 आदि का संशोधन) (श्री बे० कृ० दासचौधरी का)	The Gold (Control) Amendment Bill, 1969 (Amendment of Sections 16, 27 etc.) by Shri Benoy Krishna Daschowdhury ..	160

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन) (श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of articles 32 and 226) by Shri Tenneti Viswanatham ..	160
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री भोगेन्द्र झा का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of eighth Schedule) by Shri Bhogendra Jha ..	161
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 240 तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन) (श्री बे० कु० दासचौधरी का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of article 140 and First Schedule) by Shri Benoy Krishna Daschowdhury ..	161
(10) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 34 का प्रतिस्थापन) (श्री चं० चु० देसाई का)	The Food Corporations (Amendment) Bill, 1969 (Substitution of Section 34) by Shri C. C. Desai ..	161—162
(11) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना) विधेयक, 1969 (श्री मधु लिमये का)	The Central Universities (Students Participation) Bill, 1969 by Shri Madhu Limaye ..	162
(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 (नई धारा 12-क आदि का रखा जाना) (श्री मधु लिमये का)	The University Grants Commission (Amendment) Bill, 1969 (Insertion of new section 12A etc.) by Shri Madhu Limaye ..	162
(13) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 62 का संशोधन) (श्री महाराज सिंह भारती का)	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Section 62) by Shri Maharaj Singh Bharati ..	162—163
(14) धर्म ग्रहण विधेयक, 1969 (श्री महाराज सिंह भारती का)	The adoption of Religion Bill, 1969 by Shri Maharaj Singh Bharati	163
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन) (श्री चं० चु० देसाई का)	Constitution (Amendment) Bill of articles 80 and 171) by Shri C. C. Desai ..	163—174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	163
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai ..	163—165
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	165—166
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	166—167
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	167—168

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री प० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	168—169
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna ..	169—170
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	170
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	170
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	170—171
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad ..	171
श्री क० लकप्पा	Shri K. Lakkappa ..	171—172
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon .	172—174
माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न काल के दौरान कहे गये कुछ शब्दों को वापस लिया जाना	Withdrawal by Member of certain remarks made by him during Question Hour ..	165
विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना को वापस लेना	Withdrawal of notice of Privilege Motion ..	166

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1969/2 फाल्गुन, 1890 (शक)
Friday, February 21, 1969/Phalguna 2, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की बैठक

+

*91. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री अदिचन :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों के बारे में दिसम्बर, 1968 में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) निम्नलिखित दो पदों पर अन्यिम निर्णय लिए गये थे :

(i) 12 महीने के औसत स्तर, अखिल भारतीय औसत श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य-सूचक (सामान्य) (1949=100) का 175, पर 1-8-1966 को 999 रु० के मूल वेतन तक महंगाई भत्ते का वेतन में सब प्रयोजनों के लिये पूर्ण विलयन ।

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/संस्थाओं को संघों/संस्थाओं की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पदधारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करना, संघ के मुख्य व्यवस्थापक अथवा महामंत्री को प्रशासन के उपयुक्त विभागाध्यक्ष के मुख्यालय को स्थानान्तरण चाहने की सुविधा तथा संघों/संस्थाओं के निर्वाचित पदधारियों की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति जैसी सुविधाएं ।

(ग) वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलयन के सम्बन्ध में आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं । परिषद में किये गये निर्णय के आधार पर मान्यता प्राप्त संघों/संस्थाओं को सुविधाओं के सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे ।

श्री न० कु० सांघी : पिछले 20 वर्षों से मूल्यों में तेजी से इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इनके कम होने की कोई सम्भावना नहीं है । मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ते के निर्धारण के वर्तमान सूत्र का पुनरीक्षण करने के लिए प्रार्थना की है क्योंकि इसकी बहुत आलोचना की जा चुकी है, और क्या महंगाई भत्ते के वर्तमान सूत्र के स्थान पर कोई नया सूत्र लागू करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : इस पर राष्ट्रीय परिषद ने भी विचार किया था परन्तु इस पर निर्णय स्थगित कर दिया गया था ।

श्री न० कु० सांघी : 999/- रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को संयुक्त सलाहकार समिति के विषय क्षेत्र से बाहर रखा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कोई और समिति बनाने का है, जिससे 999/- रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जा सके । तृतीय श्रेणी के नागरिक समझे जाने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये, जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बराबर कभी भी वेतन, भत्ते, सुविधायें आदि नहीं मिलती हैं, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था करने का विचार है जिसके माध्यम से वे राज्य सरकारों से विचार-विनिमय कर सकें ताकि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाये जा सकें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जहां तक 999/—रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि इनके मामले पर विचार नहीं किया गया, परन्तु जब पूरे महंगाई भत्ते की मूल वेतन में मिलाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, तो केवल 999/- रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले पर विचार करके यह निर्णय लिया गया था । राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में केवल यही निर्णय किया गया था ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या मंत्री महोदय को कर्मचारियों से यह आश्वासन मिला है कि वे संयुक्त सलाहकार समिति में किये गये निर्णयों को मानेंगे और यदि नहीं, तो यह सलाहकार समिति बनाने से क्या लाभ है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब वे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेते हैं और उनकी सहमति से कोई निर्णय किया जाता है, तो यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि किये गये निर्णय को मानेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान जी, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व, अपने संघों अर्थात् डाक और तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के साथ हुए घोर अन्याय का मैं विरोध करता हूं, जिन्हें 27 दिसम्बर, 1968 को हुई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई जबकि संयुक्त सलाहकार समिति के संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके आधार पर किसी विशेष संगठन द्वारा मनोनीत अथवा निर्वाचित किये गये किसी सदस्य को बैठक में भाग लेने से वंचित किया जा सके । इस बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था । परन्तु दुर्भाग्यवश इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया । केवल हड़ताल में भाग लेने के कारण उनकी मान्यता रद्द कर दी गई । उनको संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में भाग नहीं लेने दिया गया। मैं इसके प्रति विरोध प्रकट करता हूं । यह कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिये की गई थी ।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय 170 बिन्दु तक किया गया है जब कि अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 215 तक पहुंच गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 22 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में से मकान किराया भत्ता पाने वाले कुछ कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्हें कुछ अधिक राशि मिलेगी, 40 प्रतिशत कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा जो कर्मचारी सरकारी क्वाटरों में रह रहे हैं, उनको अधिक नुकसान होगा । यदि हां, तो क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे यह प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की धारा 7 (1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुसार केवल उन्ही संगठनों अथवा संस्थाओं के प्रतिनिधि जिनको सरकार ने मान्यता दी है, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में बुलाये जा सकते हैं । इसलिए उन कर्मचारी संघों के सदस्यों को, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है,.....

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया धारा को पढ़ दीजिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं धारा को पढ़ रहा हूं । यह इस प्रकार है—

"कर्मचारी पक्ष के 260 तक सदस्य होंगे जिन्हें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा मनोनीत किया जायेगा....."

इससे यह अर्थ निकलता है कि उन मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों को, जिनकी मान्यता अवैध हड़ताल के बाद रद्द कर दी गई थी, नहीं बुलाए जाने थे। इसीलिए उनको परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था। जहां तक मूल वेतन में महंगाई भत्ते के मिलाये जाने के कारण वेतन बढ़ जाने से सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा कुछ भत्तों, बाल शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों के बारे में दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा है। हम इसका निर्णय इस प्रकार करना चाहते हैं कि महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के फलस्वरूप किसी भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को अनुचित हानि न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब कार्मिक संघ अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं तो वे मान्यताप्राप्त होते हैं। जब तक राष्ट्रीय परिषद् की बैठक नहीं होती और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करती, उनको वह नहीं निकाल सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष इसको प्रस्तुत करता हूं। परिषद् की इस बैठक में प्रतिनिधित्व का अभाव था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के पश्चात्, इसका निर्णय करने के लिये, कि मूल्यसूचक 175 हो या 185, क्योंकि यह उस समय 215 तक पहुंच गया था, उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से भेंट करना चाहते थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैठक में इस पर असन्तोष प्रकट किया गया था और क्या यह भी निर्णय किया गया था कि वित्त मंत्री से परामर्श के पश्चात् इस पर पुनः विचार होगा कि 185 तक बढ़ा दिया जाए, और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया। क्योंकि मूल्यों में हर तीसरे महीने, यहां तक कि हर महीने, वृद्धि हो रही है और इस स्थिति को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते और दूसरी चीजों को व्यवस्थित रखने के लिये औसत मूल्य सूचक का संकलन वार्षिक रूप से न करके त्रैमासिक रूप से करने का है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं किसी ऐसी कार्रवाई से अवगत नहीं हूं कि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के उपरान्त, उप प्रधान मंत्री से भेंट करने का प्रस्ताव किया गया था। जहां तक दूसरे प्रकरण का सम्बन्ध है, सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न से इसका बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। यदि वह अलग से सूचना देंगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह नहीं समझते कि यदि सभी श्रेणियों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस विचार-गोष्ठी में भाग नहीं लिया तो इस संयुक्त सलाहकार समिति का वास्तविक ध्येय विफल हो जाएगा ? उनके उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि नियमाधीन जो कार्मिक संघ मान्यताप्राप्त नहीं हैं, उनके प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने से

वंचित कर दिया गया है। अब चूंकि वातावरण सामान्य हो गया है तथा वे इस विचार-विमर्श में भाग लेना चाहते हैं, अतः क्या सरकार उन्हें फिर से मान्यता देने की आवश्यकता पर विचार करेगी, जिससे कि वे इसमें भाग ले सकें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कार्मिक संघों को मान्य अथवा अमान्य करने का प्रश्न है। सरकारी कर्मचारियों के जिन कार्मिक संघों ने अपना उत्तरदायित्व निभाया है, उनको अमान्य नहीं किया गया; अमान्य केवल उन्हीं संघों को किया गया है जिन्होंने संसद् द्वारा पारित किये गये कानूनों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय समिति में हम कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से ही बातचीत करना चाहते हैं। हम केवल उन्हीं संघों से बातचीत कर सकते हैं जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त है, न कि उन संघों से जिन्हें यह मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप चाहते हैं कि हम भी छुपे नागाओं की तरह व्यवहार करें ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार उन संघों को फिर से मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि उनके प्रतिनिधि विचार-विमर्श में भाग ले सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री के० रमानी : माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ही माना है कि कुछ संघों की मान्यता रद्द कर दी गयी है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने वास्तव में किससे सलाह ली, बैठक में कौन-कौन से संघों के प्रतिनिधि थे, वहां कितने प्रतिनिधि मौजूद थे तथा रेलवे के कितने प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हुआ था ? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जब कर्मचारियों के अधिकतर संघों के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं ले सके तो इसे वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे इस बात का पता नहीं है कि रेलवे के कितने प्रतिशत कर्मचारियों का मान्यताप्राप्त संघों ने प्रतिनिधित्व किया था तथा ऐसे कर्मचारियों की कितनी प्रतिशतता है, जिनका प्रतिनिधित्व अमान्य संघों ने किया। यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना चाहते हैं तो हम उसकी गणना करके उन्हें दे देंगे।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, Sir, may I know from the Hon. Minister the purpose of setting up this Machinery ? The aim of setting up this machinary was to seek full co-operation of Government servants. And we can work-well only when we are on good terms with them. If it is a fact, how far the purpose of this machinery can be said to have been achieved since the representatives of the workers did not attend the meeting ? Will Hon. Minister let me know whether those, who had participated in the meeting were the only representatives of the workers ; and if so, whether the point of need-based-minimum wage was discussed in that meeting and whether it was decided therein that this thing did not suit our counrty ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the representatives are concerned, they came in the capacity of representatives of the Government employees and we also recognised them

accordingly. Our intention is to deal with all but there are certain unions, members of which are not inclined to co-operate with us. In these circumstances it is difficult to talk with them.....

Shri S. M. Joshi : You refused to talk with them.

Shri Vidya Charan Shukla : We did not refuse. We talk with the unions which feel their responsibility, there is no sense in dealing with those unions which are de-recognised.

Shri S. M. Joshi : You have not said any thing regarding need based minimum wages.

Shri Vidya Charan Shukla : It is yet to be considered.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के बारे में प्रतिवेदन

+

*92. **श्री उमानाथ :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने गृह-कार्य मंत्री तथा गृह सचिव के साथ हाल में हुई अपनी एक बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ते हुए आक्रामक रवैये पर चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

गृह कार्य-मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण : (क) से (ग). संगठनों की गतिविधियों पर, जो राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बनाती हैं और विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद लाती हैं, प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श होता है। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री तथा गृह सचिव के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के कुछ पहलुओं तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धों पर उनके संघात पर भी चर्चा की थी। ऐसी गतविधियां निस्सन्देह चिन्ता उत्पन्न करती हैं।

यद्यपि प्रधान मंत्री ने किसी विशेष प्रतिवेदन के लिए नहीं कहा था, फिर भी उन्हें संगठनों की उन गतिविधियों से सूचित रखा जाता है जो विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद बढ़ाती है।

श्री उमा नाथ : आर० एस० एस० के नेता, श्री गोलवलकर यह कहकर कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी दलाल हैं, उनके प्रति बहुत दिनों से घृणापूर्ण और विशाक्त अभियान चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में आयोजित बुद्धिजीवियों की सभा में यह विचार व्यक्त किया कि भारत से मुसलमान चले जायें। इस प्रकार का घृणा का अभियान समस्त देश में फैलाया जा रहा है। देश भर में रा० स्व० सं० की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों के मस्तिष्कों में नित्य प्रातः सांय विष भरा जा रहा है। मैं यह भी समझता हूं कि रा० स्व० सं० द्वारा

आयोजित किये जाने वाले शिविरों में स्वयंसेवकों को कृपाण, तलवार तथा भाले जैसे अन्य हथियारों को चलाने की शिक्षा दी जाती है। देश के विभिन्न स्थानों में हुई हत्याओं के पीछे यह शिक्षा तथा घृणा काम कर रही है। मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि ऐसी घातक कार्य-वाहियों को रोकने के लिए वह कौन से उपाय करना चाहती है जिससे भारतीय मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने के अभियान को रोका जा सके तथा शिविरों से हथियारों की शिक्षा समाप्त हो जाय। क्या सरकार उस अवसर की प्रतीक्षा में है जब कुछ और मुसलमानों का बध हो जाय या वह कोई उपाय तभी करेगी जब शिव-सेना या अन्य ऐसी ही शक्तियां सामने आने लगेंगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के हितों की रक्षा का भार केवल माननीय सदस्य ने ही कैसे उठाया है। हम भी इन मामलों में बहुत सतर्क हैं तथा मुसलमान तथा अल्प-संख्यकों के हितों की रक्षा को महत्वपूर्ण काम समझते हैं।

देश के अल्पसंख्यकों की समस्या के प्रति रा० स्व० सं० का दृष्टिकोण बहुत ही दोषपूर्ण है। वे हिन्दू राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिससे विभिन्न सम्प्रदायों में एकता का भाव पैदा नहीं हो सकता। अतः हम इस दृष्टिकोण की नितांत अवहेलना करते हैं।

माननीय सदस्य ने कुछ वक्तव्यों और भाषणों का उल्लेख किया है। मैंने गुरूजी गोलवलकर के कुछ भाषणों की जांच करवायी है। लेकिन उन पर मुझे यही राय मिली है कि गुरूजी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में उत्तम यही है कि देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का व्यापक प्रचार किया जाय तथा देश के हिन्दू मुसलमान तथा अन्य सम्प्रदायों के लोगों में एकता लायी जाय। इससे रा० स्व० सं० की बेकार की बातें ठोस विचारों के आगे फीकी पड़ जाएंगी।

श्री उमानाथ : क्या सरकार को इस बात के बारे में जानकारी है कि उनके प्रशिक्षण शिविरों में हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार की गतिविधियां चाहे किसी की भी क्यों न हों, उनका विरोध किया जायेगा।

श्री उमानाथ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में स्वयंसेवकों को कटार, तलवार आदि हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि जानकारी है, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है।

श्री उमानाथ : रांची स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में हुए दंगों के समय विशेषरूप से यह बात उठाई गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उस क्षेत्र के मुसलमान कर्म-

चारियों के घरों के सामने खुले मैदान में परेड कर रहे थे। मैंने यह मामला इस सभा में उठाया था और सरकार ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया था। क्या उस क्षेत्र में मुसलमान कर्मचारियों को डराने के लिये उनके घरों के सामने इस प्रकार की परेडें बन्द कराने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है और क्या अब ये परेडें बन्द हो गई हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे इसके लिए पृथक नोटिस चाहिए।

Shri Shrichand Goel : I could not understand how the Hon. Member has just now said such things about R. S. S. I had been actively associated with this organisation for 12 years and on the basis of my experience there I can firmly say that no such training is given there. Training of Physical exercise is given there for development of Physique, body and mind.

Mr. Speaker, this issue has been brought before high courts several times because according to Government policy those persons who participate in R. S. S. should not be taken in Government service. Shri Agnihotri was not taken in Government service though he qualified the examination for it. He brought the matter before the Mysore High Court and the High Court gave the following decision.

"All the above material shows that **prima facie** the RSS is a non-political cultural organisation without any hatred or ill-will towards the non-Hindus and that many eminent and respected persons in the country have not hesitated to preside over its functions or appreciate the work of its volunteers. In a country like ours which has accepted the democratic way of life as ensured by the Constitution, it would not be within reason to accept the proposition that mere membership of such peaceful or non-violent association and participation in its activities will render a person, in whose charater and antecedents there are no other defects, unsuitable to the appointment of the post of a munsif."

Besides this decision, two more High Courts have also given their verdict that this is a cultural organisation and no Government employee can be debarred from participating in it. In this connection I would like to add that the Raghubar Dayal Commission appointed to go into these matters arrived at a conculusion that R. S. S. had no connection with these riots. Are Government aware of this fact ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अनावश्यक ही उच्च न्यायालयों के निर्णयों से उद्धरण दिये हैं। सरकार ने भी इन निर्णयों का अध्ययन किया है और अध्ययन के बाद ही उसने यह निर्णय किया है कि इन आदेशों में परिवर्तन करना उचित नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियों में भाग लेना राजनीतिक गतिविधि न समझी जाये और इसलिए हमने सरकारी कर्मचारियों को उसमें भाग न लेने की सलाह दी है।

निर्णय कुछ तथ्यों पर आधारित रहते हैं और उसी दृष्टि से उन पर विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत न हों किन्तु मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाता है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को इसकी गतिविधियों में भाग लेने से रोका गया है। दयाल आयोग की सिफारिशों के बारे में मुझे समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय, श्री कंवरलाल गुप्त, श्री सूरज भान आदि जन-संघ के छः सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी है। मैं इनमें से एक-दो सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं क्योंकि सबको अनुसति दे सकना कठिन है।

Shri Chandra Jeet Yadav : Keeping in view that we can deal with those elements who ereate hatred among different sections of the society by educating the people, by secularism and by other national values, will the Hon. Minister have discussions with Union Education Minister in the meeting of the Education Ministers of the States in this regard to eusure that the educational institutions are not used as plateform of R. S. S. and such other institutions for their propaganda purposes ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इस पहलू पर सर्वप्रथम विचार किया था। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि शिक्षा को ऐसा बनाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have the Government taken this fact into account that this organisation was formed on the basis of the history, culture and traditions of the country but some political parties want to create lawlessness in the country with the help of foreign power and this organisation does not allow them to do so and that is why some Hon. Members belonging to such parties have fears from this organisation ? I may also bring it to the notice of the Government that this is the organisation responsible for giving great personalities to the country and this is the organisation the member of which are prepared to sacrify themselves for the sake of the country at the time of national crisis.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

Shri D. N. Tiwari : Are the Government aware of the fact that organisations like R.S.S are giving training in the use of arms openly or secretely which may create armed revolution in the country any time ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, हमारे पास ऐसी शिकायतें हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : I am not discussing it. The R.S.S. was formed in 1925 and it has been serving for the last 44 years. In 1948 Government imposed restriction on it and thousands of its volunteers were put in jails. The Government got opportnnity to take every possible step against this organisation at that time. This organisation has been working for the nation. May I know whether this organisation is condemned because it organises the Hindus ? The Government also makes laws for the Hindus. Our constitution gives us the right that a person belonging to any relegion has a right to work for his and society's betterment. How many riots took place in Nagpur upto 1967 since inception of R. S. S. there in 1925 ? This organisation works in Delhi and what has happened in Delhi ? Shrimati Indira Gandhi and Shrimati Subhadra Joshi have alleged that this organisation had a hand in the disturbances which took place in Nagpur but the Chief Minister of Maharatra made it clear in the meeting of the National Integration Council that this organisation had no hand in any disturbances. Is it proper to level such charges ? We should have right to work and to organise ourselves according to the law of the land and the democratic set up of the country.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने कुछ कानूनों का उल्लेख किया है। इनके बारे में गलत धारणाएं हैं। जहां तक निजी कानूनों का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बारे में कानून हैं। किन्तु सबसे मूलभूत बात संविधान की है। संविधान धर्म निरपेक्षता पर आधारित है और वह सब देशवासियों के लिए समान है।

श्री वासुदेवन नायर : मैं दोषारोपण करना कदापि नहीं चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान न केवल अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के विरुद्ध, अपितु चारों वर्णों तथा जाति प्रथा को न्यायसंगत बताने के बारे में हाल में गुरू गावलकर द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है। उन्होंने हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में उत्तेजक विवाद पैदा कर दिया है। क्या नागपुर में हरिजनों ने गुरू गावलकर के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। क्या सरकार उस दिन की प्रतीक्षा करेगी जब कि विभिन्न समुदाय एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार उठायेगा। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की बातें होती रहने देंगे। इन प्रश्नों के बारे में हिदायतें जारी करने के अतिरिक्त क्या सरकार और कोई ठोस कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह ठीक है। गुरू गावलकर ने हाल में चारों वर्णों के बारे में वक्तव्य दिया था जिससे बहुत से लोगों में असंतोष पैदा हो गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसा कहने का निर्णय किया। यह इस बात का द्योतक है कि वह जिन आदर्शों का पालन करते हैं, उनकी महानता इससे कम हो गई है। यह घातक बात है क्योंकि इससे न केवल हिन्दू और मुसलमान अपितु हिन्दुओं के विभिन्न वर्गों में भी फूट पड़ती है। मैं इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं समझता हूं। मेरे विचार से इस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश का जनमत इतना जागरूक है कि जनता स्वयं ही इन बातों पर ध्यान देगी।

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know whether it is a fact that the institutions like Ittihadul Musalmeen in Hyderabad and R. S. S. are giving training in operating fatal arms to their volunteers and they are raising the walls of hatred among different communities ; if so, the reasons why the Government do not ban such organisations ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में सरकार को कुछ जानकारी मिली है और कुछ मामलों में कहीं-कहीं राज्य सरकारों ने ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही भी की है।

Shri Ram Charan : Though the Minister says that the Government are curbing the activities of antinational organisations like R. S. S. yet I believe that he is encouraging such organisations. Government of India are giving a grant of Rs. 75,000 to the Hindustan Samachar Agency, New Delhi, a co-operative society, whose members are top workers of R. S. S. Secondly, since Shri Chavan held the charge of Home Ministry the personal files of top R.S.S. leaders of Maharashtra are being destroyed, which were lying with the Police. Will he please tell some thing about it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : शायद माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ पता नहीं है। यदि किसी न्यूज ऐजेन्सी के कुछ सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विश्वास कर सकते हैं जो वहां पर नौकर

हैं तो इस सम्बन्ध में मैं क्या कर सकता हूं ? यदि कुछ सदस्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विश्वास करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या सरकार का ध्यान इस सभा के सदस्य, श्री बलराज मधोक के द्वारा चुनाव आन्दोलन में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मुसलमानों को तब तक इस देश का नागरिक न माना जाये तब तक वेहिन्दू संस्कृति को नहीं अपनाते और अपने बच्चों के नाम हिन्दू वीरों के नामों के अनुसार नहीं रखते। अन्यथा उन्हें या तो पाकिस्तान भगा दिया जाये अथवा उन्हें गोली मार दी जाये। यह समाचार पत्रों में छपा था।

श्री बलराज मधोक : वह एकदम झूठ बोल रहा है। वह कल्पना की उड़ानें भर रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह इसे सिद्ध करे। जो व्यक्ति सभा में इस प्रकार से झूठ बोलता है, वह व्यक्ति देश के लिए *देश-द्रोही है, वह संविधान के लिए देश-द्रोही है। [**अन्तर्बाधाएं**] वे झूठे हैं, देश-द्रोही हैं। इस प्रकार की झूठी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। [**अन्तर्बाधाएं**]

श्री उमानाथ : सभा में प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री मधोक ने दूसरे सदस्य को देशद्रोही कहा है। यह शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उसे अपना शब्द वापस लेना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल कर लिया जाये। श्री द्विवेदी आपने क्या कहा था ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री मधोक ने वक्तव्य को झूठ बतलाया है। यह तो ठीक है परन्तु माननीय सदस्य को देशद्रोही कहना उचित नहीं है। यह शब्द वापस लिया जाये। [**अन्तर्बाधाएं**]

श्री बलराज मधोक उठे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। श्री रंगा ...।

श्री रंगा : मेरा यह सुझाव है कि आप इस पूरे प्रश्न और उस पर हुई चर्चा को ही कार्यवाही वृतांत से निकाल दें। [**अन्तर्बाधाएं**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। यदि किसी सदस्य ने दूसरे सदस्य को देशद्रोही कहा है, तो उसे अपना यह शब्द वापस ले लेना चाहिए।

श्री बलराज मधोक : पहले वह अपना वक्तव्य वापस लें। मैंने यह कहा है कि 'वे, जो देशद्रोही हैं।' मैंने किसी सभा के सदस्य को देशद्रोही नहीं कहा। मैंने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। वे, जो देशद्रोही हैं, भेजे जाने चाहिए। मैंने कहा..... [**अन्तर्बाधाएं**]

*माननीय सदस्य द्वारा ये शब्द बाद में वापस लिए गये। देखिये पृष्ठ संख्या 165

Shri Madhu Limaye : This is not a good practice. Hon. Member should withdraw his words.

अध्यक्ष महोदय : सभा में भ्रांति पैदा हो गई है। यहां कोई भी देशद्रोही नहीं है। यदि कोई सदस्य को यहां देशद्रोही कहेगा तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

सभा के शोरगुल से मैं यह अनुमान लगा पाया हूं कि सदस्य चाहते हैं कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें। यदि श्री मधोक अपने शब्द वापस लेते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकलवा दिया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : उनका यह कहना गलत है कि मैंने लोगों को देशद्रोही कहा है। यह वक्तव्य बिल्कुल असत्य और काल्पनिक है। मैं अब भी यह कहता हूं कि जो देशभक्त नहीं है, चाहे वे किसी दल से सम्बद्ध है, देशद्रोही है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। मैंने यह कहा था कि जो लोग इस प्रकार के गलत वक्तव्य देते हैं, तथ्यों को तोड़ते-मरोड़ते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वे झूठे हैं, देशद्रोही हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : श्री मधोक ने मुझे देशद्रोही कहा है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इसके विपरीत मैंने यह नहीं कहा था कि मधोक ने ऐसा कहा था। बल्कि मैंने कहा था कि प्रेस में ऐसा छपा था।

Shri Hukam Chand Kachwai : Records should be seen in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं सब सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मधोक ने स्पष्टरूप से यह कहा है कि उन्होंने सभा के किसी भी सदस्य को देशद्रोही नहीं कहा है। यदि उन्होंने ऐसा कहा भी है तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकलवाने का दायित्व मेरा है। इस विषय पर अब आगे चर्चा न की जाये।

श्री उमानाथ : यह एक गलत परम्परा पड़ रही है। इसको आधार बनाकर मैं भी किसी सदस्य को देहद्रोही कह सकता हूं और बाद में उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत ही अशोभनीय है। जैसे ही यह प्रश्न पूछा गया था तो मुझे आशंका थी कि इस पर चर्चा के दौरान गर्मागर्मी होगी। वही बात हुई। दुर्भाग्य से मैं किसी प्रश्न को पूछे जाने से मना नहीं कर सकता। यदि आप इस सम्बन्ध में चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैंतो आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं। इस विषय पर आगे चर्चा न की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : कोई सदस्य इस सभा के किसी अन्य सदस्य को झूठा भी नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : समझ में नहीं आता श्री बनर्जी क्यों इस प्रश्न को पुनः उठा रहे हैं। इस सभा को न्यायालय के रूप में नहीं बदला जा सकता। यह मामला अध्यक्ष महोदय के लिए छोड़ दिया जाये। मैं सभा के वाद-विवाद वृत्तांत को देखूंगा और आवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री वासुदेवन नायर : सभा का कोई भी सदस्य इतना झूठा नहीं है जितना कि श्री मधोक। हमने अपने कानों से सुना है कि श्री मधोक ने श्री सेट को देशद्रोही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे सम्पूर्ण कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य

\+

*93. **श्री रा० की० अमीन** : **कुमारी कमला कुमारी** :
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों की जनता की एक पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने की मांग के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उनकी इस मांग को उचित नहीं समझा गया तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों के विकास के लिए पृथकरूप से कुछ धन नियत करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) दिल्ली में दिसम्बर, 1968 में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है जिसमें अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की गई है।

(ख) और (ग). अलग राज्य के लिए यह मांग इस कथित आधार पर की गई है कि पहाड़ी क्षेत्रों का आर्थिक विकास संतोषप्रद नहीं रहा है। उत्तराखंड डिवीजन, जिसमें 8 पहाड़ी जिलों में से 3 सीमांत जिले आते हैं, की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए अलग विकास योजनाएं पहले ही तैयार की जा रही हैं। जब कि अन्य जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकार की सामान्य विकास योजनाओं से की जाती है। उन्होंने पहाड़ी जिलों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सलाह देने के लिए अलग पर्वतीय विकास बोर्ड बनाया है। सरकार का यह विचार है कि इन क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति अलग राज्य बनाने से नहीं बल्कि तेजी से विकास करके ही की जा सकती है।

श्री रा० की० अमीन : राज्य पुनर्गठन आयोग ने बहुत सी समस्यायों को हल किया है। क्या सरकार एक और आयोग के गठित करने पर विचार कर रही है जो राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के अतिरिक्त अन्य मामलों को भी ध्यान में रखे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं।

श्री रा० की० अमीन : उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है । उस समय इसे श्री गोविन्द बल्लभ पंत के व्यक्तित्व के कारण विभाजित नहीं किया गया । क्या सरकार अब अन्य राज्यों के अनुभव से उत्तर खण्ड के एक राज्य बनाने पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Our mountainous areas are on our border with China and other countries. These areas have always remained backward. Out of 52 backward districts in the country, 22 are in U. P. Will Government constitute a separate Development Council for the backward areas of U.P. and Bundelkhand to accelerate development ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस क्षेत्र का शीघ्र विकास करना एक महत्वपूर्ण काम है और हम इसके लिये प्रयास करेंगे । परन्तु इसे अलग उत्तर खण्ड राज्य के गठन से जोड़ने में अलग-अलग विचार हो सकते हैं ।

Shri Sheo Narain : Sir, I want to remind that the Late Shri G. B. Pant compared the division of U. P. to the bisection of a human body. I want to know whether you want to constitute a development council or not for their development ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम इस क्षेत्र के विकास के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : All separatist tendencies raise their heads because of backwardness of the areas. Will Government frame some policy for the Fourth Plan to pay special attention to the development of these backward areas ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में योजना आयोग क्षेत्रीय विकास पर अधिक ध्यान देगा ।

श्री विश्वनाथ राय : योजना आयोग तथा विकास परिषद् पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देंगे । क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े तथा सीमान्त क्षेत्रों के लिये कुछ विशेष कार्य करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इसका उत्तर दे दिया है । सरकार इस प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं समझती ।

श्री हेम बरुआ : उत्तर खण्ड की मांग सरकार के असम के पुनर्गठन के मामले पर आधारित है । सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करे परन्तु क्या वह एक बार घोषणा कर सकती है कि भारत के वर्तमान राज्यों का और विभाजन नहीं होगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : असम के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या को अन्य स्थानों के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या से मिलना ठीक नहीं है । असम के पहाड़ी क्षेत्रों का मामला संसद् के सामने है तथा मैं उनसे सहमत हूं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह मांग आसाम के पुनर्गठन के निर्णय पर आधारित नहीं ? सरकार को चाहिये कि लोगों का असंतोष दूर करे और आश्वासन दे कि राज्यों का और विभाजन नहीं होगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह समस्या उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से सम्बन्धित है । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ है । पटेल आयोग ने भी इस समस्या की जांच की है । क्या योजना आयोग अपनी योजना बनाते समय पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की समस्या पर विचार करेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: What specific step is the Government taking to remove backwardness and regional imbalances ? Is it not a fact that apart from the problem of backwardness, demand for a separate state is a political one ? Will Government give an assurance that it would not change its decision under such pressure ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्य का विभाजन नहीं होगा परन्तु क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का हम अवश्य प्रयत्न करेंगे ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिये विकास परिषद् गठित की जायेगी जैसे कि आंध्र प्रदेश में रायल सीमा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम उत्तर प्रदेश के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । एक विकास बोर्ड है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लक्कदीव का विकास

*94. **श्री प० मु० सईद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव के विकास के लिये विभिन्न योजना अवधियों में कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या प्रत्येक योजना अवधि में यह धनराशि वास्तव में खर्च की गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). लक्कादिव, मिनीकोय और अमिनिदिव द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र 1 नवम्बर, 1956 से, अर्थात् केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना-अवधि में अस्तित्व में आया था। विभिन्न योजना अवधियों में स्वीकृत तथा व्यय की गई रकमें और कमी के मुख्य कारण बताने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-68/69]**

Medals Won by India in Olympic Games

*95. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of gold, silver and bronze medals awarded during the last Olympic games and the number out of them won by India ; and

(b) the causes of India's crushing defeat in all the games ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) 172 gold, 167 silver and 178 bronze medals have been awarded at the last Olympic games. India won only one bronze medal in hockey.

(b) The All India Council of Sports is considering the performance of the Indian contingent at Mexico Olympics and its recommendations are awaited.

केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध

*96. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन तीन मुख्य मंत्रियों के अनुसार केन्द्र और इन राज्यों के बीच किन-किन बातों पर मतभेद है ;

(ग) क्या इन मुख्य मंत्रियों ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से भी औपचारिकरूप में लिखा-पढ़ी की है ;

(घ) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिये उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल के मुख्य मंत्रियों द्वारा दिये गये उन साक्षात्कारों की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें उन्होंने राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में अपने सामान्य मूल्यांकन किये थे। उन्होंने केन्द्र-

राज्य सम्बन्धों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये थे किन्तु केरल के मुख्य मंत्री को छोड़कर, जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद का हवाला दिया था, केन्द्र और राज्यों के बीच किसी विशिष्ट मतभेद का उल्लेख नहीं किया गया था ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार को केन्द्र-राज्य संबंधों की सामान्य समस्याओं के बारे में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी, केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की सामान्य समस्या पर प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को लिखा है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन एक अन्तर्राज्यीय परिषद् स्थापित करने का सुझाव दिया है ।

(ङ) सरकार समझती है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों में किसी प्रकार के मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद के प्रश्न समेत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के कुछ पहलुओं की प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल द्वारा परीक्षा की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग

*97. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग तथा उसके विभिन्न कार्यकारी दलों ने अब तक कितने प्रतिवेदन दिये हैं और यह आयोग इस समय किन-किन विषयों की जांच कर रहा है ;

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की उन सिफारिशों का ब्योरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) इन सिफारिशों का ब्योरा क्या है जिन पर अन्तिम स्वीकृति के लिये विचार किया जा रहा है ;

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या किये गये निर्णय का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सदन के सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 69/69**]

Religious and Moral Education for Students

*98. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that most of the educationists, educational conferences and the Educational Commissions appointed by Government have regarded the religious and moral education indispensable in order to create a sense of discipline and to build the character of the students ;

(b) if so, whether Government propose to allow an opportunity to educational institutions to introduce religious and moral education by amending the Constitution ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). All the recommendations under reference are known to the State Governments, who are primarily concerned. The Government of India has no proposal to amend the Constitution in this connection.

कालीकट का हवाई अड्डा

*99. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में एक पत्तन स्थापित करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने कालीकट में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिये प्राप्त की जाने वाली भूमि का ब्योरा तैयार कर लिया है। इसकी इस समय सरकार जांच कर रही है।

कालीकट की हवाई अड्डा प्रायोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित की गयी है।

श्री जी० डी० बिड़ला द्वारा भारत में प्रशिक्षण के लिये इथोपिया के विद्यार्थियों को आमंत्रण

*100. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जी० डी० बिड़ला हाल ही में जब इथोपिया गये थे तो उन्होंने वहां की सरकार को कहा था कि वह भारत में उनके कालिजों में प्रशिक्षण लेने हेतु कुछ छात्र भेजें ; और

(ख) यदि हां, तो इस आमंत्रण का ब्योरा क्या है तथा अब तक इसकी क्या प्रतिक्रिया रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). श्री जी० डी० बिरला ने निजी हैसियत से इथोपिया का दौरा किया था और उनकी पेशकश तथा उसके प्रति इथोपिया सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली

*101. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले अनेक सरकारी कर्मचारियों को नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई शर्तें पुरानी हो गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो शर्तों को उदार बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि सभी कर्मचारी इस पुस्तकालय का लाभ उठा सकें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं । केवल सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की सदस्यता के पात्र नहीं हैं ।

(ख) विद्यमान नियमों में सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सदस्यता की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) और (घ). मामले की जांच की जा रही है ।

Outlines of Statutory Joint Consultative Machinery

*102. **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Suraj Bhan:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Shri Gopal Saboo:
Shri Onkar Singh:
Shri Sharda Nand:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a decision in regard to the outlines of statutory Joint Consultative Machinery for the Central Government employees has been taken ;

(b) if so, the details thereof and by what time the concerned legislative proposal would be brought before Parliament ;

(c) whether the Employees Organisations have been consulted before drafting the legislatton ;

(d) if so, their reaction in this regard ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) A decision has been taken in regard to the broad outlines of the proposed statutory machinery. The details are being worked out.

(b) The outlines of the proposal were stated by the Minister in the Ministry of Home Affairs on the 16th December, 1968 in the Sabha during the course of the discussion on the Essential Services Maintenance Bill. It is expected that the proposed legislation will be introduced during the current session.

(c) Not yet.

(d) Does not arise.

(e) The principles of the proposed statutory scheme would be discussed in the National Council of the Joint Consultative Machinery as early as possible.

Traffic Arrangements in Delhi/New Delhi

*103. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Traffic Control arrangements in Delhi are unsatisfactory and lax as compared to Bombay ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether any action is proposed to be taken to make proper traffic arrangements in Delhi and New Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Improvement and modernisation have been brought about in the traffic arrangements in the urban areas of the Union territory of Delhi and efforts are continuously being made to bring about further improvement in the same. A number of road inter-sections and crossings have been re-designed ; automatic traffic control signals have been installed at a large number of road crossings ; roads have been widened, lighting, surfacing, roundabouts, traffic regulation etc. have been improved and special emphasis is being laid on improvements to accident-prone areas.

Naxalites in Andhra Pradesh

*104. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naxalites have set up their base in the tribal area of Srikakulam District of Andhra Pradesh and are perpetrating various kinds of atrocities on the people there ;

(b) whether it is also a fact that they are committing dacoities there and are looting zamindars and businessmen ;

(c) if so, whether the Government of India have held any talks with the Government of Andhra Pradesh to protect people from these anti-national elements ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) According to information furnished by the State Government the Girijans in Srikakulam District of Andhra Pradesh have come under the influence of the extremists.

(b) The Girijans have resorted to violence and lawlessness under the leadership of the extremists and have committed a number of dacoities and have looted the properties of several persons.

(c) and (d). The Central Government had advised the State Government to keep a close watch on the activities of the extremists and to take firm action against any unlawful activities. The State Government have taken steps for effective policing of the area for maintenance of law and order and have also initiated various socio-economic measures to improve the conditions of the Girijans.

स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त सरकारी कर्मचारी

*105. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त कर्मचारी लिपिक और सहायकों के रूप में काम करते हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्योंकि स्नातकोत्तर कर्मचारियों की उच्च अर्हताओं से सरकार लाभान्वित होती है क्या सरकार उनकी उच्च अर्हताओं के लिये उन्हें कुछ लाभ पहुंचायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन अथवा उसके समकक्ष है। सचिवालय में सहायकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एक विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसके समकक्ष है। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में स्नातकोत्तर लिपिकों तथा सहायकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि लिपिकों तथा सहायकों के लिए स्नातकोत्तर अर्हता आवश्यक नहीं है, अतः उच्च अर्हताओं के लिए कोई लाभ प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

छोटी सदड़ी, राजस्थान, स्वर्ण कांड

*106. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री छोटी सदड़ी स्वर्ण कांड के मामले के बारे में 13 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 732 के, उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने अपना जांच-कार्य इस बीच पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामले की विचाराधीनता तथा सम्बन्धित पुनरीक्षण-कार्यवाहियों के दौरान कानून के उपबन्धों का यथोचित ध्यान करते हुये, पूछताछ करनी पड़ती है और इसमें समय लगता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर सरकार समिति का प्रतिवेदन

*107. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री प० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्य की जांच के लिये नियुक्त सरकार समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस स्तर पर कोई तारीख बताना कठिन है, किन्तु समिति अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है ।

(घ) समिति को दिए गए विचारार्थ विषय काफी बड़े हैं और बहुत से गवाहों को बुलाना है तथा दस्तावेज इकट्ठी करनी है और उनकी जांच करनी है । इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों के पास और भी बहुत काम हैं जिनके कारण उनके लिए हर महीने में कुछ दिनों के लिये ही मिल पाना सम्भव होता है, अधिक नहीं ।

दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग का प्रतिवेदन

*108. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री बंश नारायण सिंह :**
श्री गणेश घोष : **श्री जि० ब० सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या-क्या सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) सरकार ने क्या-क्या सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) खोसला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 82/69]**

(ख) से (घ). प्रतिवेदन का परीक्षण लगभग समाप्त हो गया है और सरकार द्वारा अन्तिमरूप में स्वीकृत विभिन्न सिफारिशें अमल में लाई जा रही है । कुछ सिफारिशों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श में मामले पर विचार किया जा रहा है । शेष सिफारिशों के परीक्षण की शीघ्र समाप्ति की आशा की जाती है ।

कोचीन पत्तन न्यास

*109. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बन्दरगाह सम्बन्धी जांच समिति हाल ही में केरल गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोचीन पत्तन न्यास के पुनर्गठन की सिफारिश की है ;

(ग) क्या केरल राज्य परिवहन विभाग ने प्रस्तावित पुनर्गठित न्यास में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) संभवतया संदर्भ बड़े पत्तनों के आयोग से है जो अक्तूबर, 1968 में कोचीन गया था।

(ख) आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ग) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में केरल सरकार का प्रतिनिधित्व पहले से ही है। केरल सरकार का सुझाव है कि जिस कानून पर पत्तन ट्रस्ट की शक्तियां इत्यादि, आधारित हैं उसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए जिससे योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उसे और बड़ी जिम्मेदारी दी जाय।

(घ) पहले बड़े पत्तन आयोग अपने सम्मुख रखी गयी सिफारिशों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें करेगा।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों, नियमों तथा निदेशों को अस्वीकार करना

*110. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कितनी बार राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों, नियमों और निदेशों को अस्वीकार किया है ; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है और वे किन-किन तिथियों को अस्वीकार किये गये और सम्बन्धित राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) संविधान के अनुच्छेद 246 (i) के अन्तर्गत, सातवीं अनुसूची की सूची—i में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में कानून बनाने का संसद को एकमात्र अधिकार है। अनुच्छेद 246 (2) के अन्तर्गत, सातवीं अनुसूची की सूची—iii में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में भी कानून बनाने का संसद को अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 254 (1) संसद द्वारा बनाये कानूनों और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों के बीच असंगति से सम्बन्धित है और उसके उपबन्धों के अधीन संसद द्वारा बनाये गये

कानून राज्यों के विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों से प्रबल होंगे। अतः किसी भी राज्य सरकार को संविधान के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय कानून अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के लिये अनुच्छेद 256 या 257 के अधीन निर्देश जारी करने का कोई अवसर नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

C.B.I. Report on the use of Foreign Money in 1967 General Elections

*111. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Dr. Sushila Nayar :**
Shri K. Ramani : **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Rabi Ray :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to the inquiry that had been conducted into the inflow of foreign money during the last General Election ; and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which Government would take the decision in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The report of the Intelligence Bureau on the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes has been carefully considered. Government will make a statement on the subject in the current session of Parliament.

राज्य सड़क परिवहन निगम

*112. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सड़क परिवहन निगम में, राज्य-वार, भारत सरकार की अंश पूंजी कितनी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में पूंजी लगाने की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में केवल 20 प्रतिशत पूंजी लगाई गई है जबकि मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल पूंजी की 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक पूंजी लगाई है ;

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस असमानता को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना नीचे दी जा रही है :—

निगम का नाम		**केन्द्रीय सरकार के अंशदान का प्रतिशत**
आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	...	25
गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	...	$33\frac{1}{3}$
बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	...	25
केरल स्टेट ,, ,, ,,	...	20
महाराष्ट्र स्टेट ,, ,, ,,	...	$33\frac{1}{3}$
मध्यप्रदेश स्टेट ,, ,, ,,	...	25
मंडी कूलू रोड ,, ,, ,,	...	20
मैसूर स्टेट ,, ,, ,,	...	25
नार्थबंगाल स्टेट ,, ,, ,,	...	$33\frac{1}{3}$
पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	...	20
राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	..	20

(ग) जी हां ।

(घ) किसी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की पूंजी में केन्द्रीय सरकार (रेलवे) का भाग तमाम संबद्ध बातों, जिसमें धन की उपलब्धता भी शामिल है, पर विचार करके उसके उसमें शामिल होने के समय तय किया जाता है । गत कुछ वर्षों में साधनों की विवशता की दृष्टि से उस अवधि में स्थापित प्रत्येक निगम में रेल का भाग कुल पूंजी का 20 प्रतिशत सीमित किया गया है ।

(ङ) जून, 1968 में हुई परिवहन विकास परिषद की सातवीं बैठक में यह सिफारिश की गयी कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की पूंजी में केन्द्रीय सरकार का अंशदान समान रूप से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होना चाहिये । जहां किसी मौजूदा निगम में यह अंशदान कम हो उसे बढ़ाकर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर देना चाहिये । रेल मंत्रालय ने इस सिफारिश को सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया है । इस आधार पर कि उसका भाग हर एक मामले में समानरूप से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत हो इस के लिये रेल की चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की पूंजी में अंशदान देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

इन्दौर में दंगे

*113. **श्री सी० मुत्तु स्वामी :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री मुहम्मद इमाम : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री हुकम चन्द कछवाय**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर शहर में हाल ही में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें कुछ व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में प्रत्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा कोई जांच की है ; और

(ग) शरारती व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 दिसम्बर, 1968 को इन्दौर में जुए पर दो वर्गों के बीच लड़ाई हुई। घायल व्यक्तियों में से एक की 31 दिसम्बर, 1968 को मृत्यु हो गई। इससे शहर में कुछ तनाव और कुछ छुट पुट घटनाओं को बढ़ावा मिला। पहली जनवरी, 1969 को जब मृतक की शव यात्रा का जलूस निकाला गया तो वहां कुछ पथराव के मामले हुए। 2 जनवरी को दुकानों में चार आगजनी के मामले हुए जिसके परिणाम स्वरूप 70 रुपये की अनुमानित क्षति हुई। दंगों में कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा 287 के अन्तर्गत 319 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और दण्ड प्रक्रिया संहिता के निरोधक उपबन्धों के अन्तर्गत 32 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

नवानगर के जामसाहब द्वारा विशेषाधिकारों का त्याग

*114. **श्री किकर सिंह :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री रामचन्द्र जे० अमीन : **श्री भोलानाथ मास्टर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि सौराष्ट्र-गुजरात के नवानगर के जामसाहब ने अपने महल में सरकारी गार्डों जैसे अपने कुछ विशेषाधिकारों को हाल ही में त्याग दिया है और इस बारे में सूचना भी दे दी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). नवानगर के महाराजा ने 1 जनवरी, 1969 से एक विशेष पुलिस गार्ड के विशेषाधिकार का त्याग कर दिया है किन्तु जब तक सरकार द्वारा विशेषाधिकार समाप्त नहीं कर दिया जाता है भविष्य में पुनः स्थापन्न के लिए अपने अधिकार को सुरक्षित रखा है। तदनुसार राज्य सरकार ने गार्ड हटा ली है।

(ग) सरकार कार्यवाही का स्वागत करती है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*115. **श्री राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए नियुक्त मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) संबंधित कर्मचारियों की बड़ी संख्या व उनके श्रेणियों और संबंधित विषयों के जटिल होने के कारण समय लगा। ज्ञात हुआ है कि वेज बोर्ड अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये पूरा प्रयास कर रहा है।

भारत में छात्र असंतोष

*116. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में छात्रों में असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि निश्चित जीवन की संभावनाओं का अभाव तथा निराशा भी इस असंतोष के कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विद्यार्थियों में असंतोष के कारणों से लगभग सभी भली भांति परिचित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग की समितियों, कुलपतियों के सम्मेलन आदि द्वारा, इस बात पर समय-समय पर विचार-विनिमय किया जा चुका है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों में असंतोष के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये, आवश्यक मार्ग-दर्शक और सामान्य रूपरेखा तैयार करने के लिये एक कार्यकारी-दल की नियुक्ति की है।

(ख) रोजगार की अनिश्चितता अनेक कारणों में से एक है।

(ग) इसका निदान, सरकारों, विश्वविद्यालयों और देश के राजनैतिक तथा आर्थिक नेतृत्व पर निर्भर है।

शिक्षा की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करके विद्यार्थियों का ध्यान अवांछनीय कार्यकलापों की ओर से मोड़ने के लिये, विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता दे रहा है।

दिल्ली में हुआ साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कन्वेन्शन (दिसम्बर, 1968)

*117. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक "कन्वेन्शन" हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संकल्प पास किये गये थे और क्या सरकार का विचार उनके किसी सुझाव को स्वीकार करने का है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार ने नई दिल्ली में 28 और 29 दिसम्बर, 1968 को हुई साम्प्रादायिकता के विरुद्ध दो दिवसीय सम्मेलन की कार्य-वाहियों की प्रेस-टिप्पणियां देखी हैं। सम्मेलन ने राजनैतिक दलों तथा सरकार से राष्ट्र से साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करने तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के मूल्यों की सुरक्षा करने के लिये सामान्यरूप से कहा था। सम्प्रदायिकता की रोक-थाम करने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये सरकार पहले ही कदम उठा रही है।

एलोरा और अजन्ता की गुफाओं के मन्दिर

*118. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एलोरा और अजन्ता की गुफाओं के मन्दिर भारतीय वास्तु कला, मूर्ति कला तथा चित्र कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तरोत्तर विदेशी शासकों द्वारा इन कलाकृतियों को दीर्घ काल तक नष्ट किया जाता रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भी इनकी समुचितरूप से देखभाल नहीं की गई है और इसी कारण वहां से सुन्दर मूर्तियां चुरा ली गयी हैं ;

(घ) क्या भी सच है कि इन गुफाओं के सामने तथा उनके अन्दर की मूर्तियों पर परिचयात्मक पट्टियां नहीं रखी गयी हैं और वहां पर निर्देशकों (गाइडों) का भी कोई प्रबन्ध नहीं है, जो गुफाओं को देखने के लिए प्रतिदिन जाने वाले हजारों विद्यार्थियों एवं दर्शकों को मूर्तियों के सम्बन्ध में सही जानकारी दे सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय कलाकृतियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हां।

(ख) कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख है किन्तु ऐसे कथन की सत्यता स्थापित नहीं हो सकी है।

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में परिरक्षण के लिये 1951 में लिये जाने के बाद से भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण गुफाओं को भली प्रकार से देखभाल कर रहा है। उसके बाद से मूर्तियों की चोरियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) जी नहीं। ऐलोरा स्थित महत्वपूर्ण गुफाओं में मुर्तियों की जानकारी देने वाले लेबल लगा दिए गए हैं। अजन्ता में, वर्णनात्मक दृश्यों अथवा जातक दृश्यों को अक्सर एक ग्रुप में और एक-दूसरे में मिला दिया जाता है, ऐसे लेबलों से, सहायता मिलने के बजाए, गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है। ऐलोरा में एक विभागीय गाइड लेक्चर के अलावा, दो लाइसेंस प्राप्त स्थानीय गाइड हैं। इसी प्रकार अजन्ता में एक लाइसेंस प्राप्त स्थानीय गाइड है। इनके अलावा अजन्ता और एलोरा दोनों स्थानों के लिए पर्यटन विभाग शीघ्र ही 16 गाइडों को लाइसेंस जारी करेगी।

(ङ) जब भी आवश्यकता होती है, इन राष्ट्रीय खजानों के परिरक्षण के लिए मरम्मत तथा अन्य उपाय किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में पीएच० डी० के छात्र की पिटाई

*119. **श्री देवेन सेन :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जनवरी, 1969 को पुलिस ने भारतीय कृषि अनुसंधान

संस्था, नई दिल्ली के पीएच० डी० के एक छात्र को उस फार्म पर जाने से रोक कर, जिस पर वह कार्य कर रहा था और जिसे ईरान के शाह को उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान दिखाया जाना था, पीटा था;

(ख) क्या इस मामले में जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) तुगलक रोड, नई दिल्ली के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के के लिये आदेश दिये गये थे ।

(ग) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने तथाकथित पीटे गये अन्वेक्षण छात्र और उसे तथाकथित पीटने वाले पुलिस कर्मचारी के अतिरिक्त 23 गवाहों के बयान लिये । उसने जो गवाही स्वयं दर्ज की थी उसके आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंचा था कि अन्वेषण छात्र को पीटने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

चुंगी का समाप्त किया जाना

*120. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को ऐसा निदेश देने का है कि चुंगी को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दिया जाये क्योंकि यह न केवल भ्रष्टाचार का एक साधन बन गया है अपितु इससे देश के आर्थिक विकास में भी बाधा पड़ती है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुंगी के बदले में आय के किसी अन्य साधन का सुझाव राज्य सरकारों को दिया है और इसके लिये विशेष निर्देश भी जारी किये हैं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं।

उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दिये गये कार्य

560. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 5 वर्षों में सेवा निवृत्त हुये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम क्या हैं, उनकी सेवा निवृत्ति की तिथियां क्या हैं और उनकी मासिक पेंशन का ब्योरा क्या है;

(ख) उपरोक्त सूची में से किन-किन को समितियों अथवा आयोगों में नियुक्त किया गया और प्रत्येक की नियुक्ति उन पर कब की गई थी तथा कब तक वह उस पद पर रहा और प्रत्येक न्यायाधीश ने वेतन अथवा मुआवजे और यात्रा भत्ते के रूप में इस प्रकार की नियुक्तियों की अवधि में कुल कितनी-कितनी उपलब्धियां प्राप्त कीं;

(ग) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के मन में सेवा निवृत्ति के बाद समिति या आयोग में नियुक्त किये जाने की आशा का प्रभाव सरकार द्वारा दायर किये गये मुकदमों पर निश्चितरूप से पड़ता है; और

(घ) इन सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को, जिन्हें निहायत आराम करने की आवश्यकता होती है, आयु और स्मरणशक्ति की सीमा के बावजूद जो बहुत से मामलों में देखी जाती है; पुनः सेवा में लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 70/69]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। ऐसे निष्कर्ष के लिये कोई भी कारण नहीं हैं।

(घ) न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित पदों में साधारणतया अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये सेवारत न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करना सदा सम्भव नहीं होता है। न्यायपालिका द्वारा प्राप्त लोक विश्वास तथा अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में उनकी योग्यता और निस्पक्षता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्टरूप से लोक-हित में है कि इस प्रथा को जारी रखा जाय।

समाचार-पत्रों पर मुकदमें चलाना

561. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के अधीन किन-किन सम्पादकों और पत्रिकाओं पर मुकदमें चलाये गये हैं;

(ख) अब तक दोषमुक्त अथवा दंडित व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें किस प्रकार की सजा दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब सब मामले वापिस लेने का है क्योंकि विभिन्न राज्यों में मध्यावधि चुनाव समाप्त हो गये हैं और अब मतों के लिये किसी समुदाय विशेष को अपने पक्ष में करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**71/69]

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। कोई भी मुकदमा, किसी समुदाय विशेष को मतों के लिये अपने पक्ष में करने के लिये, नहीं चलाया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम

562. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्य कब आरम्भ हुआ था और उसे कितनी धन-राशि दी गयी थी और संक्षेप में इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस निगम के अध्यक्ष का नाम और अर्हताएं क्या हैं, उनको मासिक वेतन और यात्रा भत्ता कितना दिया जाता है और उनकी विशेष अर्हताएं क्या हैं जो इस पद के लिये पर्याप्त समझी गयी थीं;

(ग) अध्यक्ष तथा उनसे एक दम नीचे के नौ अधिकारियों ने कितने और किन-किन तारीखों को विदेश यात्रा की, उन देशों के नाम क्या हैं और उनके वहां ठहरने की अवधि कितनी-कितनी थी और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी;

(घ) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके साथ उनकी पत्नियां भी विदेश यात्रा पर गयी थीं; और

(ङ) इन अधिकारियों की विदेश यात्रा से हमारे देश को क्या वास्तविक लाभ हुआ ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड उससे पहले के तीन उद्यमों, अर्थात् भारत पर्यटन निगम लिमिटेड, भारत होटल निगम लिमिटेड तथा भारत पर्यटन परिवहन संस्थान लिमिटेड, को मिलाकर 1 अक्तूबर, 1966 को बनाया गया था । स्वीकृत निगम की, 1-10-66 को, प्रदत्त पूंजी 24,59,400 रुपये थी । निगम के सुपुर्द किये गये फण्ड नीचे दिये गये हैं :

4 अक्तूबर, 1967	25.00 लाख रुपये
27 अक्तूबर, 1968	38.00 लाख रुपये
	63.00 लाख रुपये

इस प्रकार निगम की कुल प्रदत्त पूंजी 87,59,400 रुपये है । निगम के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

(i) होटलों का निर्माण तथा पर्यटक बंगलों व कैंटीनों का प्रबन्ध ।

(ii) पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था ।

(iii) पर्यटन के प्रचार एवं वृद्धि विषयक सामग्री का उत्पादन ।

(iv) पर्यटकों के लिये मनोरंजन कार्यक्रमों का समायोजन एवं संगठन ।

(v) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/बन्दरगाहों पर शुल्क-मुक्त दुकानों का परिचालन ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन श्री रमेश थापर हैं। वे निगम के गैर-सरकारी अंशकालिक चेयरमैन हैं तथा उन्हें कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता। निगम के अन्य गैर-सरकारी निदेशकों की तरह उन्हें भी, निदेशक-बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिये, जिसमें कि वे सम्मिलित होते हैं, 75/- रुपया तथा निगम के काम के संबंध में की गयी यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता, जिसमें ट्रेन या विमान का किराया और आनुषंगिक व्यय व दैनिक भत्ते के रूप में पहले दिन के लिये 100/- रुपया तथा बाद के दिनों के लिये 50/- रुपया भी सम्मिलित होता है, लेने का अधिकार है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से न तो चेयरमैन और न ही उसके ठीक निचले किसी कर्मचारी ने कोई विदेश यात्रा की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छुट्टियों में दिल्ली परिवहन की बसों का चलाना

563. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शनिवार और छुट्टियों वाले दिनों पर दिल्ली परिवहन द्वारा हजारों यात्रियों को एक रुपये वाले टिकट दिये जाते हैं लेकिन अधिक बसों की व्यवस्था नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो इन दिनों में बसों में भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये सभी रूटों में अधिक बसें क्यों नहीं चलाई जातीं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन के अनुसार यह सही है कि शनिवारों तथा छुट्टी के दिनों में हजारों यात्रियों को एक रुपये वाले टिकट बेचे जाते हैं। ऐसे दिनों में बहुत सी बस्तियों में कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा व्यापारिक केन्द्र बन्द रहते हैं। फलतः यातायात में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है और उपक्रम द्वारा चलाई गई बस सेवाओं को छुट्टी वाले दिन के यातायात को संभालने के लिये उसी अनुसार पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है। बुद्ध जयन्ती पार्क, कुतुब, ओखला, चिड़ियाघर, सूरजकुंड आदि स्थलों के लिए बस सेवा बढ़ाने के लिए छुट्टी के दिनों में अतिरिक्त प्रबन्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त बस सेवाओं की आवृत्ति में कुछ रूटों पर वृद्धि भी की जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के लिये वायु सेना के कर्मचारी

564. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना के कर्मचारियों को असैनिक विमान सेवाओं में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया की विमान सेवाओं में अब तक वायुसेना के कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) उनको कौन-कौन से पद दिये गये हैं; और

(घ) असैनिक विमान सेवा में वायुसेना के कर्मचारियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। वायु सेना नागर हवाई कम्पनियों (सिविल एयरलाइन्स) के लिये भर्ती के लिये स्रोतों में से एक हैं।

(ख) और (ग). एयर इण्डिया ने वायु सेना से 48 सह-विमान चालक (को-पाइलाट) 25 दिक्-चालक (नेवीगेटर) और एक सामान्य प्रशासन के लिये अधिकारी भर्ती किये हैं। इण्डियन एयरलाइन्स ने वायु सेना से 25 "सैकण्ड आफिसर" और 15 शिक्षु विमान चालक (एप्रेंटिस पाइलाट) भर्ती किये हैं।

(घ) वायुसेना में मिलने वाला प्रशिक्षण और अनुभव हवाई कम्पनियों के लिये उपयोगी सिद्ध होता है, अतः सम्भावतः ये हवाई कम्पनियां वायुसेना से प्राप्त अच्छी सामग्री का लाभ उठा लेती हैं।

कलकत्ता में डकैती

565. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 अक्तूबर, 1968 को सेंट्रल कलकत्ता (सडन स्ट्रीट) में दिन दहाड़े पड़े सशस्त्र डाके का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस समूची घटना में पुलिस ने क्या कार्य किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सूचित किये गये तथ्य इस प्रकार हैं :

22-10-68 को उपद्रवियों के एक गिरोह ने, जो आग्नेयास्त्रों से लैस था, डकैती डाली थी तथा मैसर्स कलकत्ता सिगरेट सप्लाई कम्पनी तथा इसी तरह की जैन कम्पनी नामक फर्म की 1,13,328 रु० की राशि को लूटा था, जबकि कम्पनी के कुछ कर्मचारी कलकत्ता में सदर स्ट्रीट में एक टैक्सी में नगदी ले जा रहे थे।

(ख) (1) स्थानीय पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395,397 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (क) तथा 27 के अधीन एक मामला दर्ज किया है। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है।

(2) लूट के कथित भाग की 30,050 रु० की राशि तथा अपराध के करने में कथित प्रयोग में लाए गये कुछ शस्त्र बरामद कर लिये गये हैं। उन गाड़ियों को भी, जिन्हें विश्वास किया जाता है कि अपराध के करने में उन्हें प्रयोग में लाया गया, जब्त कर ली गई हैं। जांच-पड़ताल के दौरान 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसके शीघ्र पूरी होने की आशा है।

पूर्वोत्तर परिषद

566. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद् स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी संस्था की स्थापना के क्या प्रयोजन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर परिषद् अभी स्थापित नहीं की गई है किन्तु इसके स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा तथा विकास की ओर एक सम्मिलित तथा समन्वित उपाय के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय होगा। परिषद् के बारे में सम्बन्धित ब्योरे 11 सितम्बर, 1968 को जारी किये गये प्रेस-वक्तव्य में दिये गये हैं जिसकी एक प्रतिलिपि 29 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखी गई थी।

सी० एस० आर० 561 तथा 983 का संशोधन

567. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 में सी० एस० आर० 561 तथा 983 के संशोधन कम से कम 14 दिन के लिए संसद के सम्मुख रखे गये थे जैसा कि अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित था ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में नियमों को संसद के समक्ष रखने के लिए व्यवस्था है। इसलिए 1 जुलाई, 1967 तक अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम तथा नियमों के अधीन बनाये गये अधिनियम संसद के समक्ष नहीं रखे गये थे। इस मामले पर हाल ही पुनर्विचार किया गया है और संसद के समक्ष विनियमों को उसी प्रकार रखे जाने के लिए निश्चय किया गया है जिस प्रकार नियम रखे जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए संसद के पिछले सत्र के दौरान राज्य सभा में अखिल भारतीय सेवाएं (संसद के समक्ष विनियमों को रखना) विधेयक, 1968 नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस विधेयक के अनुबन्ध (मद 116) में अन्य बातों के साथ-साथ सी० एस० आर० 561 तथा 983 के संशोधन भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अध्यापकों की शिकायतें

568. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री क० लक्कप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 दिसम्बर, 1968 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का एक शिष्टमंडल प्रधान मंत्री से मिला था ;

(ख) क्या उस शिष्टमंडल ने उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ग) उस ज्ञापन में किन-किन शिकायतों का उल्लेख किया गया था और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) ज्ञापन में लगभग वही मांगें पेश की गई हैं, जिनके लिए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ आन्दोलन कर रहे थे । मामला अब तय हो गया है । हड़ताल 6 जनवरी, 1969 से वापस ले ली गई है और स्कूल साधारण रूप से कार्य कर रहे हैं । नैनी जेल में दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच की जा रही है ।

लक्कादीव के लिये योजना एकक

569. **श्री पी० मु० सईद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव के लिये काम कर रहे योजना एकक का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या इस एकक में कोई गैर-सरकारी सदस्य भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) लक्कादीव योजना एकक में क्षेत्र के प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारी हैं :—

(क) अध्यक्ष—विकास आयुक्त व विकास सचिव ।

(ख) सदस्य—(i) सहकारी समितियों का पंजीकार ।

(ii) विशेष अधिकारी (मत्स्य पालन)

(iii) विशेष अधिकारी (कृषि)

(iv) शिक्षा अधिकारी ; तथा

(v) कार्यकारी इंजीनियर

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Speedy Administration of Justice

570. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present justice is delayed so much in India that its very purpose is defeated ; and

(b) if so, the active steps Government propose to take in order to administer justice speedily ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Administration of Justice is primarily the responsibility of the State Governments. As regards High Courts, the judge strength in most of the High Courts has been increased to the extent considered necessary taking into account the institutions, disposals and the arrears to be cleared.

वयस्क शिक्षा पर खर्च

571. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मध्य प्रदेश राज्यों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में वयस्क शिक्षा पर कितनी धन-राशि खर्च की गयी ;

(ख) इस अवधि में राज्य-वार कुल कितने वयस्कों को शिक्षा दी गई ; और

(ग) उन राज्यों में वयस्क शिक्षा के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी और राज्य वार कितने व्यक्तियों को शिक्षित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति

572. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में बहुत बड़ी संख्या में अपर डिवीजन क्लर्क हैं, जिनका सेवाकाल लगभग 20 वर्ष हो गया है, परन्तु उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । अपर डिवीजन क्लर्कों के कुल लगभग 2800 ड्यूटी पदों पर 1-1-68 को 15 वर्ष के सेवाकाल के केवल 64 अपर डिवीजन क्लर्क थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नतियों/स्थायीकरण के मामले में असंतुलन

573. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण के कारण विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध कार्यालयों में पदोन्नतियों/स्थायीकरण के मामले में असंतुलन उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) प्रत्येक ग्रेड में मंत्रालय-वार उन अन्तिम व्यक्तियों की वरीयता की तारीखें क्या हैं, जिनकी पदोन्नति स्थायीकरण हुआ हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विकेन्द्रीकरण-व्यवस्था में ऐसी असमानताएं अपरिहार्य हैं ।

(ख) वर्तमान विकेन्द्रित व्यवस्था में कुछ संशोधन करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा समयोपरि कार्य और विज्ञापनों पर खर्च

574. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन समयोपरि कार्य एवं विज्ञापनों पर व्यर्थ खर्च को रोकने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1967 और 1968 में कारपोरेशन द्वारा समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया;

(घ) 1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक प्रत्येक विज्ञापन पर मदवार कितनी कितनी धन-राशि खर्च की गयी ; और

(ङ) मितव्ययता करने के लिये कारपोरेशन ने कौन से तरीके अपनाएं हैं और इन तरीकों से वर्ष 1967 और 1968 में कितनी बचत हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क), (ख) और (ङ). जी, नहीं । इंडियन एयरलाइंस समयोपरि भत्ते के खर्च को कम करने की आवश्यकता के बारे में सचेत है, तथा वे उस दिशा में कर्मचारियों के एसोसिएशनों/यूनियनों के साथ विचार-विमर्शपूर्वक कदम उठा रहे हैं । उन्होंने हाल ही में उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) के नये नियम चालू किये हैं, जिनके परिणामस्वरूप समयोपरि भत्ते के रूप में होने वाले खर्च के कम हो जाने की आशा है ।

(ग) 1966-67 92.07 लाख रुपये
1967-68 138.95 लाख रुपये

(घ) 1968 में 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक की अवधि में विज्ञापनों पर 6,87,612.78 रुपये की राशि निम्नलिखित मदों में खर्च की गयी :—

1. मार्ग-प्रचार इत्यादि के लिये राशि	87,625.50 रुपये
2. समय सारणी	1,98,249.51 रुपये
3. पोस्टर	16,642.74 रुपये
4. विदेशों में विज्ञापन	49,295.93 रुपये
5. सरकारी एयरलाइन गाइड और ए० बी० सी० वर्ल्ड एयरवेज गाइड में समय अनुसूचियों का विज्ञापन	22,646.00 रुपये
6. होर्डिंग	2,631.55 रुपये
7. प्रेस विज्ञापन	3,10,521.55 रुपये

अधिकांश विज्ञापन इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचियों, मार्गों में परिवर्तनों तथा नये मार्गों के प्रचार-कार्य एवं संस्थागत विज्ञापनों से सम्बन्ध रखते हैं। ये विज्ञापन आम जनता को सूचना देने तथा पर्यटक यातायात को आकृष्ट करने और बिक्री को बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यक हैं।

केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में पुस्तकें

575. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की नवीनतम जांच पड़ताल के अनुसार अंग्रेजी/हिन्दी अनुभाग में विभिन्न विषयों पर कितनी-कितनी पुस्तकें थीं ; और

(ख) इस पुस्तकालय के 31 दिसम्बर, 1968 को मंत्रालय/विभागवार तथा राज-पत्रित और अराजपत्रित सदस्य कितने-कितने थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध I में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 72/69]**

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध II में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 72/69]

मद्रास में विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

576. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा विद्यार्थियों को 'आन्दोलन' छोड़ देने के लिए की गई अपील की जानकारी सारे देश में दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). नव वर्ष के दिन तकनीकी शिक्षा निदेशक, मद्रास द्वारा की गई अपील मद्रास के सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। अपील की प्रतियां, यथासंभव ऐसी ही कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के पास भेजी जाएंगी।

Gajendragadkar Commission Report

577. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Kaushak Bakula :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri N. R. Laskar :
Shri R. Barua :
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri J. Mohamed Imam :
Shri D. R. Parmar :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri Gopal Saboo :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh :
Shri C. C. Desai :
Shri Valmiki Choudhari :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Sradhakar Supakar :
Shrimati Tara Sapre :
Shri D. N. Patodia :
Shri Rabi Ray :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have seen the report of Gajendragadkar Commission in regard to Kashmir ;

(b) the main recommendations of the Commission ;

(c) whether Government have considered the recommendations made in the report ; and

(d) if so, the details thereof and the conclusions drawn therefrom.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The Commission has submitted its report to the Government of Jammu and Kashmir who have released it to the public since. As the Commission was appointed by the State Government, action on the findings of the Commission is primarily the concern of that Government.

Chinese Embassy Assisting Subversion in India

578. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Hem Berua :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that monetary and other types of assistance has been given by the Chinese Embassy to some Indian nationals who have indulged in violent and subversive activities or have instigated the people therefor ;

(b) if so, the details of these incidents and the action taken in this regard ;

(c) whether Government propose to take such legal steps to check the use of finances etc. by foreign embassies and citizens for objectionable activities in the country ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The State Governments of Gujarat, Andhra Pradesh, Madras, Mysore, Nagaland and Haryana and Union territories of Manipur, Andaman and Nicobar Islands, Pondicherry and NEFA have no information regarding any assistance given by the Chinese Embassy to Indians who have taken part in violent or subversive activities. The Kerala Government had earlier intimated that one Shri Kunnikkal Narayanan of Calicut had received amounts ranging from Rs. One hundred to Rs. Five hundred by money order from the Chinese Embassy in Delhi on four occasions. Information from remaining States is awaited.

(c) to (e). Vigilance over such activities is maintained. Specific offences of individuals can be dealt with under the existing law of the land.

पर्यटन से होने वाली विश्व की कुल आय में भारत का भाग

579. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में पर्यटन से हुई विश्व की कुल आय में भारत का वार्षिक भाग कितना रहा है ;

(ख) क्या यह कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पिछले दस वर्षों में पर्यटन से हुई विश्व की कुल आय में भारत के भाग को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 73/69]**

(ख) यूरोप और अमेरिका से आने वाले पर्यटकों के मामले में भारत में अपूर्ण आधारभूत साधन, अपर्याप्त आवश्यक सुविधाएं और भारत आने में अधिक व्यय, पर्यटन की तीव्र गति से वृद्धि में बाधक सिद्ध हुए हैं। 1962 और 1965 में बाहरी आक्रमण भी अन्य बाधक कारण थे।

(ग) यद्यपि यह महसूस किया जाता है कि उपलब्ध वित्त की सीमाओं के अन्तर्गत विश्व में पर्यटन की वृद्धि के समकक्ष देश में पर्यटन की वृद्धि करना कठिन होगा फिर भी सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान समस्त पर्यटन तन्त्र (टूरिस्ट प्लांट) एवं पर्यटन के आधारभूत साधनों के विकास और विदेशों में पर्यटन की वृद्धि तथा पर्यटन प्रचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है।

Installation of Leader's Statues in Delhi

580. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ranjit Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the parties from whom proposals have been received so far since 1947 for the installation of statues of leaders and great persons in Delhi and the names of such leaders and great persons ;

(b) the details of proposals accepted and of those which have been rejected ; and

(c) the reasons for rejecting the proposals in each case ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). It was only in October, 1956 that decision was taken that no statue should be installed in Delhi without obtaining the permission of the Government. This was done in order to ensure that the statues conform to artistic standards and are installed at appropriate places. An Advisory Body under the chairmanship of the Chief Commissioner used to consider all proposals sponsored by non-official organisations (who were required to meet all expenditure on statues, pedestals and erection at site) and final decision on the site, size, material of the statue, etc., used to be taken on the recommendations of this Committee. In accordance with this policy, statues of Pandit Moti Lal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Pandit G. B. Pant have been installed under non-Government sponsorship. In 1965 Government appointed a Committee, including Members of Parliament and other non-officials, under the chairmanship of the Minister of Works, Housing and Supply to advise the Government on all aspects of installation of statues of national leaders including sites for the statues in Delhi. The recommendations made by the Committee were considered and a decision has been taken to instal a statue of Mahatma Gandhi at the India Gate. No final decision has been taken regarding some other proposals based on the recommendations made by the Committee. The exact details of the proposals received since 1947 but not accepted so far are not readily available and the time and labour involved in collecting the details over such a long period is not commensurate with the results achieved.

Education Minister's Statement Regarding Use of Languages in U. P. S. C. Examinations

581. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Prof. Sher Singh the Minister of State in the Ministry of Education, made a statement in Hyderabad to the effect that U. P. S. C. would start conducting examinations through the media of all the languages mentioned in the Constitution from September next ;

(b) if so, the reasons for which the aforesaid announcement has been made by the Education Ministry and not by the Home Ministry ; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay in this regard and the time by which the U. P. S. C. would start conducting examinations through the media of various languages ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government expect that a beginning will be made in this behalf by permitting the use of these languages as optional media for some subject (s), with effect from the combined Competitive Examinations to be held this year.

Setting up Hindi Implementation Committees

582. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Ministries and Offices where Hindi Implementation Committees have been set up in accordance with the recommendations of the Hindi Adviser to the Government of India ; and

(b) the time by which such Committees are expected to be set up in the remaining Ministries/Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The suggestion to set up Hindi Implementation Committees has been carefully considered. In view of the fact that a senior officer of the rank of Joint Secretary in each Ministry/Department has been assigned the responsibility of ensuring implementation of the provision of the Official Languages Act as amended and the connected administrative instructions and as quarterly progress reports are being received in the Ministry of Home Affairs where they are scrutinized and follow up action taken where necessary, it has been decided not to set up further Committees for the purpose.

Correspondence in Hindi with Hindi-Speaking and Other States

583. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) which of the Ministries and Offices of the Government of India have begun corres-

pondence in Hindi with the Governments of Hindi-speaking States as also Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(b) the time by which the remaining Ministries and Offices are expected to do so ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). By and large all Hindi letters received from these States are being replied to in Hindi. The hope that Hindi would begin to be used to a large extent for the originating correspondence with these States has not yet materialised. Efforts in this behalf are continuing but it is not possible to indicate as to when this objective will be fully achieved.

U. P. S. C. Advertisements

584. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the advertisements of the Union Public Service Commission are given by Government in all the leading English newspapers but in only one or two Hindi newspapers such as "Nav Bharat Times" etc. ;

(b) if so, the reasons for such discrimination especially when the number of English-speaking persons is negligible and Hindi-speaking people are in crores : and

(c) whether Government propose to give advertisements of the Union Public Service Commission in one or two English newspapers and in all the leading Hindi newspapers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Yidya Charan Shukla) : (a) to (c). Selection of newspapers—both in English and in the regional languages—for purposes of giving the advertisements of the Union Public Service Commission is made by the Ministry of Information and Broadcasting (Directorate of Advertising and Visual Publicity) after taking into consideration the circulation that each paper commands in a particular region the main objective being to give the widest possible publicity and coverage to the Commission's advertisements throughout the country and the list of such newspapers is reviewed periodically by them.

At present U. P. S. C. advertisements are published in 92 newspapers out of which only 24 are English newspapers and the remaining 68 are newspapers in various languages including 19 in Hindi.

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

585. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागालैण्ड की सीमा पर असम में रेल पटरी के साथ साथ सशस्त्र नागा विद्रोहियों का एक दल देखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 1968 में असम के उत्तरी कचार पहाड़ी जिले में 300 विद्रोही दाखिल हुए तथा भारतीय सुरक्षा दल से दो मुठभेड़ों के बाद नागालैण्ड भाग गये; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दल ने बहुत से डाके डाले तथा उत्तरी कचार पहाड़ियों में गांव वालों से जबरदस्ती कर वसूल किये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । ब्योरा आज के लोक सभा के दूसरे अतारांकित प्रश्न संख्या 667 में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में हिल्टन की तरह का होटल

586. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रा० बरुआ : **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में हिल्टन की तरह का होटल स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) होटल की मुख्य-मुख्य बातें क्या होंगी; और

(घ) क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मैसर्स शिव सागर एस्टेट्स लिमिटेड, बम्बई, के आवेदन-पत्र पर सरकार ने उनके हिल्टन होटेल्स इन्टर नेशनल, यू० एस० ए०, के साथ सहयोग की शर्तों का अनुमोदन कर दिया है । मैसर्स शिव सागर एस्टेट्स और हिल्टन्स के बीच तै हुए सहयोग के मसौदे के सरकार के अनुमोदन के लिए जल्दी ही प्राप्त हो जाने की आशा है ।

(ख) प्रस्तावित कम्पनी की इक्वीटी और प्रेफरेन्स शेयर पूंजी 200 लाख रुपया होगी ।

(ग) बम्बई में प्रस्तावित यह होटल 'लक्जरी टाइम' का होगा जिसमें 400 कमरे होंगे ।

(घ) यह पूर्णतया निजी क्षेत्र में होगा ।

भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करना

587. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री बेदब्रत बरुआ :**
श्री रा० बरुआ : **श्री क० लकप्पा :**
श्री प० गोपालन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री क० अनिरुद्धन : **डा० रानेन सेन :**
श्री उमानाथ : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री नाथूराम अहिरवार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकार समाप्त करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भूतपूर्व नरेशों से विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). जैसा पहले ही सदन में बतलाया जा चुका, है सरकार ने भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकार समाप्त करने का सैद्धान्तिकरूप में निर्णय किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं और यथाशीघ्र इसको अन्तिमरूप दे दिया जायेगा। सरकार ने निर्णय के कार्यान्वयन की रीति के बारे में भी नरेशों के साथ विचार-विमर्श किया है। यह विचार-विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है।

इंजिनियरी का डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० पास करने पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ

588. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले

इंजिनियरी-डिप्लोमा-प्राप्त कर्मचारियों को, ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास कर लेने पर, पदोन्नतियां या वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और किन नियमों के अधीन उन्हें ये लाभ दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों को उच्च योग्यता प्राप्त कर लेने पर कोई लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजकीय सड़क परिवहन निगम

589. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 में बंगलौर में हुये परिवहन विकास परिषद् के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि विभिन्न राज्यों में राजकीय सड़क परिवहन निगमों के लिए पूंजी अंशदान में केन्द्रीय सरकार का भाग समानरूप से 25 प्रतिशत और यदि सम्भव हो तो, 33⅓ प्रतिशत होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, 1968 में मैसूर में परिषद् ने प्रत्येक मामले में कुल का 33⅓ प्रतिशत के दर से एक समान अंशदान की सिफारिश की ।

(ख) और (ग). रेलवे मंत्रालय ने सिद्धान्तरूप से परिषद् की सिफारिशें मान ली हैं । इस आधार पर कि उनका हिस्सा प्रत्येक मामले में कुल का 33⅓ प्रतिशत के एक समान दर से होगा । राज्य सड़क परिवहन निगम के पूंजी की तरफ अंशदान के लिए रेलवे के चौथी योजना में आवश्यक व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल के लिए ड्रेजर की खरीद

590. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने विदेश से ड्रेजर खरीदने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). केरल सरकार ने राज्य की चौथी योजना के प्रस्ताओं में 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का समुद्रगामी निकर्षक खरीदने का प्रस्ताव शामिल किया है । प्रस्तावित निकर्षक की विस्तृत विशिष्ठियां और उसके निर्माण और प्रदाय के निविदा कागजातों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

जलयानों का निर्माण (मशीनीकृत)

591. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने नये मशीनीकृत जलयान बनाने के लिए ऋण मांगा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने भी ऐसे जहाज बनाने के लिए ऋण मांगा है;

(ग) क्या ऋण के लिए स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो स्वीकृत ऋण की राशि क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) महाराष्ट्र और केरल सरकार ।

(ख) जी हां ।

(ग) 2.03 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया है जैसा कि राज्य सरकार ने निवेदन किया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध जांच

592. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री क० लकप्पा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध जांच सम्बन्धी 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्योरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जिनका मामले से मुख्य रूप से सम्बन्ध है तथा जो नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकरण हैं, अभी विचार किया जाना है । अभी जांच के परिणामों को प्रकाश में लाना समय पूर्व होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में प्रकाश-स्तम्भ का विकास

593. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के परिवहन मंत्री ने प्रकाश-स्तम्भों के निदेशक को, जो हाल में केरल गये थे, उस राज्य में प्रकाश-स्तम्भों के विकास के लिए कुछ सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

किलठान द्वीप (लक्षद्वीप द्वीपसमूह) में पुलिस थाने पर आक्रमण

594. **श्री चक्रपाणि :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बलराज मधोक :

श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री क० लकप्पा : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री प० मु० सईद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप द्वीप-समूह में किलठान द्वीप के थाने पर 18 दिसम्बर, 1968 को हुए आक्रमण का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन उत्पात करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). लक्कादीव प्रशासन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 19 दिसम्बर, 1968 को एक विशाल भीड़ द्वारा किलठान में स्थित बाहरी पुलिस चौकी पर हमला किया गया था, जब कि पुलिस एक मामले की जांच-पड़ताल कर रही थी। चेतावनी देने के बावजूद भीड़ हिंसा पर उतर आई और उसने 6 पुलिस कर्मचारियों को घायल कर दिया। पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिए गोली चलानी पड़ी। गोलीबारी में 8 व्यक्ति घायल हुए जिसमें से एक की 11 जनवरी, 1969 को मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। जांच-अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Activities of Foreigners in Assam Tea Gardens

595. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri J. B. Singh : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreigners in Assam tea gardens assist in anti-national activities ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the action taken by Government against them ;

(d) whether Government propose to nationalise these tea gardens ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Traffic Accidents in Delhi

596. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
Shri K. Lakkappa : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of traffic accidents in Delhi during the last two years and the number of persons killed, injured and the property damaged as a result thereof ;

(b) whether it is a fact that the roads of Delhi are not fulfilling the needs of the people because of a rise in the population of Delhi ; and

(c) if so, the action being taken by Government for the smooth traffic in Delhi ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) According to the Delhi Police, the number of traffic accidents, persons killed, persons injured and number of accidents in which property was damaged in Delhi during the years 1967 and 1968 are given below :

Year	Total No. of accidents	No. of persons killed	No. of persons injured	No. of accidents in which property was damaged
1967	7,995	373	2,976	4,974
1968	7,893	400	3,316	4,657

information regarding property damaged in accidents is not available with the Delhi Police.

(b) and (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

इम्फाल के पास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा स्थापित कालेज

597. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री वंशनारायण सिंह : **श्री शारदा नन्द :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी ईसाई मिशनरियों द्वारा इम्फाल से करीब 37 मील की दूरी पर एक ईसाई कालेज खोला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से इस कालेज के लिए कितना धन और भवन निर्माण सम्बन्धी सामान मंगाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कालेज का भवन पूर्णतया वातानुकूलित होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस कालेज के लिए इतनी अधिक राशि और भवन निर्माण सम्बन्धी सामान लाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि यह सामरिक महत्व वाले क्षेत्र में स्थित है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक ईसाई कालेज सीलमट में कुछ समय से कार्य कर रहा है । इसका रख-रखाव भारत-बर्मा पाइनीयर मिशन द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भवन का निर्माण अमेरिका से प्राप्त 65 हजार डालरों की लागत से किया गया है । मिशन ने अन्य निर्माण-कार्यों तथा ईसाई कालेज के लिए 4000 नालीदार एलम्यूनियम की चादरें आयात की थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Advance Increment to Teachers of Delhi

598. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Eswara Reddy :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering to give one advance increment to all the teachers of Delhi ;

(b) if so, whether any decision has been taken in this direction ;

(c) whether it is also a fact that Government are considering to give housing, medical and other facilities to all the teachers of Delhi ; and

(d) if so, what is the scheme and when it will come into force ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Government have taken no such decision so far.

(c) and (d). The Government school teachers in Delhi are already eligible for General Pool accommodation in their turn in accordance with the rules. They are also entitled to re-imbursement of medical expenses under the C. S. (M. A.) Rules. The question of providing separate housing facilities in place of General Pool accommodation for teachers and extension of Central Government Health Service Scheme instead of re-imbursement of medical expenses, as at present, is under consideration.

निजी थैलियों के सम्बन्ध में शाह-ईरान का परामर्श

599. **श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सेन :
श्री रा० की० अमीन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि शाहे-ईरान ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत के भूतपूर्व नरेशों के निजी थैलियों के सम्बन्ध में अपनी निजी राय तथा परामर्श दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में पहले ही इस सम्बन्ध में एक निर्णय ले लिया है और शेष के लिये सरकार के पास इस सूचित वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं है ।

केरल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लिया जाना

600. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जाने वाले मामलों को वापिस लेने का निर्णय किया है जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था;

(ख) क्या ऐसा करना केन्द्रीय सरकार के आदेशों की अवहेलना करना नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केरल सरकार ने अनिवार्य सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम, 1968 से उठे मामलों की वापसी के आदेश जारी करने का निर्णय किया है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से ऐसे मामले वापिस न लेने को कहा है क्योंकि इससे संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के वैधिक परिणाम निष्फल हो जायेंगे।

(ग) केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग तथा कार्यालय कानून के अनुसार उपयुक्त न्यायालयों में लोक-अभियोजक द्वारा मामले वापिस लिये जाने का विरोध करेंगे ।

मणिपुर, आसाम और नेफा के भागों को नागालैण्ड में मिलाया जाना

601. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने मणिपुर, आसाम और नेफा के भागों को नागालैण्ड में मिलाये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आसाम के कुछ क्षेत्रों के लिए नागालैंड के दावों से निपटने के हेतु एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव देते हुए नागालैंड के मुख्य मंत्री ने नागाओं से बसे हुए समीपवर्ती क्षेत्रों को नागालैंड में मिलाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया था। असम में कुछ क्षेत्रों के लिए नागालैंड के दावे के संबंध में एक सीमा आयोग की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है तथा मामले में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

Grant per Student to Universities

602. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the grants sanctioned by Government last year to various universities, the amount of grant per student works out to as low as Rs. 100 in some university and as high as Rs. 3,500 in another university; and

(b) if so, the reasons why Government do not fix the maximum amount of per capita grant ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Except in a few schemes, the grants sanctioned by the University Grants Commission are not related to the enrolment. These are determined on the basis of a number of factors such as the stage of development of the University, its needs, and the programmes to be undertaken by it.

Purchase of Air Bus

603. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have entered into an agreement with any country for the purchase of air-bus ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Uniform System of Primary Education

604. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Education** be pleased to state the reaction of the State to the request made by the Central Government to follow a uniform system of Primary Education as recommended by the Education Commission ?

The Minister of Education (Dr. V. K. R. V. Rao): The Education Commission had recommended that there should be a uniform system of primary education in the country in which good elements of basic education such as work experience and social service should be incorporated. This was circulated to State Governments along with other recommendations of the Education Commission. The recommendation has received general acceptance from the States.

Grant to U. P. for Giving Higher Pay Scale to Teachers

605. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri P. C. Adichan :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Hem Barua :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of additional grant proposed to be given by the Centre to Uttar Pradesh in view of the agreement entered into between the Uttar Pradesh Government and the Teachers Union regarding their pay scales following the agitation launched by the Higher Secondary Teachers Union in Uttar Pradesh ; and

(b) the steps taken by Government to settle the basic demands of the teachers ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No amount is proposed to be given by the Central Government to the State Government on this account.

(b) This is the concern of the Government of Uttar Pradesh who have attended to the demands.

मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन

606. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में हिन्दी विरोधी आन्दोलन की पुनरावृत्ति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकारी सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति

607. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त पंजाब से हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में रहने की इच्छा व्यक्त की है और उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पंजाब अथवा हरियाना में जाने की इच्छा व्यक्त की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : तत्कालीन पंजाब राज्य के 23,318 कर्मचारियों में से, जिन्हें अनन्तिम रूप से हिमाचल प्रदेश को आवंटित किया गया था, 4,647 कर्मचारियों ने पंजाब को अन्तिम रूप से आवंटित किये जाने के लिए अभ्यावेदन पत्र दिये हैं और 1,196 कर्मचारियों ने हरियाना को अन्तिम रूप से आवंटित किये जाने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं। शेष कर्मचारियों ने अपने आवंटनों में परिवर्तन के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं।

Ban on Fresh Recruitment of Hindi Stenographers

608. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a ban has been imposed on the fresh recruitment of Hindi Stenographers ;

(b) if so, the action being taken by Government for utilising the services and training of those Lower Division Clerks as Hindi Stenographers who have passed the examination of Hindi Stenography from the Central Secretariat Training Centre ;

(c) whether Government propose to issue instructions to all the Ministries in this regard so that the recruitment of Hindi Stenographers in future may be made from amongst the aforesaid trained employees ; and

(d) if not, the reasons therefor and other ways and means proposed to be devised by Government for utilising their Hindi training ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). In view of the large number of trained personnel already available or who will be trained in Hindi Stenography and Hindi typing, Ministries/Departments were advised in March, 1968 that no ex-cadre posts of Hindi Stenographers, Hindi Stenotypists or Hindi typists should be created thereafter and that the requirements for Hindi work should be met from among the Grade II Stenographers and Clerks trained in Hindi Stenography/Hindi typing.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम के लिये आरक्षित पद

609. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निहित नियमों का ब्योरा क्या है जिनके अन्तर्गत उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित पद आरक्षित किये जाते हैं;

(ख) उप शिक्षा सलाहकार, हिन्दी आशुलिपिक तथा संयुक्त शिक्षा सलाहकार के पद आरक्षित न करने तथा तकनीकी सहायकों के पद निश्चित कोटा से कम आरक्षित करने के क्या कारण हैं,

(ग) मंत्रियों के निजी स्टाफ में हिन्दी आशुलिपिकों के तीन पदों में से कितने पद स्थायी हैं और इन पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार की गई थी;

(घ) आशुलिपिकों के शेष दो पदों को आरक्षित न करने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार निकट भविष्य में तकनीकी सहायकों के कुछ और पदों तथा हिन्दी आशुलिपिकों के एक अथवा दो पद आरक्षित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने भर्ती का एक 40 पद का रोस्टर निर्धारित किया है। 20 पदों से कम, छोटे काडर के इक्के-दुक्के अलग-अलग पदों के मामले में, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिक्त स्थान पर्याप्त आवृत्ति में न हों, ऐसी ही श्रेणी और ऐसी ही स्तर, वेतन और योग्यताओं वाले पदों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो आरक्षण को अधिकतम दो भर्ती वर्षों के लिए आरक्षित रखा जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में संक्षेप में वर्णित गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार आरक्षण व भर्ती की जा रही है।

(ग) मंत्रियों के निजी स्टाफ में हिन्दी आशुलिपिकों के तीनों पद अस्थाई हैं। इन पदों पर नियुक्तियां मंत्रियों के विवेक पर की गई थीं।

(घ) शेष दो पद स्थायी हैं और इन्हें (क) में उल्लिखित रोस्टर के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के जरिए भरा जाता है।

(ङ) से (छ). सभी ग्रेडों में आरक्षण और भर्ती, उपर्युक्त (क) में वर्णित रोस्टर के अनुसार की जा रही है, जिसमें आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता की व्यवस्था है। इससे अलग जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Transfer of Staff in Education Ministry

610. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Senior Staff Council of the former Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs had taken a decision on the 22nd August, 1962, that an Assistant should be transferred to some other Section after working at one seat for more than five years ;

(b) if so, the reasons for not implementing this decision in the case of persons working as Parliament Assistants since 30th October, 1958 and the persons working at the same seat for more than five years ;

(c) whether the said decision is still in force ;

(d) if so, whether it is proposed to transfer the Assistants working at the same seat for more than five years in the Administrative Sections, other Sections and also in the Bureau ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e). The decision taken at the meeting of the Senior Staff Council of the erstwhile Ministry of SR and CA held on the 22nd August, 1962 merely gave the discretion to the Heads of the Divisions in that Ministry to transfer the individuals who had put in 5 years of service in a particular section, to some other section in the same Division. In other words, the transfer of the individual concerned was discretionary and was not obligatory.

With the merger of the staff of the erstwhile Ministry of SR and CA in the Ministry of Education in March, 1964, a common set of rules had to be made applicable to all the members of the staff alike in the combined set up of the Education Ministry. Presently, transfers of members of staff are made as and when they become necessary in the interest of public service.

The Parliament Assistant, has since been replaced.

एलोरा तथा अजन्ता गुफायें

611. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एलोरा और अजन्ता गुफाएं पर्यटक आकर्षण के मुख्य स्थान हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कला के इन दोनों संग्रहालयों की पर्यटन तथा पुरातत्वीय दोनों विभागों द्वारा उपेक्षा की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अजन्ता स्थित पर्यटक बंगले खानपान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ठेकेदार को दिये गये हैं और वहां की सेवा बहुत असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कला के इन संग्रहालयों की यात्रा करने तथा मौके पर अध्ययन के पश्चात् पर्यटक आकर्षण केन्द्रों के रूप में इनका सुधार करने के ढंग सुधारने के लिये सरकार का विचार संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां, लेकिन ठेकेदार बदला जा रहा है ।

(घ) सरकार का ऐसी समिति की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि संसद् की प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति दोनों ने ही अपनी अजन्ता व एलोरा की यात्रा के बाद सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये हैं ।

लन्दन के निकट विमान दुर्घटना

612. **श्री देवेन सेन :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहाल सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1969 को लन्दन के निकट हुई विमान दुर्घटना में 50 भारतीयों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस विमान दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) कितने भारतीयों को चोट आई तथा इन व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एरियाना अफगान एयर-लाइन्स का एक बोइंग विमान 5 जनवरी, 1969 को लन्दन के नजदीक गैटविक हवाई अड्डे पर विध्वंस हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिनका कि ब्योरा नीचे दिया गया है :—

भारतीय नागरिक		32
मूलतः भारतीय परंतु जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे	...	8
कर्मीदल के सदस्य	...	5
अन्य राष्ट्रिक	...	3

11 यात्री तथा 3 कर्मीदल के सदस्य मृत्यु ग्रस्त होने से बच गये ।

(ख) दुर्घटना का कारण निर्धारित करने के लिए यू० के० में सरकारी जांच कार्यवाही अभी चल रही है ।

(ग) दुर्घटना की तारीख को इंडियन हाई कमीशन का एक वरिष्ठ अधिकारी विध्वंस-स्थल देखने गया । उसी दिन वह बचे हुए व्यक्तियों को देखने अस्पताल भी गया । हाई कमिश्नर और उसकी पत्नी, हाई कमीशन के मेडिकल आफिसर को साथ लेकर, बचे हुए व्यक्तियों को देखने गये जिनका कि दो अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है । बचे हुए व्यक्तियों को दो अवसरों पर भारतीय खाना, मिठाइयां और खिलौने उपहार के रूप में भेजे गये । तब से हाई कमीशन का वेलफेयर आफिसर दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों को देखने अस्पताल जाता रहा है । हाई कमीशन ने दुभाषियों (इंटरप्रेटर्स) की सेवाएं भी प्रदान की हैं, तथा संबंधित एयरलाइन और इंश्योरेंस कंपनियों से मुआवजा मांगने की क्रियाविधि के बारे में परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है ।

Excavation Work by Archaeological Survey of India

613. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of places where excavations were conducted by the Archaeological Survey of India in 1967-68 ; and

(b) the number of coins of Gupta Period particularly of Samudra Gupta Period found as a result thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The following four sites were excavated by the Archaeological Survey of India during 1967-68 :

(i) Singanapalli, District Kurnool, Andhra Pradesh.
(ii) Payampalli, District North Arcot, Madras.
(iii) Burzahom, District Srinagar, Jammu and Kashmir.
(iv) Kalibangan, District Sriganganagar, Rajasthan.

(b) No Gupta coins were recovered from any of these excavations.

Allegation Against Certain Officers of Archaeological Survey of India

614. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Education** be pleased to state whether the Central Intelligence Bureau have collected certain evidence in regard to the corrupt practices indulged in by some of the officials of the Archaeological Survey of India and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : A statement was laid on the Table of the House on the 30th August 1968 in fulfilment of an assurance given in reply to the Unstarred Question No. 4581 answered on the 5th July, 1967.

A further statement will be laid on the Table of the House after collecting information in respect of other cases investigated by the C. B. I. since the Centenary Celebrations took place in 1961.

गैर-राज्यीय निवासियों पर प्रतिबन्ध

615. **श्री देवेन सेन** :
श्री समर गुह :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ज० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गैर-राज्यीय निवासियों द्वारा भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्ति के खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) ऐसे प्रतिबन्धों को लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड के अतिरिक्त किसी राज्य में गैर-राज्यीय निवासियों के सम्बन्ध में कोई ऐसे प्रतिबन्धों का सरकार को पता नहीं है। किन्तु बहुत से राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के हित में सम्पत्ति के अधिग्रहण करने, रखने अथवा बेचने पर उचित प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा के अतिरिक्त 22 दिसम्बर, 1968 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर में दी गई थी। महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से प्राप्त सूचना के अनुसार उन राज्यों में कोई ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं हैं। बिहार, केरल और तमिलनाडु से सूचना की प्रतीक्षा है।

तटवर्ती नौवहन उद्योग

616. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1967 में नियुक्त किये गये अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों के प्रकाश में तटवर्ती नौवहन उद्योग के पुनः स्थापन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : अध्ययन दल की सिफारिशें, जैसे कि राष्ट्रीय नौवहन मंडल ने अंगीकृत किया है, सरकार द्वारा जांच की जा रही हैं।

अन्दमान यातायात

617. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान यातायात की पूर्ति के लिये कुल कितने जहाजों (यात्री तथा माल दोनों) की आवश्यकता है ;

(ख) इनमें से अब कितने उपलब्ध हैं ; और

(ग) शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). यात्री व माल यातायात दोनों की आवश्यकतायें इन चार जहाजों से यथेष्टरूप से पूरी हो जाती है। दो यात्री व माल जहाज, एक माल जहाज और एक लकड़ी ले जाने वाला जहाज जो द्वीप व मुख्य द्वीप के बीच चलता रहता है।

National Highways in Maharashtra

618. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the action taken by Government in 1967-68 to improve the condition of the National Highways in Maharashtra State ; and

(b) the amount of money sanctioned for this purpose during the aforesaid year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : One hundred and nine works, estimated to cost Rs. 6.56 crores were in progress during 1967-68.

(b) A sum of Rs. 24.81 lakhs was allotted to the Government of Maharashtra during the year 1967-68.

Law on Conversion :

619. **Shri Deorao Patil :**
Shri R. K. Sinha :
Dr. Sushila Nayar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Orissa and Madhya Pradesh States have framed laws to check conversion of religion by force ;

(b) whether it is also a fact that the Christian Missionaries have opposed these laws very much ; and

(c) if so, the nature of their opposition ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. A reference is also invited to the reply given to Starred Question No. 574 on the 6th December, 1968.

(b) and (c). Some representations have been received to the effect that the provisions of the laws are inconsistent with the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution.

New Districts in Maharashtra

620. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government propose to form some new Districts in the State ;

(b) whether these Districts are being formed in response to a demand made by some christian, religious or racial organisations ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the reasons for forming new districts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). According to the information received from the Government of Maharashtra, no new district is being formed in response to demands from any christian, religious or racial organisations.

Pay Scales of Teachers in District Garhwal (U. P.)

621. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 927 on 15th November, 1968 regarding pay scales of teachers in District Garhwal (U. P.) and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the State Government ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Details were sent to the Department of Parliamentary Affairs on 17-2-1969 in the statement for fulfilment of the assurance given to the House.

(c) Does not arise.

Reversion of Teachers of Pauri-Garhwal

622. **Shri Shiv Charan Lal:** **Shri Onkar Singh:**
Shri Bansh Narain Singh: **Shri Sharda Nand:**
Shri Shri Gopal Saboo: **Shri Arjun Singh Bhadoria:**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1701 on the 22nd November, 1968 regarding reversion of teachers of Pauri-Garhwal and state:

(a) whether the necessary information has since been collected from the State Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not the reasons for the delay ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). The information is still awaited from the Government of Uttar Pradesh and the same will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Pauri-Devprayag Road

623. **Shri Shiv Charan Lal:** **Shri Onkar Singh:**
Shri Bansh Narain Singh: **Shri Sharda Nand:**
Shri J. Sunder Lal: **Shri Arjun Singh Bhadoria:**
Shri Shri Gopal Saboo:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5514 on the 23rd August, 1968 and state:

(a) whether the revised estimates in regard to the Pauri-Devprayag road have since been prepared by the Chief Engineer;

(b) If so, whether the same have been approved by the state Government;

(c) the time by which the construction work of the said road is likely to be undertaken; and

(d) if the construction work of the said road is not to be taken in hand, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (d). The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Construction of Satpuli-Banghat Bridge (U. P.)

624. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Sharda Nand :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Government have taken a decision to convert Satpuli-Banghat Bridge in Pauri Garhwal, Uttar Pradesh, into a permanent bridge ;

(b) if so, the time by which its construction work is likely to be completed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The anticipated target date of completion can be indicated only when the work has actually started after technical sanction to the detailed estimate for the work has been accorded by the State Chief Engineer. At present the estimate is being examined by him and he expects to accord necessary technical sanction to the work shortly.

(c) Does not arise.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

625. श्री नन्दकुमार सोमानी : श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : श्री रा० कृ० सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री प० मु० सईद :
श्री कृ० मा० कौशिक : श्री चं० चु० देसाई :
श्री म० ला० सोंधी : श्री ओंकार सिंह :
श्री रा० की० अमीन : श्री भारत सिंह चौहान :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स०कुन्दू : श्री महाराज सिंह भारती :
श्री एन० शिवप्पा : श्री बलराज मधोक :
श्री द० रा० परमार : श्री रणजीत सिंह :
श्री नंजा गौडर : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अदिचन : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री बे० कृ० दास चौधरी : श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री सेझियान :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री रामावतार शास्त्री :

श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :
श्री मधु लिमये :
श्री एम० आर० दामानी :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् के पिछले सत्र में पारित किये गये अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखने के विधेयक पर हुई चर्चा और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के, जिनमें विभिन्न राज्यों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, मामलों पर पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को इस बीच वापिस लिया गया या समाप्त किया गया है और उनमें से कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया है ;

(ग) किस-किस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों को बहाल किया गया है या आरोपों से मुक्त किया गया है और किस-किस प्रकार के मामलों में उन पर (i) विभागीय कार्यवाही की जा रही है और (ii) न्यायालयों में मुकदमें चलाये जा रहे हैं ;

(घ) जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अभी मामले विचाराधीन हैं उन्हें बहाल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या कर्मचारियों, विशेषकर वे जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के सेवा काल में गतिरोध न मानने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए 4 जनवरी, 1969 को मंत्रालय इत्यादि को हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) मंत्रालयों से कहा गया है कि वे उन कर्मचारियों के मामले में आगे कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न करें जो केवल अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत दोषी ठहराये गये हैं तथा जिनके मामले में उनके विभागाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि हड़ताल में कर्मचारी ने कोई उकसाने वाली कार्यवाही नहीं की थी और उसका कार्य केवल 19-9-68 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तक सीमित था । दूसरे शब्दों में, ऐसे कर्मचारियों को, यदि निलम्बित हों, बगैर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये ड्यूटी पर आने की इजाजत दे दी जाय । इसी प्रकार, अनुदेश जारी किये गये हैं कि मुख्यतः अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत एक अपराध के लिये गिरफ्तार कर्मचारी को निलम्बित न किया जाय या केवल इसी बात पर उसका निलम्बन जारी न रखा जाय ।

(ङ) मंत्रालयों को उन व्यक्तियों के मामलों का पुनरीक्षण करने के अनुदेश जारी किये गये हैं जो सेवा निवृत्ति के निकट हैं। प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात् विच्छेद भंग करना मंत्रालयों/विभागों पर है।

दिल्ली में मद्य-निषेध दिवस सम्बन्धी प्रतिबन्ध

626. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री द० रा० परमार :
श्री नंजा गौडर :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1968 एक मद्य-निषेध दिवस था ;

(ख) क्या उस दिन लगाये गये प्रतिबन्ध विदेशियों तथा विदेशी पर्यटकों पर भी लागू होते थे ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने जिला अधिकारियों की इस कार्यवाही पर आश्चर्य व्यक्त किया है जिससे नव-वर्ष दिवस पर विदेशी पर्यटकों को भी मद्य-सेवन न करने के लिये वाध्य होना पड़ा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि शराब की फुटकर दुकानें मद्य-निषेध दिवसों पर बन्द रहती हैं, फिर भी विदेशी यात्रियों को मद्य-निषेध दिवसीय प्रतिबन्ध प्रभावित नहीं करते क्योंकि उन्हें उन दिनों में भी उन होटलों पर शराब मिल सकती है जिन्हें इसके लिये लाइसेंस मिले होते हैं।

(ग) और (घ). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

सड़क आयोजना सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

627. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री रा० वें० नायक :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन .
श्री एन० शिवप्पा :
श्री द० रा० परमार :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व सड़क आयोजना सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं ; और

(ग) सलाहकार समिति द्वारा किये गये काम का ब्योरा क्या है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति की प्रथम बैठक 2 जनवरी 1969, को हुई । उसमें समिति ने 1969 की वार्षिक योजना सहित चौथी योजना के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सड़क आवश्यकताओं की समीक्षा की ओर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग योजनाओं की प्राथमिकताओं और उनके क्रमों को स्वीकृति दी । उसने अंतर्राज्यीय सड़कों, कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं और क्रमों और राज्य सड़कों के विभिन्न वर्गों के समेकित विकास के प्रश्न की जांच करने के लिए एक उप-दल की नियुक्ति की । समिति ने ग्रामीण सड़कों के संबंध में पारस्परिक प्राथमिकता के प्रश्न की ओर आगे जांच करने की सिफारिश की । इसके अतिरिक्त समिति ने सामरिक सड़कों के विकास और रख रखाव से संबंधित विभिन्न मामलों की भी जांच की ।

नक्सलवादियों में परिचालित गुप्त दस्तावेज

628. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० वें० नायक :
श्री नंजा गौडर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1968 के "इंडियन एक्सप्रेस" के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'नक्सलवादियों में आन्तरिक-चर्चा' के लिए एक दस्तावेज परिचालित की जा रही है । जिसमें कृषकों को गोरिल्ला लड़ाई में प्रशिक्षित करने के लिए 16 में से 8 राज्यों में 50 लाख सेना दल के अड्डे स्थापित करने का दावा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच करवाई है कि गुप्त दस्तावेज प्रमाणिक है अथवा नहीं ; और

(ग) उंसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेफा, मनीपुर, हिमाचल प्रदेश, पांडीचेरी, चण्डीगढ़, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों में और पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मैसूर, गुजरात, उड़ीसा, और आन्ध्र

प्रदेश राज्यों में ऐसे किसी दस्तावेज के परिचालन की सूचना नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के श्री एस० मजूमदार द्वारा जारी किया गया तमिल में एक साइक्लोस्टाइल दस्तावेज पाया गया है जिसमें तामिलनाडु के उग्रवादियों से कृषकों में सशस्त्र अड्डे बनाने के लिये अपील की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम तथा राजस्थान सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है।

मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन

629. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैक्सिको ओलम्पिक में भारतीय दल द्वारा अच्छा खेल न दिखाये जाने के कारणों के बारे में अखिल भारतीय खेल परिषद् का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के अनुसार इसके क्या कारण थे ;

(ग) सुधार हेतु परिषद् द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस विषय पर इस परिषद् के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से कोई जांच कराई है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी नहीं। मामला अभी तक अखिल भारतीय खेल परिषद् के विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं। भारत सरकार, इस मामले में, अखिल भारतीय खेल परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार कदम उठाएगी।

कोवालम (केरल) में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र

630. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोवालम को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने संबंधी ब्योरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) क्या कोवालम में प्रस्तावित होटल इंडिया के डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो होटल का निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). कोवालम प्रायोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया है। एक ख्याति-प्राप्त आर्किटेक्ट चुना गया है और उसके द्वारा तैयार की गयी प्लानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। प्रायोजना की रिपोर्ट पूरी हो जाने पर इसके प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जायेगा, और 'एक्सपेंडिचर फिनान्स कमेटी' से समस्त रूप से स्वीकृति मिल जाने के बाद इसका निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा।

रात में नौवहन की सुविधायें

631. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात में कुछ पत्तनों पर नौवहन की सुविधायें प्रदान करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इन पत्तनों का नाम क्या है तथा इस योजना की क्रियान्विति में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) योजना के उद्देश्य क्या हैं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई और कलकत्ता पत्तनों में बिना किसी प्रतिबंध के रात्रि नौचालन सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। मद्रास पत्तन में रात्रि नौचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिवाय जवाहर गोदी में जहां कनहारी 6 बजे प्रातः से 10 बजे सांय तक की जाती है कनहारी पूरे 24 घंटे तक की जाती है। कोचीन पत्तन में कनहारी मध्यरात्रि तक की जाती है और शीघ्र ही नियमित रात्रि कनहारी शुरू करने का प्रस्ताव है। कांडला पत्तन में रात में नौचालन मध्य रात्रि तक पहले से है इस समय मध्य रात्रि के बाद से प्रतिबंध है क्योंकि भीतरी जलमार्ग में चट्टान रोध का चौड़ा करने और गहरा करने का कार्य अब भी प्रगति पर है। मारमागाओ के संबंध में पत्तन का नौवहन कर्ष नाव मिलने के बाद पत्तन रात्रि नौचालन के लिये खोला जा सकता है।

(ग) रात्रि नौचालन के लिये सुविधाएं देने का मुख्य उद्देश्य माल को जल्दी-जल्दी बहन करना तथा सुधरे नौवहन विरामकाल को सुनिश्चित करना है।

Medium of Instruction in Central Schools

632. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the medium of instruction in the Central Schools run by the Central Government in various parts of the country is English in all classes except Class VI

and that English is taught from Class I and special emphasis is laid on the teaching of English ;

(b) if so, whether it is because of the fact that his Ministry is in favour of promoting the use of English and it considers Hindi as the secondary language for all practical purposes ;

(c) the extent to which the Central Schools are suitable for the children of those employees whose children study in the Hindi medium schools in Hindi-speaking States and in Delhi and who are transferred to non-Hindi-speaking areas ;

(d) whether Government propose to make Hindi as the medium of instruction for all classes in all the Central Schools as is the case with the Higher Secondary Schools in Delhi so that the children of Government employees may easily be admitted in the Central Schools ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The scheme lays down that the medium of instruction in Central Schools should be Hindi and English ; and Hindi and English are taught from class I itself with equal emphasis.

(c) For the children studying in Hindi medium schools and seeking admission in Central schools in classes in which English is the medium of instruction, special efforts are made to make up the deficiency by holding remedial and special classes.

(d) and (e). The policy indicated in part (a) of the Question is under implementation for the present.

Language of Ministries Reports and Hindi Replies to Parliamentary Questions

633. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the comment of their Hindi Adviser that the language of reports of various Ministries lack liveliness and fluency and that it is not pleasant to the ears and similarly the language of Hindi translations of replies to Parliamentary questions are generally artificial and lifeless ;

(b) if so, whether Government propose to create a unit under the Hindi Adviser to coach Hindi Assistants and Translators working in the different Ministries to enable them to write simple Hindi ; and

(c) whether Government propose to grant pay scale of Rs. 325-575 to the Hindi Assistants in view of the Hindi Adviser's opinion regarding attaching of more importance to translation work than to work done by Assistants in English ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No such proposal is under consideration.

(c) No, Sir. No future recruitment to the posts of Hindi Assistant is to be made. For translation work Translators are to be appointed. The scales of pay for these posts vary from the minimum of Rs. 210 to 325 and the maximum of Rs. 425 to 575, respectively, depending on the requirements of the work being handled in different Ministries/Departments.

Government Publications in Hindi

634. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to an order of his Ministry, all the publications of the Government of India should be published in Hindi and English both ;

(b) if so, the names of the publications of his Ministry, which are being brought out in Hindi also and whether his Ministry propose to set an example for other Ministries to follow, by bringing out in Hindi such publications as are being brought out in English at present ;

(c) the names of the publications brought out by various Ministries and the names of those, among them, which are being brought out in Hindi ; and

(d) the time by which the remaining publications are likely to be brought out in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-74/69]**

(c) and (d). This information regarding Administrative and other reports published during 1968 and official papers laid before a House or the Houses of Parliament during this period by the various Ministries/Departments is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

विशाखापत्तनम में बड़ी क्रेनों की कमी

635. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में जहाज के निर्माण के कार्य में बड़ी क्रेन के अभाव के कारण बड़ी रुकावट पड़ रही है ;

(ख) क्या अपेक्षित क्रेन के अभाव में बड़े आकार के जहाजों का निर्माण नहीं किया जा सका है ; और

(ग) इस अपेक्षित क्रेन को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). मौजूदा उपस्करों और सुविधाओं से शिपयार्ड प्रत्येक 12,500 डी० डब्लू० टी० के तीन जहाजों को प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता रखता है। इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये पुनर्गठन तथा नवीनीकरण के लिये यार्ड ने विकास कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम में

कारखाने में नये उपस्करों का अधिग्रहण जेटी और बर्थों पर क्रेन की सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। सरकार ने कुछ मशीनें व उपस्करों के मुद्दे जो अत्यन्त आवश्यक हैं और जिनमें 40 टन से 50 टन तक की क्षमता वाले तीन क्रेन भी शामिल हैं उनका अर्जन स्वीकृत कर लिया है। शिपयार्ड ने इन क्रेनों को अधिग्रहण की पहल कर दी है। इसके अतिरिक्त दूसरे 60 टन क्रेन के अर्जन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

636. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वेतन आयोग का प्रतिवेदन किस तारीख को दिया गया था और उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) क्या आयोग का प्रतिवेदन कर्मचारियों की मांगों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है और वे अब तक अन्य आयोग स्थापित करने की मांग कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब वेतन आयोग ने 1-11-1968 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य सिफारिशें वेतन-मानों, महंगाई वेतन को एक प्रथक तत्व के रूप में समाप्त करने तथा वेतन का संशोधित वेतन-मान में अंश से अंश तक के अधार पर पुन: निर्धारण से थी अन्य सिफारिशें भी थीं जिनमें संवर्गों का पुनर्गठन, वर्गीकरणों का समाप्त करना, भर्ती-पद्धतियों में परिवर्तन करना ख और ग श्रेणी अधिकारियों के अन्तर को समाप्त, निर्धारित अर्हताओं का पुनरीक्षण करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मामलों को छोड़कर, जहां ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप अनियमितताएं होंगी, संशोधित वेतनमानों से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। महंगाई वेतन तथा संशोधित वेतनमानों में वेतन के पुर्ननिर्धारण से सिफारिशें भी स्वीकार कर ली गई हैं। श्रेणी ख और ग अधिकारियों के बीच के अन्तर को समाप्त करने के संबंध में सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी। सेवाओं के वर्गीकरण की समाप्ति के बारे में सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। अन्य सिफारिशों की अभी परिक्षा की जा रही है।

(ग) ऐसे किसी मांग के प्राप्त होने की सूचना नहीं मिली है। क्या आयोग के प्रतिवेदन के कर्मचारियों के मांगों तथा आकांक्षाओं को पूरा किया है या नहीं, इस प्रश्न पर पंजाब सरकार अब विचार करेगी।

नर बलि

637. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री देवेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री किकर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 के मध्य में मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में एक सात वर्ष के लड़के की बलि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) यह बलि किन परिस्थियों में दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Knowledge of Hindi for Officers in the Central Secretariat

638. **Shri Ram Charan :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was stated at the Conference of Hindi Officers held under the auspices of his Ministry on the 12th May, 1967 that except a few, all Officers from top to bottom in various Ministries/Departments know Hindi but all the work is carried on in English because a few officers do not know Hindi ;

(b) if so, whether Government intend to issue an order on the basis of which it would be sufficient for such an Officer to understand the meaning of the note written in Hindi from his colleagues with a view to solve the problem ;

(c) if so, by what time it is likely to be issued ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It was mentioned at this Conference that if in a particular official hierarchy, one officer in the chair did not know Hindi, all work in that Organisation had of necessity to be carried on in English only.

(b) to (d). Instructions already exist that simple or short notes/letters in Hindi should be got orally explained with the help of the personal staff or otherwise ; in other cases a translation or precis must be provided if an employee does not possess a working knowledge of Hindi.

दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय

639. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री बलराज मधोक :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रा० की० अमीन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवचरण लाल :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में एक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय के लिये सरकार ने स्थान का चयन कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके लिये कितना धन नियत किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अब कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर

640. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक संस्था कानपुर के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कानपुर तथा अन्य भारतीय टेक्नोलोजी संस्थाओं के कामकाज का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है ।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के श्रेणी 1 के अधिकारी

641. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उनके मंत्रालय के श्रेणी एक के ऐसे कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया था जिन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था ;

(ख) वर्ष 1968 में उनके मंत्रालय के श्रेणी एक के कितने अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पुनः नियुक्त किया गया ;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) उनका सेवाकाल बढ़ाये जाने अथवा उन्हें पुनः किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जहां तक परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का संबन्ध है ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें श्रेणी 1 के किसी अधिकारी को 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा काल में वृद्धि मिली हो या जिसे पुर्ननियुक्त किया गया हो ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

642. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पर्यटन तथा सैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में नई दिल्ली के अशोक होटल्स लिमिटेड के कार्य-करण का मूल्यांकन किया है ;

(ख) इस अवधि में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकारी उद्यम विषयक समिति ने अशोक होटल्स लिमिटेड के कार्यचालक की जांच की और अप्रैल, 1968 में अपनी रिपोर्ट दे दी । उसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त सरकार ने और कोई मूल्यांकन नहीं किया है ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन को अपने हाथ में लेना

643. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री श्रीधरन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री इंडिया आफिस लाइब्रेरी को अपने हाथ में लेने के बारे में 6 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 598 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित न्यायाधिकरण के निर्देश पदों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक सहमत हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 6 दिसम्बर, 1968 को दिये गये उत्तर में बताई गई स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है ।

(ख) इस समय यह बताना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा ।

एयर इण्डिया द्वारा होटल उद्योग में शामिल होना

644. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री बाबू राव पटेल :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने होटल उद्योग में शामिल होने का निर्णय किया है ;

(ख) यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया है ;

(ग) आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ये परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र के भारतीय पर्यटन विकास निगम को, जिसने होटल उद्योग का विकास किया है, सौंप दी जायें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). एयर इण्डिया का बम्बई में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर तथा 1 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल जुहू बीच पर बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) एयर इण्डिया जैसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियां अपने विमानों में खानपान प्रबन्ध के लिए उड़ान-पाकशालाओं (फ्लाइट किचन्स) की व्यवस्था तथा न केवल अपने कार्मिकों के लिये अपितु यात्रा के दौरान मार्ग में ठहरने वाले यात्रियों के लिये भी आवास की व्यवस्था का आयोजन चाहती हैं। कई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों के अपने ही होटल अथवा होटल-श्रृंखलाएं हैं ।

(घ) जी नहीं। भारत में होटल आवास व्यवस्था की कमी को दृष्टि में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम अपनी ही होटल प्रायोजनाओं में पूर्णतया व्यस्त रहेंगे। अतः भारत पर्यटन विकास निगम के प्रयत्नों के अनुपूरक जो कोई भी उपक्रम होंगे, चाहे वे निजी क्षेत्र की ओर से अथवा एयर इण्डिया जैसी एयरलाइन की ओर से हों, उनका स्वागत किया जायेगा।

तंजौर दुर्घटना में हरिजनों का जलाया जाना

645. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री कृ० मा० कौशिक :
डा० सुशीला नैयर :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० लकप्पा :
श्री लताफत अली खां :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री अदिचन :
डा० कर्णी सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए० दीपा :
श्री देव राव पाटिल :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री रवि राय :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तंजौर जिले के किल वेनमनी गांव में हुई दुर्घटनाओं के बारे

में जांच की है जिनमें 42 हरिजनों की जल जाने से मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो घटनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन घटनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार के स्तर पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उक्त घटनाओं के अत्याचारों में जिन हरिजनों के प्राण बच गये हैं क्या सरकार ने उन्हें कोई सहायता दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 25 दिसम्बर, 1968 को शाम के लगभग साढ़े सात बजे, जबकि जिला तंजौर के किलवेनमनी गांव के किसानों ने लगभग 20 कृषक मजदूरों पर आक्रमण किया, जबकि वे फसल काट कर वापस आ रहे थे। इस आक्रमण में मजदूरों में से एक की मृत्यु हो गई जब कि बाकी इरुकाई और इरिंजुर गांवों में बच कर भाग गये। किसानों ने कुछ घरों पर भी आक्रमण किया जिनमें मजदूरों ने आश्रय लिया था। इरुकाई और इरिंजुर के ग्रामवासी बदले की भावना से घातक हथियार तथा आग्नेयास्त्रों से लैस होकर किलवेनमनी गांव में आये और उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया। उन्होंने एक घर के पिछले कमरे में आग लगाई जिसमें गांव की स्त्रियां और बच्चे छिपे थे। दूसरे दिन प्रातः जल्दी ही यह पता चला कि 42 व्यक्ति जलकर मर गये, जिनमें 3 पुरुष, 19 स्त्रियां और 20 बच्चे थे।

(ग) घटनाओं के सम्बन्ध में दर्ज मामलों की जांच पुलिस के उप महानिरीक्षक के चार्ज में राज्य सरकार का गुप्तवार्ता विभाग कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने उस क्षेत्र में तनाव जारी रहने के परिणामस्वरूप किसी हिंसात्मक घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सलाह दी है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। बताया गया है कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिये कार्यवाही की है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को पुनः मान्यता देना, और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामलों का वापिस लिया जाना

646. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीसंघ को पुनः मान्यता देने तथा 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस सम्बन्धी मामले वापिस लेने के प्रश्नों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों को, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, पुन: मान्यता देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। उन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामलों के वापिस लेने के प्रश्न पर विचार किया गया है जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मुकदमें वापिस न ले लिये जायं, जहां प्रथम दृष्टि में कर्मचारियों के विरुद्ध सामग्री विद्यमान है ।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों को, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया, पुनः मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है, अतः मामले में निर्णय लिये जाने के सम्भावित समय के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में शिक्षा के लिये धनराशि का नियतन

647. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री जि० मो० विस्वास :**
डा० रानेन सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए नियत की गई 1,300 करोड़ रुपये की राशि में कटौती कर के 850 करोड़ रुपये कर देने से प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ा है :

(ख) क्या यह सच है कि संसाधनों को इतना कम करने से प्राइमरी शिक्षा की प्रगति की वर्तमान गति बनाये रखना भी असम्भव हो जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के लिये स्थानीय संसाधन जुटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिये चौथी योजना में अब 809 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। संसाधनों में इस कमी से शैक्षिक विकास के सभी क्षेत्रों और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) तीसरी योजना में, प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक बच्चों की भर्ती में 147.3 लाख की बढ़ोत्तरी—349.9 लाख (अथवा 6—11 वर्ष तक के आयु वर्ग की आबादी का

62.4 प्रतिशत) से 497.2 लाख (अथवा तदनुसार आयु वर्ग का 75.6 प्रतिशत) हुई। चौथी योजना में अतिरिक्त भर्ती कम अर्थात् 123.1 लाख होगी और 6—11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल आबादी की तुलना में पहली-पांचवीं कक्षाओं में भर्ती की प्रतिशतता 77.9 से केवल 84.9 तक बढ़ेगी।

(ग) और (घ). केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों को बढ़ाया जाए। प्रस्ताव की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है जो इस सिफारिश की जांच पड़ताल कर रही हैं।

Activities of Girijans in Andhra Pradesh

648. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Gadilingana Gowd : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Girijans in Andhra Pradesh have adopted the path of indulging in terror inspiring incidents ; and

(b) the details of such incidents and the remedial measures taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the State Government, the Girijans in the Agency area of Srikakulam District had indulged in acts of violence during the first quarter of last year. Due to stern action taken by the Government, there was a lull in their activities. However, the Girijans, under instigations from the extremists have revived their unlawful activities from November, 1968. Since November 24, 1968, there have been 15 incidents involving raids, looting and confrontation with police parties. Cases have been registered and are being investigated. State Government have also intensified the combing operations in the hilly tracts to apprehend the accused persons. Apart from measures to restore confidence in the minds of the people, the State Government have also taken the following steps to improve the general conditions of the Girijans in the area :

(1) A special Deputy Collector has been appointed to inquire into the agrarian disputes and cases of illegal eviction of girijans by non-girijans and to take necessary measures for safeguarding the legitimate interests of the tribals.

(2) A forest Range Officer has been appointed to look into the complaints of tribals regarding forest matters.

(3) The Scheduled Tribals Corporation has been instructed to provide increased employment to the Girijans.

(4) Special steps are being taken to improve communications and medical facilities in the Agency areas.

(5) A long range policy for the development of agency areas in the State has been evolved with a view to ensure the promotion of the welfare of the Tribals.

(6) Special cells at the State and District levels, have been created to ensure that the grievances of these weaker sections are redressed speedily and that the benefit of the various measures undertaken by Government are secured to them fully.

Gwalior on Air Route

649. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the people, institutions and representatives of Madhya Pradesh, have made any request to Government to bring Gwalior city of Madhya Pradesh on air-ruote and, if so, the action taken by Government thereon ; and

(b) whether Government have under consideration any proposal to bring places like Raipur, Bilaspur, and Rewa in Madhya Pradesh on the air-route ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Representations have been received for airlinking Gwalior. The Indian Airlines propose to introduce a service to Gwalior in their ensuing summer schedule effective April, 1969.

(b) The Indian Airlines are considering a proposal to airlink Raipur when their fleet position improves. They have no proposal at present to airlink Bilaspur or Rewa.

गांवों में सड़कों का विकास

650. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों योजनाओं के दौरान गांवों में सड़कों के विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गांवों में सड़कों के विकास के लिये कोई संगठन स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). ग्रामीण सड़कों के विकास और रख रखाव के लिए राज्य सरकारें मुख्यत: जिम्मेदार हैं । तीन योजनाओं के दौरान ग्रामीण सड़कों (अन्य जिला सड़कों और ग्राम सड़कों) के निर्माण में हुई प्रगति नीचे की सारणी में दी गयी है :

वर्ष	ओ० आर० डी०	वी० आर०	कुल योग
		लाख किलो मीटरों में	
1950-51	0.81	1.66	2.47
1955-56	0.87	2.42	3.29
1960-61	1.01	3.83	4.84
1965-66	1.22	5.59	6.81

ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई संस्था स्थापित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी संस्थाएं मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जानी चाहिए।

कलकत्ता पत्तन का विकास

651. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री अदिचन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री कं० हाल्दर :**
डा० रानेन सेन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावों पर अनुमानित लागत कितनी आयगी ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम में तिरते जहाजों के मौजूदा बेड़े और उपस्कर को बदलना और सूखी गोदी के लिए सुविधाओं में सुधार, कलकत्ता पत्तन में जहाजों की मरम्मत, हल्दिया में गहरा डुबाव, गोदी पद्धति की पूर्णता और फरक्का बांध परियोजना से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिये भागीरथी और हुगली नदियों में कुछ सुधार-कार्यों को करना, शामिल है।

(ग) कलकत्ता पत्तन की चौथी योजना के कार्यक्रम की अनुमानित लागत नीचे दी गयी है :

	करोड़ रु० में
कलकत्ता पत्तन	5.86
हल्दिया गोदी	40.52
भागीरथी/हुगली नदी साध कार्य	8.64
	55.02

भूकम्प की भविष्यवाणी

652. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका ध्यान डा० एल० मानसिन्हा तथा एक और व्यक्ति के अनुसन्धान कार्य के बारे में 13 दिसम्बर, 1968 की 'टाइम' पत्रिका में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बड़े भूकम्प से पहले पांच से बीस दिन के अन्दर पृथ्वी की धुरी के अपने स्थान से हटने के भविष्य में भूकम्प की भविष्यवाणी की जा सकेगी ; और

(ख) क्या मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उसकी जांच की गई है और क्या भारत में भूकम्प के सम्भव स्थान का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए कोई अग्रेतर अनुसन्धान किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के मत में उक्त लेख में सुझायी गयी विधि अपने आप में किसी भूकम्प के समय व स्थान के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । विश्व के कुछ उन्नत देशों में भूकम्प विषयक भविष्यवाणी के लिए सम्भव उपाय निकालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । तथापि, इससे पहले कि इस प्रकार की किसी भविष्यवाणी का प्रयास किया जाय, काफी काल तक गम्भीर अनुसंधान एवं क्षेत्रकार्य किया जाना होगा । इस प्रकार के वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए विपुल वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिये इन्हें हाथ में लेना सम्भव न हो पायेगा जब तक कि अन्य देशों में इस क्षेत्र में कुछ और प्रगति नहीं हो जाती ।

पारादीप बन्दरगाह तक सीधा (एक्सप्रेस) मार्ग

653. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप बन्दरगाह तक सीधा (एक्सप्रेस) मार्ग बनाने में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ख) एक्सप्रेस मार्ग के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). पारादीप पत्तन को जाने वाली 'एक्सप्रेस वे' एक राज्य सड़क है और इस एक्सप्रेसवे से सम्बद्ध सब मामलों से उड़ीसा राज्य सरकार सम्बन्धित है । अपेक्षित सूचना उस सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़तालों पर प्रतिबन्ध

654. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में सरकारी तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं द्वारा हड़ताल पर विधान और अथवा परम्परा द्वारा रोक लगी हुई है;

(ख) जिन देशों में हड़तालों पर रोक नहीं है क्या वहां हड़तालों पर कोई अन्य प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, पाकिस्तान, थाइलैण्ड, मलेशिया तथा कनाडा के कुछ भाग ।

(ख) जी हां, केवल संयुक्तांग्ल राज्य के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है ।

(ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 75/69]**

Aligarh Muslim University

655. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether he has received complaints against the internal management of the Aligarh Muslim University ;

(b) if so, the nature of the complaints ; and

(c) whether any more efforts are being made to give a national character to this University ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Yes, Sir. The complaints generally refer to appointment or retention in employment of people who have reached the age of superannuation.

(c) The University already enjoys a national character.

Introduction of Bills in Hindi

656. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which the authorised version of Bills and Rules is likely to be made available in both English and Hindi in Parliament ;

(b) whether any proposal to amend the Constitution is also under consideration of Government in this connection ; and

(c) if so, the time by which a final decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It is not possible to indicate as to when Government would be in a position to do this as a number of problems connected with the introduction of all Bills in Hindi also still remain to be satisfactorily resolved.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

देश की आन्तरिक सेवाओं में इण्डियन एयरलाइन्स के फालतू यात्रियों को एयर इण्डिया द्वारा ले जाया जाना

658. **श्री श्रीधरन** :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के बीच व्यवस्था कर दी गई है जिसके अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स की आन्तरिक सेवाओं के फालतू यात्रियों को एयर इण्डिया द्वारा ले जाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विमान सेवाओं पर इण्डियन एयरलाइन्स के यात्रियों की प्रतीक्षा सूचियों में इस व्यवस्था से कितनी कमी हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). जी, हां। सरकार द्वारा जारी किये गये एक निदेश के आधार पर निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

(i) एयर इण्डिया अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दिल्ली-बम्बई, बम्बई-कलकत्ता और बम्बई-मद्रास सेक्टरों पर एकानोमी क्लास में देशीय यात्री ले जायेंगे ।

(ii) इण्डियन एयरलाइन्स ऐसी सीटों के टिकटों की बिक्री के लिए इस आधार पर उत्तरदायी होगा कि इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर उपलब्ध सीटों के टिकटों की बिक्री पहले की जायेगी और इसके बाद एयर इण्डिया की उड़ानों पर उपलब्ध सीटों के टिकटों की बिक्री की जायेगी । यह भी मान लिया गया है कि जब तक एयर इण्डिया की उड़ानों पर उपलब्ध सीटों के टिकट नहीं बेचे जाते, किसी को भी प्रतीक्षा-सूची (वेटिंग लिस्ट) में नहीं रखा जायेगा, तथा किसी यात्री विशेष को प्रतीक्षा-सूची में तभी रखा जायेगा जब कि वह इण्डियन एयरलाइन्स की किसी खास उड़ान के लिए अपने को उक्त सूची में रखना पसन्द करता हो ।

(iii) एयर इण्डिया अपनी सेवाओं पर यात्रा कर रहे देशीय यात्रियों को भूमि पर लाने ले जाने की व्यवस्था करने (ग्राउण्ड हैंडलिंग) के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(ग) इस प्रबन्ध के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तीन सेक्टरों पर कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं रही है ।

दिल्ली में कर

659. **श्री श्रीधरन :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री अदिचन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव बिजली और जल पर शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय करों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1967 में पिछले आम चुनाव के समय पर लगे करों की तुलना में इस समय कर कैसे हैं और इस वर्ष कितने कर बढ़ाने का प्रस्ताव है तथा इनसे दिल्ली के लोगों के जीवन निर्वाह व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने (I) कुछ मदों पर बिक्री-कर में तथा (II) मोटर वाहन कर में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली नगर निगम ने सम्पत्ति कर, जल और बिजली शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय किया है।

(ख) (I) शुद्ध रेशमी कपड़े पर बिक्री-कर, (II) सूती तागे पर बिक्री-कर, (III) मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) इनके विवरण परिशिष्ट "ए" में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 76/69]

Secretary to Coordination Committee for Publication of Books

660. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :**

Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether an Officer has been appointed as a Secretary of the Co-ordination Committee constituted in regard to the programme of publication of books by the Central Government involving crores of rupees ;

(b) if so, the details regarding his qualifications, suitability and experience ;

(c) whether charges of financial irregularities have been levelled against him ;

(d) whether another suitable person is proposed to be appointed in his place through the U. P. S. C. ; and

(e) if so, when ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). An arrangement has been made whereby the Commission for Scientific and Technical Terminology provides the secretariat assistance to the standing committee of Vice-chancellors of Hindi speaking States on book production programme at the university level in Hindi. Consequently an officer of the Commission has been detailed to act as Secretary of the standing committee in addition to his own duties as Principal Publication Officer. He is an M. Sc. in Mathematics and Ph. D, and has experience in publication work.

(c) Mention has been made in the audit report about some financial irregularities in the Publications Unit under him and the matter is under examination.

(d) and (e). As no separate post of Secretary has been created, the question of filling the same with nominee of U. P. S. C. does not arise.

Charter of Demands from Madhyamik Shikshak Sangh

661. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Ranjit Singh** :
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government had received some time back a charter of demands from the Madhyamik Shikshak Sangh ;

(b) if so, their main demands ; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The main demands were :—(1) Parity in the pay scales and D. A. to teachers of aided and Government institutions ; (2) implementation of pay scales recommended by Kothari Commission.

(c) The matter has been settled between the teachers and the State Government.

Semester System of Examination in Meerut University

662. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Ranjit Singh** :
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received information in regard to the merits and demerits and the result of Semester system of examination introduced in the Meerut University ;

(b) if so, the main advantages and disadvantages of the said system ;

(c) whether it is proposed to introduce the aforesaid system in other Universities also ; and

(d) if so, the names of those Universities and the time by which the said system is proposed to be introduced ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No evaluation report on the Semester system introduced in the Meerut University has been received.

(b) Does not arlse.

(c) and (d). It is for the Universities, which are autonomous bodies, to decide about the adoption of the system or not. However, the University Grants Commission has appointed a Committee to outline the principles and mechanics of the Semester system, which, if approved by the Commission, will be circulated to the Universities for their information and guidance.

उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

663. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
श्री गाडिलिगन गौड : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1968 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे;

(घ) इनमें से कितने मामले पांच वर्षों या इससे अधिक समय पहले के थे तथा उनके सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा हो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्, इलाहाबाद तथा आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों को छोड़कर ।

(ख) अधिक मुकदमें तथा न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या बकाया काम के जमा होने के मुख्य कारण बताये जाते हैं :—

(ग) सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 77/69**]

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) राज्य अधिकारियों को निम्नलिखित उपाय करने का परामर्श दिया गया है :—

(i) दायर किये गये मुकदमों तथा निपटान तथा पूरा किये जाने वाले बकाया काम को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या जितनी आवश्यक समझी जाय बढ़ाई जाये ।

(ii) उच्च न्यायालय में रिक्तियां बिना किसी विलम्ब के भरी जायें ।

(iii) जब कभी कार्य कर रहे एक न्यायाधीश को दूसरे कार्य पर बदला जाता है और उसके 6 महीने में उच्च न्यायालय में वापिस आने की सम्भावना नहीं है तो उसके स्थान पर एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ आधार पर न्यायाधीश नियुक्त किया जाये ताकि उच्च न्यायालय के काम का हर्जा न हो ।

गत दो वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के पदों को स्थायी न्यायाधीश के पदों में बदल दिया गया है । अधिकांश न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी, जितनी आवश्यक समझी गई, बढ़ा दी गई है ।

Translation Work by Central Hindi Directorate

664. **Shri Beni Shanker Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the decision to get the translation work, entrusted to the Central Hindi Directorate, done from outside, sanction is constantly being taken to continue some **ad-hoc** translation cells of the Directorate;

(b) if so, the details of those cells and the period up to which they have been sanctioned now;

(c) whether Governmer t propose to take necessary action in order to avoid this double expenditure; and

(d) if not, the reasons therefor; and

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao). (a) and (b). The decision is to give out translation work other than secret and restricted material as far as possible to private translators on payment. Translation of restricted material is undertaken by the Central Hindi Directorate itself besides the translation of appropriation accounts and audit reports of five Hindi speaking States. As the translation of appropriation accounts and audit reports is an **ad-hoc** assignment, a temporary cell in the Directorate for this purpose was created and the present sanction is up to 28th February, 1969.

(c) and (d). The question does not arise.

Hindi in Punjab

665. **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the minorities in Punjab still enjoy the safeguards to study Hindi and use it;

(b) if not, the action proposed to be taken by Government to make constitutional provision for the minorities:

(c) whether Government propose to continue to apply the Sachhar Farmula in regard to the medium of instruction in schools, in all the schools of Punjab ;

(d) whether it is a fact that in Punjab State, the Hindi and English names and indications on the mile-stones have been replaced by those in Gurmukhi Script resulting in great inconvenience to persons not knowing Gurmukhi ; and

(e) if minorities have been provided safeguards regarding language and religion, the reasons for erasing Hindi and English letters from the boards of the Government Offices and the mile-stones ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Both the Sachhar and the Pepsu language formulae continue to operate in the State as before re-organisation in regard to the medium of instruction in schools.

(d) The traffic signs in English on the G. T. Road have been replaced by Punjabi-sign boards but the distance indicaions on the mile-stones have not been changed. On other roads distance indications on mile-stones and traffic-signs are in Punjabi.

(e) Consequent upon the adoption of Punjabi in Gurmukhi seript as the sole official lanauage of Punjab Government, the sign-boards and the name plates in Government offices which were in English previously have been replaced by Punjabi.

Publication of Chinese Literature

666. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report that pro-Chinese literature is being published in different States of the country ;

(b) whether it is also a fact that Mao's red book was printed on a large scale in a Press in old Delhi ;

(c) if so, the name of the Proprietor of said Press ; and

(d) the action taken by Government against him.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). It is reported that about one thousand copies of a book entitled "Adhyaksha Mao Tse-tung Ki Rachnaon Ke Udharan" were printed at a press in Delhi in October, 1967. According to present information the owner of the press is Shri Jagdev Singh. No action has been taken by Government against him.

नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़

667. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री मीठालाल मीना :
श्री प० मु० सईद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :
श्री शिवप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 और 13 दिसम्बर, 1968 को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ उत्तर काचार क्षेत्र के निकट पहाड़ी में 250 विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़ हुई थी;

(ख) यदि हां, तो मुठभेड़ का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उनसे विदेशी निशानों वाले शस्त्र पकड़े गये हैं और यदि हां, तो वे शस्त्र किस देश के हैं; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). दिसम्बर, 1968 के आरम्भ में पाकिस्तान को जाने का प्रयत्न करते हुए उत्तर काचार क्षेत्र के मिकीर पहाड़ियों में लगभग 200-300 नागा विद्रोहियों के एक गिरोह के होने के समाचार मिलने पर सुरक्षा दलों ने सीमा पार करने के ऐसे एक प्रयास को रोकने के लिए कदम उठाये। 12 और 14 दिसम्बर, 1968 को दो मुठभेड़ें हुईं जिनके परिणामस्वरूप एक नागा विद्रोही मारा गया तथा एक घायल हुआ और पकड़ा गया। विद्रोही तितर-बितर हो गये और सीमा पार करने का उनका प्रयास असफल कर दिया गया। उनसे कुछ गोला-बारूद समेत, जिसका चीनी मूल का होना विश्वास किया जाता है, कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किये गये थे।

अध्यापकों के वेतनों के राष्ट्रीय मान के लिए आयोग

669. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय वेतनमान तैयार करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की खुदाई

671 **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में खुदाई के दौरान ऐतिहासिक महत्व की कुछ वस्तुएं पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) अन्य वस्तुओं के साथ-साथ तीन मानव—कबरें पाई गई हैं, जिनमें से एक में पूर्ण मानव-कंकाल पाया गया है। कंकाल फैले हुए रूप में दफनाया हुआ पाया गया था। कब्र में लघुअश्म नामक पत्थर के छोटे औजार, जंगली जानवरों की हड्डियां, जिन्हें उस स्थान पर रहने वालों ने खाया था और हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन, जिनमें से कुछ पर नक्काशी की हुई थी, मिले हैं। कब्र की ऊपरी परत में लोहे के औजार और चाक के मिट्टी के बर्तन थे। वर्तमान अनुमान के अनुसार कब्र दो हजार वर्ष पुरानी है।

भारी मालवाहक जहाज

672. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ और भारी मालवाहक जहाज खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). खुला माल वाहक जहाज तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक जहाज भारत सरकार द्वारा नहीं, अपितु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न नौवहन समवायों (शिपिंग कम्पनियों) द्वारा खरीदे जाते हैं। कुछ खुला माल वाहकों को खरीदने का सुझाव है परन्तु टनभार, आकार, मूल्य आदि विवरण बाद में निश्चित किये जायेंगे, जब जहाज मालिक जहाजों को खरीदने की आज्ञा के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे।

छोटे पत्तन का विकास

675. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे पत्तनों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से किन्हीं पत्तनों का, चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के रूप में, विकास करना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क)	उड़ीसा	2
	आन्ध्र प्रदेश	7
	पांडिचरी	2
	तमिलनाडू	12
	केरल	13
	मैसूर	21
	गोवा प्रशासन	2
	महाराष्ट्र	49
	गुजरात	50
	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	15
	कुल	173

(ख) और (ग). छोटे पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है । छोटे पत्तनों के विकास से सम्बन्धित कुछ सही—परिभाषित योजनाएं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित की जायेंगी तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता की पात्र बन जायेगी । हाल ही में राज्य सरकारों की सलाह से यह निश्चय हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक पत्तन उसकी यातायात सम्भावनाओं के अनुसार केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिए लिया जाये । उड़ीसा में गोपालपुर या चांदबली, आन्ध्र प्रदेश में काकीनद, मद्रास में कुड्डालोर, केरल में बोयपुर, मैसूर में करवार तथा गुजरात में पोरबन्दर पत्तनों को इस उद्देश्य से लेने का विचार है । इन छोटे पत्तनों पर की विकास योजनाओं के विवरणों को सभी राज्य सरकारों के साथ सलाह करके अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

कोचीन शिपयार्ड परियोजना

676. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अदिचन :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड परियोजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह परियोजना मूल कार्यक्रम से कितनी पिछड़ चुकी है;

(ग) और अधिक देरी किये बिना परियोजना को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अगस्त 1967 में भारत सरकार ने कोचीन शिपयार्ड परियोजना को स्वीकृत किया। इसमें 66,000 डी डब्लू टी के खुला ग्राहकों को बनाने के लिये गोदी बनाना और 85,000 डी डब्लू टी तक जहाजों के मरम्मत के लिये 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा संघटक सहित 36 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर जहाजों को मरम्मत करने की गोदी शामिल है। परियोजना के आकार व क्षेत्र में संशोधन होने के कारण मैसर्स मितसुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी जिसके लिये जुलाई 1968 में उनके साथ एक करार की गई। सरकार द्वारा रिपोर्ट मिलने तथा अनुमोदन होने तक जमीन व मिट्टी के सर्वेक्षणों, भूमि अभिग्रहण, परियोजना के लिये पानी और बिजली की व्यवस्था करना जैसे प्रारम्भिक कार्यों पर पूर्ण कार्यवाही करने के कदम उठाने की पहल कर दी गई है, परियोजना के स्थान पर एक पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है, इस समय परियोजना के निर्माण की अनुसूची बताना संभव नहीं है।

दल बदल सम्बन्धी समिति

677. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अदिचन :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सीताराम केसरी :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान मण्डलों में दल बदल को रोकने के लिये बनाई गई सर्वदलीय समिति

ने अपना अन्तरिम या अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सुझाव दिये हैं और उनमें से प्रत्येक सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दल-बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति 18 फरवरी 1969 को सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है। सरकार प्रतिवेदन के विषय में सदन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही करने पर निर्णय करेगी।

छात्रों में असंतोष सम्बन्धी समिति

678. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों में असंतोष के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति से डा० हरे कृष्ण महताब ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो डा० महताब ने अपने त्यागपत्र के क्या कारण बताये हैं तथा उन द्वारा बताये गये त्यागपत्र के आधार कहां तक सही तथा विश्वसनीय हैं; और

(ग) समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किस समिति का उल्लेख किया गया है। सरकार को ऐसी किसी समिति की जानकारी नहीं है जिसके सदस्य डा० मेहताब थे। तथापि, उड़ीसा सरकार से आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भोजन व्यवस्था तकनीक तथा संस्थान प्रबंध में प्रशिक्षण

679. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन व्यवस्था तकनीक तथा संस्थान प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से भारत में कोई परियोजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी जा रही है तथा सरकार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने 'केटरिंग टेकनॉलॉजी' तथा 'इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट' का प्रशिक्षण देने के लिये, जिसके लिये कि संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता मिल रही है, पहले ही एक प्रायोजना चालू कर दी है।

(ख) 'केटरिंग टेकनॉलॉजी' तथा 'एप्लाइड न्यूट्रीशन' के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में चार संस्थान, तथा कालामसेरी (केरल) और पंजिम (गोआ) में दो 'फूडक्राफ्ट' संस्थान पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। तीन और 'फूडक्राफ्ट' संस्थान बैंगलौर, नागपुर और लखनऊ में स्थापित किये जा रहे हैं। केटरिंग संस्थान 'होटल मैनेजमेंट' 'केटरिंग टेकनॉलॉजी', 'एप्लाइड न्यूट्रीशन' और अन्य संबद्ध मामलों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं, तथा फूडक्राफ्ट संस्थान विभिन्न फूडक्राफ्टों में 'क्राफ्टमैन' के स्तरों पर प्रशिक्षण व्यवस्था करते हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिये (एफ० ए० ओ०, एफ० एफ० एच० सी० तथा अपने विकास कार्यक्रम के द्वारा) आयातित उपस्कर तथा फेलोशिपों के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है। चार केटरिंग टेकनॉलॉजी के संस्थानों पर अद्यावधिक कुल अनावर्ती सरकारी विनियोजन 90 लाख रुपये है, तथा पांच फूड-क्राफ्ट संस्थानों पर 45.30 लाख रुपये की राशि खर्च होने की आशा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन

680. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री सीताराम केसरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन

681. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस विषय का संबंध, राज्य सरकारों से है । शिक्षा आयोग की सिफारिशों को, जिनमें वेतन-मानों का संशोधन भी शामिल था, सभी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ तथा उन पर अमल करने के लिए भेज दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों पर अत्याचार

682. **श्री स० मो० बनर्जी** :
डा० रानेन सेन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री द० रा० परमार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री सूरज भान :
श्री भगवान दास :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री अदिचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में हुए ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा उनकी हत्या की गई है;

(ख) हरिजनों के साथ किये जाने वाले अत्याचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या ऐसे अपराधों के लिये किसी कड़ी सजा की व्यवस्था करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विधान लाये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जुलाई, 1968 से पहले के कुछ महीनों में हरिजनों पर कथित अत्याचारों के बारे में सूचना 15 नवम्बर, 1968 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर में दी गई थी। 18 दिसम्बर, 1968 से पहले 3 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की गई थी और सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 78/69] राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अभी प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि 1968 के दौरान असम, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, गोवा दमन व दीव, मनीपुर, त्रिपुरा, लक्कदीव, मिनिकोय, अमिनदीवी द्वीप समूह, अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, नेफा, चन्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में हरिजनों पर आक्रमण के कोई मामले नहीं हुए हैं। सन् 1968 में दिल्ली में, लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 122 के उत्तर में बतलाये गये मामले के अलावा, कोई मामला नहीं हुआ है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मालूम की जा रही है।

(ग) और (घ). अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक व शैक्षिक विकास संबंधी समिति की अन्तिम रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात ही इस संबंध में निर्णय लेना सम्भव होगा।

कोचीन बन्दरगाह विकास योजनायें

683. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन पत्तन विकास योजनाओं में काट-छांट की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कोचीन पत्तन के विकास के लिए कोचीन पत्तन ट्रस्ट ने 33.53 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह राशि परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल ने अन्य बातों के अलावा मुख्यतः निम्नलिखित बातों को

दृष्टि में रखकर घटाकर 15.54 करोड़ रु० कर दी :—

(1) एक नया 'हापर बार्ज' और एक नया 'कटर सक्शन ड्रेजर' लेने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। क्योंकि ये विकास सलाहकार ने इस दृष्टि से आवश्यक नहीं समझे कि पत्तन ने कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों से निकर्षक 'गंगा' प्राप्त कर लिया है और पत्तन का (क) एक ग्रेब सक्शन ड्रेजर (ख) 'लार्ड विलिंगडन' के स्थान में एक नया सक्शन ड्रेजर और (ग) 'लेडी विलिंगडन' के स्थान में एक 'बकेट ड्रेजर' प्राप्त करने का कार्यक्रम है।

(2) जिस मुख्य योजना में बड़ी कमी की गयी है वह बड़े तेल पोत घाट से संबद्ध है। फिर भी यह स्कीम योजना में शामिल कर दी गयी है और जब तक मैसर्स इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड की इस बड़े तेल पोत घाट की योजना के बदले कोचीन पर 'आफ शोर टरमिनल' निर्माण करने के औचित्य के बारे में प्रतिवेदन मिलता है तब तक इस योजना के लिए नाममात्र के लिए व्यवस्था की गयी है।

(3) उर्वरक घाट की व्यवस्था रद्द कर दी गयी है क्योंकि अभी तक पेट्रोल और रशायन मंत्रालय ने इस संबन्ध में लाइसेंस देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। पत्तन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और इस मंत्रालय के कार्य दल द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए जिन योजनाओं की सिफारिश की है उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 79/69]

दिल्ली परिवहन की बसों में पुलिस वालों और उनके परिवारों को बिना टिकट बसों में यात्रा करने की अनुमति देना

684. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अपने परिवारों सहित दिल्ली परिवहन की बसों में हमेशा मुफ्त यात्रा करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा दिल्ली परिवहन के बस चालकों और संवाहकों के विरुद्ध जनता की शिकायतें दर्ज नहीं की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है तथा पुलिस बस चालकों और संवाहकों के विरुद्ध शिकायतें क्यों दर्ज नहीं करती है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। दिल्ली परिवहन की बसों में कानून एवं व्यवस्था रखने के हित में, हेड-कांस्टेबल के पद से ऊंचे न होने वाले एक समय में अधिक से अधिक दो सिपाही ही दिल्ली परिवहन की बस में वर्दी पहन कर

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली के अन्दर बिना किराए के यात्रा कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार यात्रा करने वाले सिपाही यदि अन्य यात्री खड़े हों तो सीट पर नहीं बैठ सकते।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपक्रम द्वारा मामला पुलिस अधिकारियों तक ले जाने के फलस्वरूप यह व्यवस्था की गई और अब समीक्षाधीन है। शिकायतों के पंजीकरण न करने के विषय में प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में तिब्बतियों का नजरबन्द किया जाना

685. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 दिसम्बर, 1968 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में लगभग 50 तिब्बतियों को गैर-कानूनी तौर पर नजरबन्द किया गया था तथा उन्हें पूरे एक दिन तक निराहार रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 30 दिसम्बर, 1968 को 150 व्यक्तियों ने नेपाल में कुछ चीनियों द्वारा एक भारतीय पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार पर चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था। कुछ प्रदर्शनकारी दूतावास के अहाते में घुस गये और उन्होंने कुछ सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई। चाणक्यपुरी थाने में घटनाओं के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/427/551/323/333/353/186 और 128 के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० 315 दर्ज किया गया था। 45 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उन सभी को चाणक्यपुरी थाने में 30 दिसम्बर, 1968 को दिन के 2 बजे और फिर शाम को 7.30 बजे भोजन दिया गया था। 31 तारीख को भी उन्हें प्रातः मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले थाने में भोजन दिया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाले व्यक्तियों को सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में भोजन दिया गया था।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रचार सम्बन्धी योजना

686. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत की तस्वीर पेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक बिल्कुल नये प्रचार कार्यक्रम की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय पहलुओं सहित उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिमरूप दिया जायेगा तथा चालू किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया से निकटतर सहयोग करते हुए योरोप महाद्वीप में पर्यटक प्रचार की अभिवृद्धि के लिए एक नया प्रबंध किया गया है। इस प्रबंध का कार्य सर्व प्रथम एक प्रयोग के रूप में एक वर्ष के लिये जुलाई, 1968 से आरंभ किया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत योरोप में एयर इंडिया के सभी कार्यालय उस महाद्वीप में पर्यटक वृद्धि विषयक कार्य के लिए उपलब्ध होंगे।

उपलब्ध सर्वोत्तम व्यावसायिक ज्ञान-सम्पन्न व्यक्तियों की दक्षता एवं कौशल (टेकनीक) का उपयोग करते हुए पर्यटक साहित्य के स्तर में भी सुधार किया गया है।

वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि

687. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट कास्ट आफ इंडिया एण्ड ईस्ट पाकिस्तान/यू० एस० ए० कांफ्रेंस तथा वेस्ट कास्ट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान/यू० एस० ए० कांफ्रेंस, न्यूयार्क ने 1 जनवरी, 1968 से वस्तु भाड़े की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है, जो दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प के विरुद्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय नौवणिक परिषद् की शासी परिषद् ने कलकत्ता में हुई अपनी हाल की बैठक में इस वृद्धि के विरुद्ध विरोध-पत्र देने का निर्णय किया है; और

(ग) भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित वृद्धि और विरोध दोनों के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रश्नगत दोनों कान्फ्रेंसों ने जनवरी, 1969 से 10 प्र० स० भाड़ा दरों की वृद्धि की है, परन्तु सम्बन्धित व्यापारिक हितों, आल इंडिया शिपर्स काउंसिल तथा भारत सरकार के अभिवेदन को देखते हुए उन्होंने कुछ विशिष्ट वस्तुओं के बारे में ढील व छूट भी प्रदान कर दी है।

परामर्श संगठन की स्थापना पर "अंकटाड—2" के प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि शिपिंग कान्फ्रेंसिस शिपर्स काउंसिल को मान्यता प्रदान करें तथा उसे भाड़ा दर, कान्फ्रेंस क्रियाएं नौवहन सेवा के औचित्य आदि मामलों पर उनसे सलाह करने की व्यवस्था अपने संविधान में करनी चाहिए। इन कान्फ्रेंसों ने यद्यपि काउंसिल तथा अन्य सम्बन्धित व्यापारिक हितों द्वारा दिए अभिवेदन विचार के लिए स्वीकार कर लिये हैं, परन्तु आल इण्डिया शिपर्स काउंसिल से सलाह करने के लिए अभी तक औपचारिकरूप से सहमत नहीं हुई।

(ख) जी हां।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, भारत सरकार ने स्वयं इस वृद्धि का विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ छूट तथा ढील दी गई है। (अंकटाड—2) के प्रस्ताव के अनुसार दो कान्फ्रेंसों द्वारा परामर्श प्रक्रिया की औपचारिक स्वीकृति के विषय में सरकार इस मामले को राजकीय स्तर पर लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

भारत में हाकी के खेल में सुधार

688. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रणजीत सिंह :
श्री सूरज भान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैक्सिको में हुए गत ओलम्पिक खेलों में भारत की हार को देखते हुए भारत में हाकी के खेल में सुधार करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिमरूप दिये जाने की संभावना है तथा इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अखिल भारतीय सेवा परिषद् ने, 5 दिसम्बर, 1968 को हुई अपनी बैठक में, मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय हाकी टीम की पराजय के कारणों की जांच करने तथा खेल में सुधार के उपायों के लिए सुझाव देने हेतु, एक समिति की नियुक्ति की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस समिति में अन्यों के साथ-साथ भारतीय हाकी टीमों के वे चार कप्तान भी शामिल हैं, जिन्होंने ओलम्पिकों में भाग लिया था।

समिति की सात बैठकें हो चुकी हैं और समिति द्वारा अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार किया जा चुका है। इसको सुपुर्द किये गये कार्य को पूरा करने में कुछ और समय लगेगा।

बन्दरगाह समिति

689. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० बरुआ :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों तथा बन्दरगाहों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के जिस विशेषज्ञ दल ने, भारतीय

पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं तथा क्षमता का अध्ययन किया था, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं । प्रतिवेदन में की गयी सामान्य सिफारिशों की सूची लिखित प्र० सं० 2608 के उत्तर में दी गयी थी, जिसका उत्तर लोक-सभा में 29-11-68 को दिया गया था ।

Dismissal of Temporary Teachers by Banaras Hindu University

690. **Shri Bibhuti Misra :**
Shri Sitaram Kesri :
Shri R. K. Sinha :
Shri Samar Guha :
Shri K. Lakkappa :
Shri Surendra Nath Dwivedy :
Shri J. Ahmed :
Shri Dinkar Desai :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Banaras Hindu University has dismissed 250 temporary teachers ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली-जयपुर-बम्बई की विमान सेवा

691. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1969 को इंडियन एयरलाइन्स का दिल्ली-जयपुर-बम्बई विमान सेवा का विमान निर्धारित समय से एक घंटा पहले ही रवाना हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन सब यात्रियों को जिन्होंने इस उड़ान के लिये टिकटें खरीदी हुई थीं, इस परिवर्तन के बारे में सूचित नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह परिवर्तन इंडियन एयरलाइन्स की सुस्थापित प्रथाओं तथा नियमों के विरुद्ध नहीं था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ईरान के शहंशाह के लिये 6 जनवरी, 1969 को उदयपुर से जमशेदपुर के लिये एक चार्टर उड़ान परिचालित करने के लिये सहमत हो गये थे। शुरू में, एक एफ-27-100 विमान इस उड़ान के लिये निर्धारित किया गया था तथा इसे 5 जनवरी को उदयपुर भेज दिया गया था। परन्तु परिचालन संबंधी कारणों से जमशेदपुर को परिचालन के लिए एफ-27-200 विमान की आवश्यकता हुई। अत: एक इस प्रकार का विमान 6 जनवरी को दिल्ली से सेवा परिचालित करने के लिये निर्धारित किया गया तथा उसे कुछ पहले रवाना कर दिया गया ताकि चार्टर उड़ान को नियत समय पर परिचालित करने के लिये विमानों की बदली की जा सके।

(ग) से (ङ). आमतौर पर निर्धारित समयों में परिवर्तन नहीं किया जाता, परन्तु जब कभी परिचालन संबंधी कारणों से कोई समय-परिवर्तन किये जाते हैं, तो संबंधित सभी लोगों को पर्याप्त पूर्व सूचना दे दी जाती है। 6 जनवरी को एक को छोड़ कर सभी यात्रियों को उड़ान के समय में परिवर्तन की सूचना दे दी गयी थी। इस यात्री को सूचना देने के बारे में चूक इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की गलती से हुई जिनके कि विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा चुकी है।

विदेशी पर्यटक

692. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में एक प्रमुख अमरीकी पत्रिका द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बहुत से विदेशी पर्यटक भारत नहीं आना चाहते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह मानते हुए कि माननीय सदस्य का आशय 1967 के अन्त में प्रकाशित पैसिफिक विजिटर्स सर्वे की रिपोर्ट से है, उत्तर सकारात्मक है।

(ख) रिपोर्ट में दिये गये मुख्य प्रतिकूल तत्व, जिनके कारण बहुत से विदेशी पर्यटक भारत आना पसन्द नहीं करते, गन्दगी एवं गरीबी; सफाई व्यवस्था का अभाव; अपौष्टिक भोजन; और भारत के लोगों में पर्यटकों के प्रति पर्याप्त सहृदयता एवं मैत्री का अभाव है।

(ग) इन प्रतिकूल तत्वों का मुकाबला करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, इस प्रयोजन के लिए प्रारंभ की जाने वाली स्कीमों का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन के अध्यापक

693. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन : **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है, उससे यह पता चला है कि देश के स्कूलों में विज्ञान के विषय बढ़ाने वाले बहुत से अध्यापकों ने विज्ञान का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं तथा सरकार इस दिशा में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) इस सर्वेक्षण से अन्य क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 1965-66 में किए गए दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले 64,981 अध्यापकों में से, 10,048 अध्यापकों ने अपने अन्तिम शैक्षिक पाठ्यक्रम में विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था।

(ख) इसका मुख्य कारण स्कूली शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है।

विज्ञान अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये, संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा अल्प-कतिपय पुनश्चर्या पाठ्यचर्या का एक विशेष कार्यक्रम, 1964-65 से शुरू किया गया है। स्कूलों में विज्ञान अध्यापन तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए चौथी आयोजना में भी विशिष्ट व्यवस्था की जा रही है।

(ग) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 80/69]

गुजरात में लोथाल संग्रहालय

694. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लोथाल संग्रहालय का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लोथाल के प्राचीन अवशेष बड़ौदा संग्रहालय के गोदाम में बेकार पड़े हुए हैं;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का विचार लोथाल के प्राचीन अवशेषों को अस्थायी तौर पर लोथाल के अतिथि-गृह में, जिसका इस समय प्रयोग नहीं हो रहा है, प्रदर्शित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). लोथल संग्रहालय का निर्माण प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि इस कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं की अनुक्रिया संतोषजनक नहीं रही है। उन्होंने फिर से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(ग) प्राचीन अवशेषों को सावधानी से बन्द करके और लेबल लगाकर बड़ौदा के कार्यालय भवन में रखा गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्राचीन अवशेषों के लिए एक सुनियोजित और सुरक्षित भवन तथा साथ ही उपयुक्त निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए गेस्ट-हाऊस को उपयुक्त नहीं समझा गया है।

दिल्ली में कोटला फीरोजशाह स्मारक

695. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली गेट के निकट तुगलक सम्राटों के किले कोटला फीरोजशाह के आस-पास उद्यानों की तो देखरेख हो रही है परन्तु मुख्य स्मारक की देखरेख नहीं की जा रही और वह टूट रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्मारक की ठीक देखरेख के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवश्यकतानुसार जरूरी निर्माण सम्बन्धी मरम्मतें की गयी हैं। वास्तव में इस समय ऐसी निर्माण संबंधी मरम्मतें हो रही है।

Crime in Tarai Bhaber Near Nainital

696. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Inspector General of Police, Uttar Pradesh had stated in his report last year that since the land of Tarai Bhaber near Nainital was distributed to non-hilly people, the number of crimes increased there ;

(b) whether the non-hilly people, who settled there, have been given licences for guns and they utilize these guns for plundering the innocent hilly people and use them for various other crimes ;

(c) whether this is due to the fact that the land of Tarai Bhaber had not been allotted to those persons who had fundamental and legal rights over that land and the land has been allotted to the persons belonging to other States ignoring the people of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the reaction of Government to these facts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and the same when received will be laid on the Table of the Sabha.

Junior High School, Chindwara (U. P.)

697. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is so much mismanagement in the Zila Parishad of the hilly district of Pauri Garhwal, Uttar Pradesh that Junior High School, Chindwara, under the Pauri Block could not get permanent recognition in spite of the fact that the people of that area have fulfilled all conditions as laid down in the Education Code of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government propose to take action against the Zila Parishad ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh, and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Pay Scales of Teachers in U. P.

698. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names and designations of those officials of Uttar Pradesh who can give sanction to the pay-scales of teachers of District Garhwal (U. P.) ;

(b) whether it is a fact that the pay scales of some language teachers of the said District have not been fixed ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

तेलिचेरी-पुलपल्ली की घटनाओं की जांच

699. **श्री हेम बरुआ :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मंत्री ने संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध लगाये गये तेलचेरी-पुलपल्ली की घटनाओं के बारे में आरोपों के बारे में 1962-63 से अब तक की घटनाओं के बारे में पूरी जांच कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो ये आरोप क्या हैं और केरल के मुख्य मंत्री द्वारा की गई प्रार्थना के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इसके बारे में कोई पत्र नहीं मिला ।

मनीपुर में नागाओं की गतिविधियां

701 **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियां मणिपुर के कुछ क्षेत्रों तक बढ़ा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों की इन गतिविधियों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सैनिक कार्यवाही स्थगन समझौते में सम्मिलित मनीपुर के तीन उप-खण्ड अर्थात् उखरूल माओ मरम तथा तमेंगलोंग, और तैंगनौपाल तथा चूड़ाचन्दपुर के कुछ क्षेत्र और जीराबम का भाग नागा विद्रोहियों की गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं । किन्तु उनकी गतिविधियों का विस्तार मनीपुर के दूसरे क्षेत्रों में नहीं हुआ है ।

(ख) सुरक्षा दल निरन्तर सतर्क हैं तथा विद्रोहियों की अवैध गतिविधियों को दबाने के उचित उपाय किये जाते हैं ।

विदेशियों द्वारा होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान

702. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में विदेशियों द्वारा होटल के सभी बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाया करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). पर्यटन तथा नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में बनी एक अन्तर मंत्रालय समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि कुछ को छोड़कर, अधिक महंगे होटलों में ठहरने वाले विदेशी अतिथि अपने रहने तथा भोजन के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करें। इस सिफारिश पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर शुल्क

703. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के हवाई अड्डों पर से विमान पर चढ़ने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से विशेष शुल्क लेने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 1 अप्रैल, 1969, से भारत के किसी भी हवाई अड्डे से विदेश यात्रा के लिये सवार होने वाले हर यात्री पर 15 रुपये का एक यात्री-सेवा-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। परन्तु सरकारी अतिथि के रूप में भारत आने वाले राष्ट्रों के प्रमुख, सरकारों के प्रमुख, तथा मंत्री वर्ग, अपने सहचर-वर्ग (एनटूरेज) समेत, एवं पारगामी यात्री और दो साल से कम उम्र के बच्चे इस शुल्क से मुक्त होंगे।

सरदार लक्ष्मण सिंह गिल के विरुद्ध आरोपों की जांच

704. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रणजीत सिंह :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री सूरज भान :
श्री ओंकार सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शाल वाले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्षी दलों द्वारा पंजाब के मुख्य मंत्री, सरदार लक्ष्मण सिंह गिल के विरुद्ध

लगाये आरोपों में की जा रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामले की जांच के लिए कुछ तथ्यों की पड़ताल करना उचित समझा गया है । निःसन्देह इसमें समय लगता है और इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि जांच कब पूरी हो जायगी ।

प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग

705. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री रा० बरुआ :**
श्री शारदानन्द : **श्री समर गुह :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग नामक एक नये साम्प्रदायिक दल ने जन्म लिया है और इसने साम्प्रदायिकता के आधार पर मध्यावधि चुनावों में भाग लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उच्च दस नेताओं के नाम क्या हैं और क्या उनमें से कोई पहले कांग्रेस दल के सदस्य थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नये साम्प्रदायिक दल ने मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने के लिये एक ऐसा झंडा अपनाया है जो लगभग पाकिस्तान के इस्लामी झंडे की तरह का है, यदि हां, तो सरकार की इस झंडे तथा दल के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस दल के वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल में अलग मुस्लिम जिलों की खुले आम मांग की है जैसा कि केरल में किया गया है और मध्यावधि चुनाव इस साम्प्रदायिक आधार स्तम्भ पर लड़े गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नव गठित प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिक विचारधारा को अपने चुनाव अभियान का मुख्य आधार बनाकर, मध्यावधि चुनाव लड़ा था ।

(ख) 1. श्री सिकन्दर अली मुल्ला — अध्यक्ष
2. श्री ए० के० एम० हसानुज्जमन — महामंत्री
3. डा० मुहम्मद जहुरुल इस्लाम — मंत्री
4. डा० हाजी मुहम्मद युनस — खजांची
5. श्री सैयद अली
6. श्री इस्लामुद्दीन लसकर
7. श्री इज्जत अली गाजी साहब
8. श्री खबीर अहमद
9. श्री हरुनअर रसीद
10. श्री मुहम्मद शम्सुल हक

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से कोई भी कांग्रेस दल का सदस्य नहीं था।

(ग) इस दल के झंडे के एक भाग का रंग पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे के सफेद रंग की बजाय लाल है और बीच में एक सफेद अर्द्ध चांद तथा तारे के साथ हरा भाग एक-सा है।

(घ) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भाषाई सीमा-विवादों को सुलझाने के लिए व्यवस्था

706. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री रा० वें० नायक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् ने सिफारिश की थी कि राज्यों में भाषाई सीमा-विवादों को सुलझाने के लिये कोई व्यवस्था आरम्भ की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

शिक्षा उपकर लगाना

707. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये राज्यों द्वारा शिक्षा पर उपकर लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस सिफारिश के पक्ष में है ।

होटल पुनरीक्षण समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

708. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों का पुनर्वर्गीकरण के लिए उनकी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा गत वर्ष नियुक्त की गई होटल पुनरीक्षण समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार की मलकियत में अशोक होटल को देश में उच्च सर्वोच्च तीन होटलों में भी नहीं गिना गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । इसके फरवरी के अन्त से पहले मिल जाने की आशा है ।

विमान द्वारा यात्रा के रियायती दर वाले टिकट वालों के लिये आरोहण पत्रक (बोर्डिंग कार्ड)

709. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमान द्वारा यात्रा के रियायती टिकट रखने वालों के लिये भिन्न भिन्न डिजाइन के आरोहण पत्रक (बोर्डिंग कार्ड) जारी करने का कोई सुझाव मिला है जिससे इनके सिद्धान्तहीन दुरुपयोग की सम्भावना न रहे ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । सुझाव के मिलने से पहले ही इण्डियन एयरलाइन्स ने सब स्टेशनों को रियायती टिकटों और आरोहण पत्रों (बोर्डिंग कार्डों) को पंच करने की सहज प्रक्रिया अपनाने के अनुदेश जारी कर दिये थे ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध इंजीनियरिंग कालेज के पाकिस्तान जाने वाले स्नातक

710. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : **श्री शिव कुमार शास्त्री** :
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री भारत सिंह चौहान** :
श्री राम गोपाल शालवाले : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **शिक्षा** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 184 स्नातक इंजीनियरों की, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान चले गये थे, तकनीकी शिक्षा पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों द्वारा कोई बन्धपत्र भरवाने का है जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि इस प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद पाकिस्तान न चले जायें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) किसी विश्वविद्यालय के, जिसमें अध्ययन की विभिन्न शाखाएं होती हैं, किसी क्षेत्र विशेष के विद्यार्थियों की शिक्षा पर हुए खर्च के आंकड़े तैयार करना कठिन है । इसके अतिरिक्त, संदर्भाधीन 184 विद्यार्थियों की शिक्षा 17 वर्ष की अवधि में फैली हुई थी । खर्च का हिसाब निकालने की प्रक्रिया श्रमसाध्य है और उसके परिणाम श्रम के अनुरूप नहीं होंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केवल एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाना सम्भव नहीं है और इसे सभी विश्वविद्यालयों पर भी लागू करना कठिन होगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक की भविष्य निधि

711. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक, जो इस बीच पाकिस्तान चले गये हैं, की भविष्य निधि की ऐसी कितनी राशि है जिसका भुगतान रोक दिया गया है और जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जमा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक की भविष्य निधि की 15,468.57 रुपये की धनराशि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जमा है । उस प्राध्यापक ने अपनी भविष्य-निधि में से जो ऋण लिया था, उस ऋण में से 4,688 रुपए की राशि बकाया है और त्यागपत्र के नोटिस के एवज में तीन महीने के वेतन के बराबर राशि उनसे लेनी है ।

Appointment of Lower Division Clerks Trained in Hindi Stenography

712. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Lower Division Clerks who have been imparted training in Hindi Stenography under the Hindi Teaching Scheme as also the Ministry-wise details thereof ;

(b) the number of such L. D. Cs. as have been appointed Hindi Stenographers out of those who had completed the training and had passed the test therefor ;

(c) whether Government propose to prepare a list of all such clerks as have received training in Hindi Stenography, on the basis of which they might be appointed as Hindi Stenographers/Steno-typists in future so that Government might make use of such training ;

(d) if not, the purpose of imparting such training to them ; and

(e) the manner in which Government propose to profitably utilise such training ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) to (e). In view of the large number of trained personnel already available or who will be trained in Hindi Stenography and Hindi typing, Ministries/Departments were advised in

March, 1968 that no ex-cadre posts of Hindi Stenographers, Hindi Steno-typists or Hindi typists should be created thereafter, and that the requirements for Hindi work should be met from among the Grade II Stenographers and Clerks trained in Hindi Stenograph/Hindi Typing.

Non-Payment of Arrears by N. D. M. C. and D. M. C.

714. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Municipal Corporation have decided to increase the rates of electricity from the 1st April , 1969 ;

(b) whether it is also a fact that the main reason for this increase is the non-payment of arrears of Rs. 130 lakhs by the New Delhi Municipal Committee ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government to get the arrears cleared by the New Delhi Municipal Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir ; The Delhi Municipal Corporation have decided to increase the electricity tariff on an average ranging between 1 to 2 paisa per unit from the financial year 1969-70.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Administrative Reforms Commission Report on Delhi Set-up

715. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Sitaram Kesri :
Shri S. S. Kothari :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has recommended the abolition of the Delhi Municipal Corporation and the transfer of its functions to the Metropolitan Council ;

(b) the other recommendations made by the Commission in regard to the political set-up of Delhi ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the MInistry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) A summary of the recommendations made by the Commission in regard to the Union Territory of Delhi is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-81/69]**

(c) The Report is under examination.

More Powers for Delhi

716. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lt. Governor of Delhi demanded more powers at a Press Conference held on the 6th December, 1968 ;

(b) if so, the details of the powers asked for by him ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Lt. Governor made a general reference about delegation of powers regarding land administration matters, at the press conference. The matter will be considered by the Central Government when a specific proposal is received.

Ceylon Broadcasting Corporation

717. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether he granted an interview to the Ceylon Broadcasting Corporation in Colombo in December, 1968 ;

(b) whether it is a fact that the Government of Ceylon excluded the reference to Kashmir in that interview ; and

(c) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The questions and answers on Kashmir were omitted by the Ceylon Radio Broadcasting. The question of Government of India taking action in the matter does not arise.

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

718. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री सोमसुंदरम् :**
श्री क० लकप्पा : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् के 42 सदस्यों ने एक संयुक्त पत्र में उनसे आग्रह किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु 58 से कम कर के 55 वर्ष कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु कुछ वर्ष पहले सभी सम्बन्धित तत्वों पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात् 55 से 58 की गई थी । परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाये ।

केरल में मुस्लिम बहुमत वाले जिले

719. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री शारदानन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार सिंह :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केरल में मुस्लिम बहुमत वाले दो जिले बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इनके निर्माण का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकार के निर्णय का देश के अन्य भागों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान कोजीकोडे और पालाघाट जिलों तथा अरनाकुलम और कोटियाम जिलों के हिस्सों से 2 जिलों का बनाना उसने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया है कि इन बनने वाले 2 जिलों में से किसी में एक विशेष धार्मिक समुदाय का बहुमत हो जायगा।

(ख) तथा (ग). जिलों का बनाना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है।

(घ) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त परीक्षार्थियों की पात्रता

724. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति, अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोग की परीक्षायें नहीं दे सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण के चार राज्यों में सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के एक जैसे पाठ्यक्रम चलाना आवश्यक नहीं है ; और

(ग) क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान पद्धति में कोई सुधार करने का विचार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). प्रश्न के भाग (क) और (ग) के सम्बन्ध में केरल सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है। भाग (ख) का उत्तर सूचना प्राप्त होने पर निर्भर करेगा ।

झंझरपुर में पर्यटक केन्द्र

725. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में जिला दरभंगा (बिहार) के झंझरपुर स्थान में एक पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस पर्यटक केन्द्र से कितने ऐतिहासिक तथा अन्य स्थानों को सम्बद्ध किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में नक्सलवादी कार्यवाहियां

726. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कुछ जिलों में नक्सलवादी तत्व सक्रिय हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिम जाति जैसे लोगों को (जो कि मूलतः बंगाल के मालदाह जिले के रहने वाले हैं) उसी ढंग पर प्रशिक्षित किया जाता है क्योंकि उन्हें तीर चलाना आता है तथा वे भूमिहीन हैं परन्तु पूर्निया में अच्छे किसान हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चम्पारन, मुजफ्फरपुर, उत्तर मुंगेर, उत्तर भागलपुर, पूर्निया तथा धनबाद और रांची के भागों में उग्रवादी वर्गों की गतिविधियां बतलाई गई हैं ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि पूर्निया जिले में आदिम जाति के व्यक्तियों को उग्रवादियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी रख रही है ।

डाक तथा तार के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकारी दल

727. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अगस्त, 1967 में चार महीनों के लिये डाक व तार विभाग सम्बन्धी एक कार्यकारी दल बनाया था ;

(ख) क्या उस दल के तीन गैर-सरकारी सदस्यों को संसद सदस्य होने के नाते दल में लिया गया था ;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यकारी दल को अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये केवल दो महीने का और समय दे दिया गया था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उस दल ने अपना काम पूरा नहीं किया है हालांकि एक वर्ष और चार महीने बीत चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मुख्यत: उस कारण से ही नहीं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम भाग 8 मई, 1968 को आयोग को प्रस्तुत किया था । आयोग को प्रतिवेदन का द्वितीय और अन्तिम भाग शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

लक्कादीव प्रशासन के अनुसूचित जातियों के लिये कोटा

728 **श्री प० मु० सईद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव द्वीपसमूह प्रशासन में अनुसूचित जातियों की भर्ती और पदोन्नति का कितना कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ख) यदि कोटा आरक्षित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). लक्कादीव प्रशासन में श्रेणी III तथा IV के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 47 प्रतिशत तक आरक्षण है जहां सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती चयन द्वारा पदोन्नति के लिए आरक्षण 5 प्रतिशत तक सीमित है । लक्कादीव प्रशासन के अन्तर्गत श्रेणी I तथा II के सम्बन्ध में, जहां ऐसे पद संगठित केन्द्रीय सेवाओं में शामिल हैं, आरक्षण उसी प्रकार किया जाता है जैसा ऐसी सम्पूर्ण सेवाओं के लिए लागू है । दूसरे पृथक पद या तो प्रतिनियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । ऐसे पदों की संख्या इतनी कम है कि आरक्षण के लिए उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता ।

ये आरक्षण समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार हैं ।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

729. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल्स लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) इस होटल ने 31 मार्च, 1968 को कितना ऋण लिया हुआ था तथा उसमें केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों की राशि कितनी-कितनी थी ;

(ग) इस होटल ने गत तीन वर्षों में कितना ब्याज दिया है ; और

(घ) इस होटल ने गत तीन वर्षों में कैसा काम किया है उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई है ; हानि होने के मुख्य कारण क्या हैं तथा 1968-69 में कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क)

	प्राधिकृत पूंजी	**प्रदत्त पूंजी**
30-9-56 को	1,00,00,000	91,85,100
31-3-68 को	2,50,00,000	2,50,00,000

(ख) 31-3-1968 को बकाया ऋण की राशि 1,25,00,000 रुपया है। यह समस्त राशि सरकार को देय है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में दिये गये ब्याज की राशियां नीचे दी गयी हैं :—

1965-66	1966-67	1967-68
रुपये	रुपये	रुपये
1,35,000	1,35,000	1,35,000

(घ) पिछले तीन वर्षों का कर लगने से पहले का लाभ निम्न प्रकार है :—

1965-66	1966-67	1967-68
	(लाख रुपयों में)	
25.05	27.49	35.57

1968-69 का प्राक्कलित अधिशेष 10 लाख रुपया है।

काश्मीर पर त्रि-राष्ट्रीय नियंत्रण

730. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर को दस वर्षों के लिए त्रि-राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की श्री सी० राजगोपालाचारी की योजना से देश में, विशेषकर जम्मू और काश्मीर में असंतोष और गुस्से की भावना पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों के मन में बैठे हुए संदेह को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को मालूम है कि श्री सी० राजगोपालाचारी की उल्लिखित योजना की आलोचना हुई है।

(ख) कश्मीर पर सरकार की नीति संसद तथा बाहर जनता में अतीत में बता दी गई है और उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

731. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री भोलानाथ मास्टर .
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सरकारी अशोक होटल को होटल पुनर्विलोकन समिति द्वारा हाल में पुनर्वर्गीकरण का जो प्रस्ताव किया गया है उसके अनुसार क्या उसे देश के सर्वोच्च तीन होटलों में नहीं गिना गया है; और

(ख) होटलों की गिरती हुई व्यवस्था को रोकने तथा अशोक होटल में सामान्यरूप से भोजन बनाने और परोसने के स्तर में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटल पुनरालोकन समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) होटल के कार्यचालन के स्तर में कोई ह्रास नहीं है। परन्तु, सेवा तथा खाने के स्तर को और अधिक अच्छा बनाने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान की खरीद

732. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री प० मु० सईद :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के लिए विमान की खरीद के संबंध में सरकार अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है;

(ख) क्या रूसी जेट विमानों तथा डी० सी० 9 विमानों अथवा अन्य प्रकार के विमानों के तुलनात्मक मूल्यों का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारतीय यातायात के लिये सर्वाधिक उपयुक्त समझे गये कई प्रकार के यात्रीवाहक विमानों का आपेक्षिक मूल्यांकन करने के उपरांत, इंडियन एयरलाइन्स ने पांच डी० सी० 9-40 विमानों की खरीद की सिफारिश की। इस सिफारिश पर सरकार अभी विचार कर रही है।

Employees Working in Administrative Section of Education Ministry

733. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officers and employees of the Administration Section of his Ministry are working in the same section for more than three years;

(b) if so, the names of those officers and employees;

(c) since when they are working in that section;

(d) whether Government propose to take immediate steps to transfer them in other sections in the interest of an efficient administration; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-82/69]**

(d) and (e). Transfers will be made as and when they become necessary in the interest of work in the Ministry.

हिन्दी शिक्षण योजना

734. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक कितने स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कितने अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) जिन विभागों में अनुवाद-कार्य पर लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक विभाग में कितनी संख्या बढ़ाई गई है; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों में इस समय कितने हिन्दी टाइपराइटर हैं और इस वर्ष कितने नये हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 1,394 स्टेनोग्राफर/स्टेनोटाइपिस्ट तथा 8,580 टाइपिस्टों को अब तक हिन्दी स्टेनोग्राफी और हिन्दी टाइपिंग में क्रमशः प्रशिक्षित किया गया है । फरवरी, 1969 से आरम्भ होने वाले नये सत्र के लिए कक्षाएं बनाई जा रही हैं । अब तक 503 स्टेनोग्राफर/स्टेनोटाइपिस्ट और 551 टाइपिस्टों का नाम दर्ज किया गया है ।

(ख) जहां कहीं अनुवाद कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं पायी गई, राजाभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों का पालन करने के लिए इसको उचित रूप में बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यवाही आरम्भ की गई है । इस सम्बन्ध में सामग्री के एकत्रित करने में जो श्रम और समय लगेगा, वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप न होगा ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में वर्तमान में 474 हिन्दी टाइपराइटर मौजूद हैं तथा 637 और हिन्दी टाइपराइटरों की उनको जरूरत है । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत खरीदने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नम्बूदरीपाद का वक्तव्य

735. **श्री समर गुह :**
श्री म० ला० सोंधी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीपाद के त्रिवेन्द्रम में

8 जनवरी, 1969 को दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह केरल राज्य सरकार को केन्द्र के विरुद्ध जनता के संघर्ष का माध्यम समझते हैं तथा उनका दल संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखता बल्कि वह इसका प्रयोग अपनी (कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया-मार्क्सवादी) विचारधारा की क्रान्ति को बढ़ावा देने के लिए करेंगे;

(ख) क्या ऐसा वक्तव्य भारतीय संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य-मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है ताकि किसी राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा ऐसा असंवैधानिक वक्तव्य देने के विरुद्ध कोई परम्परा बनाई जाये तथा केरल के मुख्यमंत्री को अपना वक्तव्य वापिस लेने के लिए कहा जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा

736. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परीक्षा सभी प्रादेशिक भाषाओं में ली जायेगी ; और

(ग) इस योजना के कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1963 से विज्ञान प्रतिभा खोज सम्बन्धी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन छात्रवृत्तियों के लिए परीक्षा अब तक अंग्रेजी में ली जाती रही है, किन्तु चालू वर्ष से यह सभी प्रादेशिक भाषाओं में ली जा रही है।

प्रादेशिक भाषाओं में संघ लोक सेवा परीक्षा

737. **श्री वि०ना० शास्त्री :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री बलराज मधोक :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री दी ० चं० शर्मा :**

श्री यशवंत सिंह कुशवाह : **श्री रवि राय :**
श्री बाल्मीकि चौधरी : **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से लागू होगी ;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या विभिन्न भाषाओं में परीक्षा कापियों के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था कर ली गई है ;

(ङ) क्या सभी भाषाओं को इन परीक्षाओं के लिये माध्यम का रूप देने से समस्याएं उत्पन्न होंगी और कार्यकुशलता का स्तर गिरेगा ; और

(च) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को सरकार का विचार कैसे दूर करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग की प्रक्रियात्मक पहलुओं, समय तथा यदि आवश्यक हो, तो इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए प्रावस्थाओं के बारे में सलाह लेने के बाद अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में,अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं को लागू करने के निर्णय के संबंध में आयोग को सूचित कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). सरकार को आशा है कि इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं से एक शुरुआत की जायगी ।

(घ) से (च). विभिन्न भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में आयोग पहले ही सुपरिचित है और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए की गई परीक्षा का स्तर कायम रहे, आवश्यक कार्यवाही की है ।

हरिजनों को इसाई बनाया जाना

741. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री भोला नाथ मास्टर :**
श्री बाबू राव पटेल : **डा० कर्णी सिंह :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय खाद्य मंत्री, श्री जगजीवन राम, द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि हरिजनों का धर्म परिवर्तन

करके उनको ईसाई बनाया जाना जारी रहा तो हो सकता है कि 10 या 15 वर्षों में भारत को "क्रिश्चनिस्तान" की मांग का सामना करना पड़े ;

(ख) क्या इस प्रकार धर्म परिवर्तन की घटनाओं की ओर सरकार ने गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या इस प्रकार धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार का विचार कोई कारगर उपाय करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 29 दिसम्बर, 1968 को अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) में भारतीय दलित वर्ग संघ सम्मेलन में केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री ने बिना तैयारी के बोलते हुए हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की उन अपर्याप्तताओं का उल्लेख किया जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का लाभ धर्म-परिवर्तन करने वालों द्वारा धार्मिक विश्वासों के अतिरिक्त अन्य तर्कों पर अपने विश्वासों में धर्म-परिवर्तन के लिए उठाया जाता है। ईसाई धर्म अथवा ईसाइयों पर कोई आक्षेप करने का इरादा नहीं था।

(ख) और (ग). संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत, सभी व्यक्तियों को, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। अतः धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन

742. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन का डुबाव (ड्राफ्ट) पुनः 42 फुट कर दिया गया है ;

(ख) क्या डुबाव को और बढ़ाने के लिये ठेके पर तलकर्षण का कार्य आरम्भ करने तथा 'कटर सक्शन ड्रेजर' वहां लगाने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). 1968 की वर्षा ऋतु में पारादीप पत्तन पर डुबाव जो अब तक 34 फुट था घटकर 28 फुट हो गया था। कुछ निवारक उपाय किये गये और 30-11-1968 से पत्तन पर पुनः

35 फुट का डुबाव हो गया है। पारादीप पत्तन ट्रस्ट ने एक जापानी कम्पनी के साथ दक्षिणी पनकट दीवार के कोने के निकट के बालू फन्दे के निकर्षण के लिए जिससे तीरस्त बहाव रोका जा सके, घुमाव फेरे के व्यास को 1100 फुट से 1725 फुट चौड़ा करने, इत्यादि, के लिये एक संविदा की है। इस कम्पनी के निकर्षक के पत्तन में फरवरी, 1969 के अन्त तक आने की सम्भावना है और मार्च, 1969 में काम शुरू करेगा। कार्य के 7 महीनों की अवधि में पूरा होने की सम्भावना है।

पत्तन के प्रवेश पर के बालूचरे को दूर करने के लिए विशाखापत्तनम का एक 'कटर सक्शन ड्रेजर' 3-1-1969 से पारादीप पत्तन पर लगाया गया है।

पारादीप पत्तन में सामान्य माल गोदाम

743. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री रविराय :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर एक सामान्य माल गोदाम (कार्गो बर्थ) बनाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक बनाया जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). प्रस्ताव की अभी जांच हो रही है।

उड़ीसा में देहाती सड़कें

744. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय ग्रामीण सड़क समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) क्या उसने उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसने जो सिफारिशें क्रियान्वित की हैं, उनका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साम्प्रदायिक दंगे

745. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० वें० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगे फिर से होने लगे हैं और हाल ही में कुछ राज्यों से साम्प्रदायिक दंगों के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये स्थिति का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश के कुछ भागों में कुछ साम्प्रदायिक दंगों के समाचार मिले हैं ।

(ख) और (ग). सरकार स्थिति का पुनरीक्षण करती रहती है किन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने का कोई विचार नहीं है । फिर भी स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये मार्च, 1969 में परिषद् की स्थायी समिति की एक बैठक होनी है ।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

746. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री जि० ब० सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ओंकार सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री क० लकप्पा :
श्री को० सूर्यनारायण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री बलराज मधोक :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी है ;

(ख) क्या यह सच है कि नक्सलवादियों ने कई राज्यों में अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ा दिया है और ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि उन्होंने कई जगह सशस्त्र डकैतियां की हैं और आतंक फैला दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस बारे में विरोधी दलों से विचार-विमर्श किया गया है ; और

(घ) क्या इस दल पर प्रतिबन्ध लगाने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर सावधानी से निगरानी कर रही है तथा राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है। हिंसा की घटनाएं अधिकांशतः आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बताई गई है जहां उग्रवादियों के नेतृत्व में गिरिजन पुलिस तथा बन अधिकारियों पर आक्रमण करने के अतिरिक्त, लोगों की झोपड़ियों तथा जमीदारों के मकानों पर भी आक्रमण करते रहे हैं। केरल में भी नवम्बर, 1968 में उग्रवादियों ने टेलीचेरी पुलिस स्टेशन और पलपेल्ली पुलिस पिकेट पर भी आक्रमण किया था। यह सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं कि इन उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम की जा सके तथा सार्वजनिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था को खतरा न हो। उग्रवादियों की गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिये किसी विधान बनाने के प्रश्न पर संसद में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है।

केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप

747. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
डा० रानेन सेन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जनार्दनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इ० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल में यह कहा बताते हैं कि केरल में केन्द्रीय हस्तक्षेप का दिन दूर नहीं है ;

(ख) क्या कांग्रेस अध्यक्ष के विचार केन्द्रीय सरकार के विचारों का परिचायक है ;

(ग) क्या सरकार को केरल के राज्यपाल से इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि राज्य में कानून तथा व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि केन्द्रीय हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रेस-रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त किये।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन के यातायात में कमी

748. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में कलकत्ता पत्तन में यातायात धीरे-धीरे कम होता गया है, यदि हां, तो इसका ब्योरा और कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तुलनात्मक दृष्टि से बम्बई और मद्रास के यातायात में सतत वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो इसका ब्योरा और कारण क्या है ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण अन्तर्देश और देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र आता है, क्या यह सच है कि यातायात को इस क्षेत्र से अन्य पत्तनों में ले जाने से न केवल भारतीय माल का मूल्य बढ़ जायेगा अपितु विदेशी मंडियों को भी खोना पड़ेगा ; और

(घ) सरकार ने कलकत्ता पत्तन की इस शोचनीय अवस्था में सुधार करने के लिए तथा इस पत्तन को देश के अन्य पत्तनों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। जैसे नीचे बताया गया है कलकत्ता पत्तन से होने वाले यातायात में 1964-65 से क्रमिक कमी हुई है :-

(दस लाख टनों में)

	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 (31-1-69 तक)
आयात	60.8	52.8	58.0	48.9	34.0
निर्यात	49.8	45.6	43.1	41.1	33.7

यातायात में कमी होने के कई कारण थे जैसे देश में फसल में सुधार होने से खाद्यान्न के आयात में कमी, देश के साधनों से उत्पादन में वृद्धि होने से पेट्रोल और स्नेहक तेल के आयात में कमी, अन्य देशों की प्रतियोगिता के फलस्वरूप विदेशी बाजारों के हाथ से निकल जाने के कारण कोयले के निर्यात में कमी, खनिज धातु के पोत-लदान में कमी और अर्थ व्यवस्था में मंदी के दुष्परिणामों के कारण और यह मंदी अधिकतर पूर्वी क्षेत्र में है जहां अधिकांश इंजीनियरी उद्योग

है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर यातायात स्थिति में निकट भविष्य में सुधार होने की सम्भावना है।

(ख) मद्रास पत्तन पर आयात और निर्यात यातायात में मुख्यतः खनिज लोहे के निर्यात में वृद्धि के कारण गत कुछ वर्षों में स्थायी वृद्धि हुई है। यह मद कलकत्ता से मोड़ कर नहीं भेजी गई है। निर्यात की जिन अन्य मदों में वृद्धि हुई है वे ये हैं—लोहा और इस्पात और कच्चा लोहा। इस वृद्धि का यह कारण है कि इस माल को निर्यात करने वाले प्राकृतिक पत्तन उस सम्पूर्ण मात्रा की धरा उठाई नहीं कर सके जिसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड निर्यात करना चाहता था।

बम्बई पत्तन पर 1955-56 से 1966-67 तक यातायात में क्रमिक वृद्धि हुई। इसके मुख्य कारण ये थे—तेल शोध कारखानों की स्थापना, खाद्यान्न उर्वरक, उर्वरक के कच्चे माल, लोहा और इस्पात और सम्बन्धित परियोजनाओं के सामान का भारी आयात। परन्तु 1967-68 से यातायात में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ग) हुगली नदी के रख रखाव और निकर्षण पर और पत्तन निकर्षण पर व्यय 1947-48 में 75 लाख रुपया था जो बढ़कर 1968-69 में 7.5 करोड़ रुपये हो गया है। निकर्षण लागत में और अन्य व्यय मदों जिनमें सिव्वन्दी भी शामिल है, में वृद्धि होने के कारण कलकत्ता पत्तन के प्रभार अन्य निकटवर्ती पत्तनों के प्रभारों से ऊंचे हैं। ऊंचे पत्तन प्रभारों और डुबाव में प्रतिबन्ध होने के कारण कलकत्ता पत्तन पर यातायात की वृद्धि रुक गई है और कुछ माल तो मोड़कर अन्य पत्तनों पर भी भेजा जा रहा है क्योंकि उन पत्तनों पर पत्तन प्रभारों की दर कम है।

(घ) कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नदी निकर्षण और रख रखाव की लागत का आधा वहन करने का निश्चय किया है। यह लागत 1968-69 से चार वर्षों की अवधि के लिए 2.5 करोड़ वार्षिक होती है। इससे पत्तन को इस्तेमाल करने वालों को काफी राहत मिलने की सम्भावना है क्योंकि यदि ऐसा निर्णय न किया जाता तो पत्तन प्रभारों को और अधिक बढ़ाना पड़ता जिससे कलकत्ता पत्तन के यातायात की वृद्धि में रुकावट पड़ेगी और उसे मोड़ कर न्यून पत्तन प्रभारों वाले अन्य पत्तनों पर भेजने को प्रोत्साहन मिलेगा।

शिक्षा संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के बारे में पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

749. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सूरज भान :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रणजीत सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री जनार्दनन :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री लकप्पा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के बारे में पुनर्विलोकन

समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) सिफारिशों को कहां तक स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

साक्षर जनसंख्या

750. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के अन्त में देश में 1,000 की जनसंख्या के पीछे साक्षर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या थी ; और

(ख) इसी अवधि में फैजाबाद डिवीजन में 1,000 की जनसंख्या के पीछे साक्षर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). चूंकि जनगणना प्रत्येक दस वर्ष बाद की जाती है अत: 1968 के अन्त की सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, 1961 की जनगणना के अनुसार देश में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के पीछे साक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमश: 177 और 63 थी तथा फैजाबाद डिवीजन में यह संख्या क्रमश: 110 और 17 थी ।

Air Service to Raipur in M. P.

751. **Shri Lakhan Lal Gupta:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Raipur in Madhya Pradesh is linked by Air Service ; and

(b) if not, the reasons thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No, Sir.

(b) Air service has not been provided for Raipur because of inadequate traffic potential and shortage of air-craft with the Indian Airlines.

Murder of a Harijan Leader

752. **Shri Lakhan Lal Gupta:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the action so far taken in the Bhagwali Harijan murder case of Mungeli Tehsil, Bilaspur District, Madhya Pradesh ; and

(b) whether Government have decided to pay some compensation to the family of the deceased and, if so, the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information received from the State Government case crime No. 131/68 under section 302, 34, 120 B of the Indian Penal Code, which was registered on the murder of Shri Bhagwali, is still under investigation under the supervision of the Superintendent of Police, Bilaspur. Seven persons have been arrested so far.

(b) The question of payment of compensation to the family of the deceased has not been considered by the State Government.

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, कानपुर की उपभोक्ता सहकारी समिति

753. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, कानपुर की उपभोक्ता सहकारी समिति के विरुद्ध गबन, अनियमितताएं और गैर-कानूनी कार्यवाहियों के विभिन्न आरोपों पर दीवानी मुकदमा चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालय ने कुछ दस्तावेज मांगे हैं और क्या दस्तावेज दे दिये गये हैं ;

(ग) क्या 13,000/- रुपये के मूल्य के 513 गैस सिलेण्डर की खरीद 6000/- रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री की खरीद और श्री के० बी० साहरिया द्वारा बैंक आफ इंडिया में भुनाये गये एक चैक नं० 030254 दिनांक 5 जुलाई, 1965 का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है ; और

(घ) क्या नव-निर्वाचित पदधारियों को सहकारी समिति का कार्य-भार सौंप दिया गया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : ऐसा कोई दीवानी दावा दायर नहीं किया गया था। तथापि दीवानी दावा इस आधार पर किया गया था कि सोसायटी की वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन बिना पर्याप्त नोटिस दिये किया गया। दावे को अदालत ने 29-11-1968 को खारिज कर दिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1965-66 और 1966-67 के लेखों की विस्तृत जांच की जा रही है।

(घ) 1967-68 के निदेशक बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने चुनावों के बाद कार्यभार संभाल लिया है। चुने गये अध्यक्ष ने कार्य भार नहीं संभाला, क्योंकि उन्होंने पिछले अध्यक्ष से कार्य करते रहने का अनुरोध किया। 1968-69 के चुनावों को अदालत के आदेश के कारण रोक दिया गया है। नये चुनावों के होते ही, नये पदधारी अपना-अपना कार्यभार संभाल लेंगे।

गालिब शताब्दी वर्ष

754. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गालिब शताब्दी वर्ष मनाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम में कौन से देश भाग ले रहे हैं ; और

(ग) इसको सफल बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). गालिब शताब्दी भारत तथा विदेश में मनाई जा रही है । भारत में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, एक अखिल भारतीय गालिब शताब्दी समिति एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में गठित की गई है । इस समिति ने गालिब के विषय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा प्रदर्शनियों, बेले, नाटकों, मुशायरों और कवि सम्मेलन का आयोजन किया है । इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में एक गालिब स्मारक का निर्माण किया जा रहा है । ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन सारे भारत में किया जा रहा है । आकाशवाणी ने गालिब के विषय में विशेष कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया । एक वृत्त चित्र भी दिखाया जा रहा है । डाक-तार विभाग ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है । इन प्रबन्धों के लिये शिक्षा मंत्रालय 20 लाख रुपये का अनुदान दे रहा है ।

(ख) सोवियत रूस, इंग्लैंड, अमरीका, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, इटली, पश्चिम जर्मनी और कुवैत भाग ले रहे हैं ।

पूर्व हड़प्पा युग की वस्तुओं का पाया जाना

755. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण स्नातकोत्तर कालेज, पूना स्थित अनुसंधान संस्था और राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई खुदाई के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर में पूर्व हड़प्पा युग की वस्तुएं पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की वस्तुएं पाई गई हैं ; और

(ग) उनसे इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर में की गई खुदाई के दौरान तीन मानव कब्र, दो खण्डयुक्त और कब्र संबंधी बर्तनों के साथ सम्बद्ध तथा एक पूर्ण मानव कंकाल, बगैर किसी सम्बद्ध वस्तु के, पाई गई थी । एक प्रौढ़ व्यक्ति का मानव कंकाल एक फैले हुए रूप में दफनाया हुआ पाया गया था । कब्र में, अण्वशम नामक, पत्थर के छोटे औजार, जंगली जानवरों की हड्डियां, जिन्हें उस स्थान पर रहने वालों ने खा लिया था और हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन, जिनमें से कुछ पर नक्काशी की हुई थी, मिले हैं । कब्र की उपरी परत में लोहे के औजार और चाक के मिट्टी के बर्तन थे । वर्तमान अनुमान के अनुसार कब्र दो हजार वर्ष पुरानी है ।

(ग) जहां तक राजस्थान के पिछले पाषाण युग की संस्कृति का संबंध है, पाई गई वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं ।

द्रव्य भौतिकी विज्ञान

756. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री बलराज मधोक : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्रव्य भौतिकी विज्ञान में पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शिक्षा के इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). द्रव्य विज्ञान, एक नया अन्तर-विषयक क्षेत्र है और भारत में इसके विकास का संबंध हमारे उद्योग की टेक्नोलोजी प्रगति से होना चाहिए । अनेक तकनीकी संस्थाएं, इस क्षेत्र में पहले ही से सामान्य पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं । अनुसंधान से भी प्रगति हो रही है । द्रव्य विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का एक केन्द्र सोवियत रूस के सहयोग से, भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान खड़गपुर में स्थापित करने का विचार है ।

मध्यम आय वाले पर्यटकों के लिये सस्ता आवास

757. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन विकास परिषद् की सिफारिशों का अनुसरण करते हुये इस देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों में आने वाले मध्यम आय वाले पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनको कैसे और कब लागू किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की स्कीमों को आरम्भ करना संभव नहीं हो सकेगा ।

Indian and Foreign Christian Missions in Madhya Pradesh

758. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have ascertained from the Madhya Pradesh Government the number of Indian and foreign Christian Missions which are at present engaged in religious propaganda in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof as supplied by the State Government to the Central Government; and

(c) the amount of foreign exchange received by the aforesaid Missions in Madhya Pradesh during the last three years, according to the information received by the Central Government from the State Government and also from their own sources ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारतीय विधि संस्थान में राजनैतिक एवं संवैधानिक समस्याओं पर वार्ता का समाचार

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारतीय विधि संस्थान में वार्ता के दौरान वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक समस्याओं पर वार्ता के समाचार ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : ऐसा समाचार है कि विधि मंत्रालय के सचिव श्री गयी ने 17-18 फरवरी, 1968 को भारतीय विधि संस्थान में 'राज्यपाल की कुछ संवैधानिक शक्तियों' पर भाषण दिया था । पहले दिन की वार्ता के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश ने अध्यक्षता की। श्री गयी के भाषण में राज्यपाल की शक्तियों पर बात थी। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि उनके विचार संवैधानिक विधि के एक अध्ययता के रूप में कहे गये थे। यह बात सरकार के सचिव के रूप में नहीं कही गयी थी। फिर यह विचार कानून में शोध करने वालों के समक्ष कही गयी थी।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : प्रश्न यह है कि क्या सरकारी अधिकारियों को वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं विशेषत: जिनके सम्बन्ध में उन्हें निर्णय आदि करने होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भाषणों में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिये अथवा नहीं ? स्टेट्समैन ने लिखा है कि श्री गयी ने अपने भाषण में पश्चिमी बंगाल में श्री अजय मुखर्जी के मंत्रिमंडल को हटाने के लिये वहां के राज्यपाल की सराहना की थी। यह एक संवैधानिक विषय था। इस बारे में सरकारी अधिकारियों को विवादास्पद विषयों पर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिये। इस प्रकार यदि कहा जाने लगे तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच तनावपूर्ण वातावरण बन जायेगा और देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करायी जायेगी और यदि वह दोषी हैं तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? दूसरे क्या यह अधिकारी विधि मंत्री की ओर से यह कह रहे थे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि उन्हें ऐसी बात करनी चाहिये थी अथवा नहीं। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। इस बारे में किसी प्रकार की जांच आवश्यक नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा रेलवे प्रतिवेदन 1969 **तथा आर्थिक सर्वेक्षण,** 1968-69

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति-सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1969 की एक प्रति।

(2) वर्ष 1967-68 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे, भाग एक—समीक्षा, की एक प्रति।

(3) वर्ष 1967-68 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे, भाग दो—विस्तृत विनियोग लेखे, की एक प्रति।

(4) वर्ष 1967-68 के लिये ब्लाक लेखे (ऋण लेखों के पूंजी विवरणों सहित), सन्तुलन पत्रों तथा लाभ-हानि लेखे, रेलवे, की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 61/69]

(5) 'आर्थिक सवक्षण, 1968-69' की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 63/69]

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(6) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 62/69]

विमान (दूसरा संशोधन) नियम

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(8) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अधीन विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2147 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 64/69]

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित विवरण जिनमें लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई दर्शाई गई है की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1	छठा सत्र 1968 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 7 और 8	पांचवा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 15	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15	प्रथम सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 18	दसवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 65/69]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 60 एल० आर० ओ० 67 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 60/एल० आर० ओ०/67 जो दिनांक 4 जुलाई, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967 का शुद्धिपत्र दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1659/68]**

(11) शस्त्रास्त्र नियम, 1962 की धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन शस्त्रास्त्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 4 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 5 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 66/69]**

(12) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) छठा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2139 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1968 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2211 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) सातवां संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 123 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) जी० एस० आर० 124 जो दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(छः) जी० एस० आर० 161 जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सात) जी० एस० आर० 162 जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 123 का शुद्धिपत्र दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 67/69]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

छियासठवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं शिक्षा मंत्रालय (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता और (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हाल संग्रहालय, कलकत्ता के बारे में प्राक्कलन समिति के पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कारवाई के विषय में प्राक्कलन समिति का 66वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तेंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री सोनावने : मैं खाद्य विभाग सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1966-67 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1968 के बारे में लोक लेखा समिति का 43वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० एस० ढिल्लन : मैं प्रागा टूल्स लिमिटेड लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968 के सेक्शन चार के पैराग्राफों के विषय में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : 24 फरवरी, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(2) वर्ष 1969-70 के रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा ।

2. जैसा कि पहले घोषित किया गया है वर्ष 1969-70 का सामान्य बजट शुक्रवार, 28 फरवरी, 1969 को 5-00 बजे म० प० पर पेश किया जायेगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी
MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Sir, I support the motion of thanks on President's address. I want to say something in this regard.

First of all, I want to know as to what action is being taken in the direction of taking back the territories that have forcibly been taken from us by China and Pakistan.

Our foreign policy should be decided keeping in view the vital national interests of our country. In the event of emergency we found our policy wanting. It is high time that we recast our policy.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

We should establish diplomatic relations with Israel and East Germany ; as we have given diplomatic status to Arab League.

It has been repeatedly said on behalf of Government that we are prepared so far the defence situation of the country is concerned. We should take steps to be self sufficient in the matter of defence production. We have got to be cautious against the agents of enemies. Pakistani agents are also active in our country.

It is true that we have taken strong steps to crush their spy rings but still we find that sabotage activities are going on hither and thither. I do not want to pin point any particular party or section of the society. But there are some people who are always ready to create disturbances and disturb the peace. We should be aware of such people. Foreign money is also interfering into our internal affairs.

So far as barter system is concerned, I may say that we are in loss. We sell goods to rupee-payment countries on cheap rates as we want to promote our export and buy from them on much higher cost.

So far as Centre-State relations are concerned some people are interested to come to power and then to defame the Central Government. On one pretext or the other they will start quarrelling with the centre. But I would also say that centre should remove the genuine grievances of the states.

It is true that the states are empowered to create new districts but the spirit of integration should be kept in mind in doing so. It has appeared in the papers that Kerala has carved out new districts and that Centre has given its approval to it. It is not a bad thing but what is going on behined the scene is a matter of concern. We should not commit such things if they are to be done to please some sections of the society.

So far as the question of unemployment amongst the educated persons is concerned, I would say that our education system is wrong. We do not make them hardworker. The engineers who are coming out of institution are neither good in practical work nor they are good in theory. It is not easy to solve this problem unless our country is developed industrially. I agree that workers should fight for their legitimate rights but alongwith that they should continue the production in the factories. This is a thing which we have to teach our men.

The people of Bihar have the same grievance to the effect that they are not being recruited in the undertakings being established in that Bihar. Their grievances should be removed. I quoted one instance in December last that labourers are being brought in Bihar on seven rupees per day whereas local labourers are available on three rupees per day. Such things should be stopped otherwise it will give growth to new 'senas'.

Atomic Power Station or Atomic Research Station should be established in that state. There are huge deposits of uranium in that State. It is also appeared in the papers that rare earth or rare minerals are exported outside and they are reaching in the hands of our enemies. The Government should look into these things. I do not know how far these news are correct.

It has been admitted in the reply of an unstarred question of 18th February that Government has suffered a loss to the tune of 2 crore and 95 lakhs of rupees in the export of iron ore to Japan. It is better not to export than to suffer a loss in this way.

Some undertakings are also running into loss. In this connection I want to suggest that such persons should be appointed as head of the undertakings who have got technical knowledge of the work of that undertaking. It is not so that a good administrator can be successful in the undertaking. Only those who have the ability to run those undertakings profitably should be appointed. Moreover there is no code of recruitment in these undertakings. Secondly the officers have been given more powers in administrative powers than in trade matters. Another thing is this that correct estimates are not made at the time of preparing a draft of the scheme. The cost of the project increases manifold at the end than what is estimated at the draft stage.

Sale aspect of the project is also not taken into consideration before starting it. In charge of the projects should contact the institutions in private and public sectors to make an assessment about the demand of the products to be produced in them.

Tourism is being developed. We are trying to attract tourists from abroad. We are developing places of natural beauty and ruins. But I would suggest that we should develop places of religious and historical importance also. Fort of Chittor in Rajasthan and temple of Meera there in should be repaired. Such places invoke the spirit of nationalism amongst the people. We should also try to encourage tourism amongst our own people. That will help in

fostering the unity. There are many places in Bihar which can be developed for attracting tourists from abroad and from within the country. Places of Buddhist interest should not be ignored.

Railway line connecting Kotah and Chittor should be constructed. Although it is uneconomic yet it is very important from the strategic point of view.

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : Much has been said about the agricultural progress in the Presidents address. I may say that rains had been good last year. That is the reason for the bumper crop. Actually the Government has neglected the agriculture for the last 22 years. Government should not take the credit of the bumper crop of the last year. Even today Government is not paying due attention to agriculture. In the Fourth Plan only 300 crores of rupees have been earmarked for agriculture whereas 14,500 crores have been earmarked for industry. It is clear that agriculture is being neglected. All credit for increasing in agricultural production should go to the farmers.

So far as progress of industrial sector is concerned I may say that huge public sector industries are running into loss. Instead of making profit at the rate of 10 percent on the capital investment i.e. about 300 crore a year we are accruing a loss of about 40 to 50 crores of rupees per year. Government is pursuing a wrong industrial policy. On the one hand it is said that there are no funds for completing the Rajasthan canal but on the other hand Government is spending 600 crores of rupees on Bokaro Plant. I want to quote another instance in that respect. Government is going to start new Sugar Mills in Maharashtra whereas these mills are being closed in U. P. Therefore it is not correct to say that our industrial policy has been a success. Pakistan started its Mangla Dam alongwith our Pong Dam. Pakistan has completed its dam long ago but we are still in the process. Many years have passed since we started our Rajasthan canal but it has not yet been completed.

So far as foreign policy is concerned I may say that we are following an old policy formulated in 1947. Many changes have taken place in the world. There has been a shift in the Russian foreign policy. It is coming close to Arabs and Pakistan. Russia is supplying arms to Pakistan. They are formulating and changing their policy according to their own national interest. But we on the other hand are pursuing the same old policy. We have failed to make changes in our foreign policy consistent with the changed circumstances. We should effect fundamental changes in our foreign policy and should try to befriend Israel along with the Arab countries. We should also beware of the happings in Pakistan. They can attack us for diverting the attention of the people of their country from internal problems.

A Power vacuum is being created in the Indian Ocean by the British withdrawal. Some body has to fill this vacuum. If India fails to fill that vacuum China will automatically come to fill that vacuum. If we are not in a position to fill that vacuum alone we should combine with Japan, Australia or Newzealand or any other country of the region to fill that vaccum. We should resist Chinese or Russian influence in the region otherwise we ourselves will be in danger some day.

Secretary of the department should not be allowed to make policy statements. It should be done by the minister concerned. So far as foreign policy is concerned Prime Minister should make the statement. We should buiid our foreign policy according to our national

interest. We can not think Russia or America as our friends. Both want to see a weaker India. This is the reasons that they supply arms to Pakistan. We should build our defence and only then we can have friendship with Russia or America. A weaker nation cannot have freindship with a powerful nation. Two nations of equal power can have friendship. A master cannot have freindship with his servant.

The Prime Minister said yesterday that it is wrong to say that we have not made any progress. We should measure the progress with the amount spent for the purpose. From that point of view, we will see that the progress is meagre. We have spent twenty-five crores of rupees; 12 hundred crores of rupees we have taken as foreign loan and the aid also is between 5-6 thousand crores. We will have to introduce fundamental changes in our policies if we want the progress of the country. We should frame our policies in the interest of the country.

The collusion between pro-Chinese and pro-Pakistani elements is working openly in this country. The happenings in Bihar and West Bengal during the recent elections has testified that such groups are not only working in Kerala but they are also working in the entire country. I would like to know the steps being taken to face such a threat to the integrity, security and sovereignty of the nation. We have to be prepared to meet the increasing danger of internal subversion which China and Pakistan are abeting.

The President has said in his address that there are certain extremists in the country who have no faith in the democracy. I don't know why the Government has thought it fit not to disclose the names of parties which lack faith in democracy. But the communists do not conceal their lack of faith in democracy and they want it to face. Such disruptive powers should not be allowed to prosper in this country.

The President has also said that there should be a feeling of secularism and nationalism, within everyone and it should be developed. Have you ever thought what nationalism is ? It is not based on religion. It means that everyone in the country, irrespective of caste, community or institution, should love the land. There may be various groups, political parties, States, communities and languages but none of these things should come in the way of one's belief in the country. It is nationalism to give precedence to the country over other loyalties. But when one says that whatever may happen to the country, I will give precedence to my party, State, community or caste, he is a communalist. Jan Sangh is such a party, and Congress is responsible for creating and exploiting the feelings of caste, community, region and language. Only aim of the Congress is to be in power. And for this it has endangered the integrity and unity of the country, though outwardly it is a spokesman of secularism yet it encouraged communalism by enacting different set of laws for different Communities. The laws of the land must be the same for all.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री गादिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

Shri Balraj Madhok : I am proud to say that Bhartiya Jan Sangh has done nothing to harm the interests of the country during its history of last seventeen years. For us the party is only a means of national service. But I would like to ask our Congress bretheren whether they have not harmed the interests of the country for party interests at every step ? The Congress men are now raising the question of Sikhs and non-Sikhs in Punjab and they are creating a feeling of separation amongst them. During her tour of Punjab, the Prime Minister said that if Congress is not voted to power, Kashmir will not remain a part of India. Does it not amount to incite the people of Kashmir to raise the voice of recession if the Congress no longer remains in power.

The Congress Government is not giving recognition to Israel lest Muslim voters should go out of their hands. The policies and programmes of the congress propagate and give impetus to communalism, but they accuse the Jan Sangh of Communalism. If there is any nationalist party in India, it is Jan Sangh. Our concept of nationality is different from the congress concept of nationality. The feeling of nationalism only can be effective to quell the separatist tendencies. The feeling of nationalism were aroused at the time of aggression of India by China and Pakistan, but it is Jan Sangh which arouse such a feeling.

The President has also referred to secularism. Secularism does not mean that there should be no State religion. Britain and United States are both secular countries but both of them have a state religion. Secularism means that there should be no distinction between the citizen in the matter of patronage, services and laws on the basis of worship or religion. If this Government had been secular, would there have been different marriage laws for Hindus and Muslims ?

This Government has taken Ashoka as a model who was not a secular king. We are of the opinion that India is as much a Hindu state as U. A. R., Syria and Sudan are Muslim States There are 14 per cent non-Muslims in Syria and Sudan and there are 12 per cent non-Muslims in U. A. R. but no one ever heard of any religious minority in those countries. They are Muslim States, yet they call themselves as secular States. Our country is said to be a secular country but the question of religious minorities is raised every day. It is not proper to do so.

It is the duty of the Congress to establish healthy traditions since it is in majority. But it incites religions feelings for party interest and at the same time talks of secularism. India has never been a theocrasy. The Congress should try to become secular in real sense of the word.

Mention has also been made of maintaining good relations with the States. But what sorts of traditions this Government is following ? What have they done in Haryana ? A Member has been Kidnapped in that State. Is this a democratic tradition ? Step motherly treatment is being meted out to Delhi since the administration of the capital is in the hands of Jan Sangh.

The real wages of Government servants are less as compared to those in 1947. There are more than two hundred unauthorised colonies in the capital. The Government is after demolition of such houses.

We should not disgrace Gandhiji by calling him father of the nation. He was a great son of the soil. He wanted that the Congress party should be dissolved and hetrogenous groups within the party should form separate parties. It is high time that this suggestion of Gandhiji be put into action. I hope the congressmen will seriously consider the suggestions made by me and try to put them into action.

Let us remember that the country is in danger. The fight is not between the congress and other parties but between the nationalist forces on the one hand and antinational forces on the other.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I support the motion of thanks on President's Address moved by Shrimati Sushila Rohatgi.

The President has referred to the big problems facing the country and the policies of Government of India in brief. The opposition has nothing concrete to offer. They criticise for sake of criticism only. They say one thing in public and entirely different here. They look to the past and do not care for the future. Reality cannot be falsified in the democracy, but these people have nothing to do with reality.

This is not war time. We are in an era of peace. In such an era the country should be brought on the path of development but it is only possible if the opposition cooperates with the Government in such an effort. If the democracy is to survive in India and if we want to maintain the integrity of India, the opposition parties will have to change their policies. It is the misfortune of this country that there is no healthy opposition. Every one who wants power, sets up his own party. The Government will have to think in terms of reducing the number of parties. All the parties should think in terms of reducing the number of such parties. The maximum number of parties should be four.

The basic policies will have to be changed in order to see that the rich do not become richer and the poor do not become poorer. We should do every thing to see the rich do not exploit the poor. The Government should reconsider such policies which were introduced to bring about socialism and which have proved a failure. The five year Plan should be framed to benefit the poor and not the rich class. The capitalists are deriving undue benefits from those Plans ?

Special attention should be paid to backward areas and backward classes. Himachal Pradesh should be raised to the status of statehood and until that is done, the amount provided for development should be increased by 25 per cent. At least five crore rupees should be provided for drinking water and irrigation schemes. Govind Sagar lake should be developed. Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Delhi should be brought under one food zone.

One Hon. Member from my party has criticized the construction of another house for the Prime Ministsr. The house in which the Prime Minister is now living is meant for a deputy minister. The Member should have taken this fact into consideration his own house at Jabbalpur before criticising in such a way.

I have great respect for Shri Ranga. Though he had been fighting for the interests of kisans in the past, but unfortunately at present he had joined hands with the enemies of kisans

and that is why he had uttered such words that congress party had no legs to stand, whereas the fact was that Congress was the largest party and she was mother of all political parties like the Swantantra, the Communists, the PSP and the SSP.

He had said that the Home Minister should resign. I think it is the good fortune of the country that we are having Mr. Chavan as our Home Minister. He had saved the country and as such he deserves our congratulations.

Shri Balraj Madhok had made a reference to public sector Industries. I want to tell him that we are constructing a new India through these projects. The concerns like the Hindustan Machine Tools, Indian Oil, Indian Shipping Corporation, Indian Air lines Corporation and Air India are the back bone of our new India.

Shri Balraj Madhok had made some personal reference of the Prime Minister and the foreign Minister. It was not proper. After all he is a leader of a party and he should not talk so low. A reference had also been made regarding the residence of the Prime Minister. The present residence of the Prime Minister is so small that there is no room for the foreigners to sit who come to see the Prime Minister. Moreover this house is not being constructed for her only ; but it will be a Prime Minister's House for all future Prime Ministers.

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरुत्तानि) : यद्यपि मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं तथापि उनके अभिभाषण से मुझे कुछ बातों पर असंतोष तथा निराशा हुई है, क्योंकि उनके अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के समेकित आर्थिक विकास का उल्लेख किया गया था तथा विघटनकारी प्रादेशिक और साम्प्रदायिक आन्दोलन के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी । प्रधान मंत्री ने भी कल अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुये इन सब बातों का उल्लेख किया था और गृह मंत्री तथा सत्ताधारी दल के कुछ अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की थी । मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या प्रधान मंत्री उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी तथा सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य वास्तव में इन विघटनकारी आन्दोलनों के प्रति चिन्तित हैं ? यदि ऐसा होता तो वे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करते, जो इस समय कर रहे हैं । जब कभी उन्हें बताया जाता है कि बम्बई में ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं अथवा शिव सेना ने ये अत्याचार किये हैं, तो वे उत्तर में अन्य दलों पर आक्षेप लगा देते हैं और तामिलनाड में हुई घटनाओं का उल्लेख कर देते हैं । क्या इस प्रकार इस समस्या का हल हो सकता है ? वे इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि सत्ता उनके दल के हाथ में है तथा केन्द्रीय सरकार उनकी है । मैं एक पुरानी कहावत "यथा राजा तथा प्रजा" का उल्लेख करना चाहता हूं । उनका दल देश का प्रमुख राजनीतिक दल है तथा स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों से सत्ता उनके हाथ में रही है । अत: क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे अच्छी प्रथायें स्थापित करते ताकि अन्य दल उनका अनुसरण करते ? आज देश में अथवा उन राज्यों में जिनमें सत्ता विरोधी पक्षों की मिली-जुली सरकारों के हाथ में है, कुछ खामियां हैं तो इसका कारण केवल यह है कि भूतकाल में उनकी सरकारों में खामियां रही हैं । अत: उन्हें इस सम्बन्ध में गम्भीर विचार करना चाहिये, अपने आपको सुधारना चाहिये तथा अच्छी प्रथायें स्थापित करनी चाहिये, ताकि देश की प्रगति हो सके ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर खुशी व्यक्त की गई है कि देश के किसान खेती के लिये वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं। आज भी देश के किसान के सम्मुख बहुत कठिनाइयां हैं और यदि मैं उनका उल्लेख करूं तो उसके लिये बहुत समय चाहिये। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि उनकी योजना उस समय सहायक सिद्ध होती है, जब मौसम अच्छा हो अन्यथा नहीं। हमारे देश में बहुत-सी नदियां हैं। उत्तर में बड़ी-बड़ी नदियां हैं, मध्य में दरमियाने दर्जे की नदियां हैं तथा दक्षिण में छोटी-छोटी नदियां हैं। बहुत से व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया था कि इन नदियों को मिलाया जाना चाहिये। यदि सरकार के इस कथन में सचाई होती कि वह कृषि का विकास चाहती है, तो इन नदियों को अब तक मिलाया जा सकता था, क्योंकि गत 21 वर्षों में सत्ता उनके हाथ में रही है। वे तो केवल यह कहना जानते हैं कि आगामी दो वर्षों में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। प्रायः हर वर्ष देश के कुछ भागों को बाढ़ों का तथा कुछ अन्य भागों को अकाल का सामना करना पड़ता है। अतः इस बारे में यदि उनकी वास्तविक दिलचस्पी होती तो इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जा सकता था। क्या कृषि के लक्ष्यों को पूरा करना उनका प्राथमिक कर्तव्य नहीं है ? कृषि के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सिंचाई के लिये जल की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये कोई ठोस कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई। अभी तक नर्मदा, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बारे में निर्णय क्यों नहीं किया गया ? इन बातों से पता चलता है कि इस सरकार की जन-कल्याण में दिलचस्पी नहीं है।

कल श्री रंगा ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि देश के कुछ भागों के साथ भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तेलंगाना में जो उपद्रव हुये हैं उनका कारण भेद-भावपूर्ण व्यवहार ही था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जनता के किसी वर्ग के साथ तथा देश के किसी भाग के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार न किया जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री प्रेम चन्द वर्मा ने बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया था और कहा था कि नये भारत का निर्माण हो रहा है। परन्तु वह इस बात को भूल गये कि इन बड़ी-बड़ी योजनाओं में कितना धन बर्बाद किया जा रहा है। इन योजनाओं में करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर में तीन इस्पात कारखाने स्थापित किये गये हैं, परन्तु दक्षिण में कोई इस्पात कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। तामिलनाडू, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के लोग इस्पात कारखानों की स्थापना की मांग करते रहे हैं। यदि इन तीनों राज्यों में एक-एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाता तो प्रत्येक इस्पात कारखाने पर लगभग 100 से 200 करोड़ रुपये लागत आती, जो कि बोकारो इस्पात कारखाने की लागत से बहुत कम है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार दक्षिण में इस्पात कारखाने स्थापित नहीं करना चाहती। सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया कि इन तीन इस्पात कारखानों में बोकारो इस्पात कारखाने की तुलना में दोगुने अथवा तिगुने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता था। हमारे प्रत्येक राज्य में बेकारी बहुत बढ़ रही है तथा क्या इस समस्या पर सोचना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य नहीं था ?

जहां तक तामिलनाडू में इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रश्न है, यह उस समय की बात है जब मद्रास में कांग्रेस का राज था, श्री वेंकटारमन्, जो आजकल योजना आयोग के सदस्य हैं, उस समय मद्रास के उद्योग मंत्री थे, तब वह इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या मद्रास में इस्पात कारखाना लगाना लाभप्रद होगा, जापान गये थे तथा जापान के विशेषज्ञों से इस बारे में बातचीत की थी। जापानी विशेषज्ञों का मत था कि मद्रास में इस्पात कारखाना लगाना लाभप्रद होगा तथा इस सम्बन्ध में श्री वेंकटारमन् ने केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार भी किया था। जापान वहां इस्पात कारखाना स्थापित करने में सहयोग देने को भी तैयार था। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस पर भी वहां इस्पात कारखाना स्थापित करने पर सहमत नहीं हुई तथा वह इस समय भी सहमत नहीं है। क्या यह भेद-भाव नहीं है ? क्या यही प्रजातंत्र है ? ऐसी स्थिति में हम कब तक चुप रह सकते हैं ?

रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में भी भेद-भाव किया जा रहा है। हम मद्रास से विलापुरम् तक दोहरी लाइन की मांग करते रहे हैं, परन्तु उसे दोहरी नहीं किया गया है। यद्यपि उस लाइन का विद्युतीकरण किया गया है, तथापि इसे दोहरी न किये जाने के कारण विद्युतीकरण का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि रेलगाड़ियों को प्रत्येक स्टेशन पर रुकना पड़ता है। लाइन के दोहरी न किये जाने के कारण रेलगाड़ियों को मिलान के लिये उन स्टेशनों पर भी रुकना पड़ता है, जिन पर उन्हें नहीं रुकना चाहिये। उत्तर तथा दक्षिण में रेलवे पर किये जा रहे खर्च से यह स्पष्ट पता चलाता है कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेद-भाव किया जा रहा है।

लगभग दो वर्ष पहले इसी लोक सभा में कहा गया था कि मद्रास से अरकोनाम तक रेलवे लाइन को दोहरा किया जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को दोहरा किया जाये।

जहां तक भाषा का प्रश्न है, इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य श्री गोविन्ददास ने कल कहा था कि इस बारे में हम सबको कुछ न कुछ बलिदान करना चाहिये। परन्तु हमें ही बलिदान करने को क्यों कहा जा रहा है। आज जो राजभाषा है उसे सब समझते हैं और उसे देश के प्रत्येक कोने में इस्तेमाल किया जाता है। मैं हिन्दीवादियों से पूछना चाहता हूं कि हिन्दी लागू करने पर इतना अधिक धन क्यों बर्बाद किया जाता है ? हमें बहुत से संसदीय पत्र हिन्दी में दिये जाते हैं तथा उन पत्रों को छांटने में हमारा बहुमूल्य समय नष्ट होता है। हिन्दी के लागू करने पर जो धन बर्बाद किया जा रहा है, यदि उसका इस्तेमाल गरीब छात्रों के लिये पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करवाने और उनके वितरण पर किया जाता, तो कहीं अच्छा होता। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर हिन्दी थोपी जा रही है। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि वह ऐसा करने से बाज आये अन्यथा इसके परिणाम गम्भीर होंगे।

प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री राष्ट्रीय एकात्मा और केन्द्र राज्य सम्बन्धों की बात करते हैं। हमारी वर्तमान प्रजातंत्र पद्धति के अन्तर्गत केवल राज्य ही सर्व-साधारण का कल्याण कर सकते

हैं। इसलिये सरकार को राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय एकात्मकता और समाजवाद का सही अर्थ समझना चाहिये तथा राज्यों को अधिक धन और शक्तियां दी जानी चाहिये, ताकि वे सर्व-साधारण का कल्याण कर सकें।

हथकरघा उद्योग के प्रति सरकार भेदभाव की नीति अपनाये हुए है। कृषि को छोड़कर हथकरघा देश का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योगों से लाखों परिवारों का निर्वाह होता है। खादी तथा हथकरघा उद्योग में कोई अन्तर नहीं है, केवल इतना ही अन्तर है कि खादी में हाथ से कता हुआ धागा इस्तेमाल किया जाता है। खादी उद्योग पर हथकरघा उद्योग की तुलना में बहुत कम व्यक्ति निर्भर हैं। प्रशासन की लापरवाही और धन की कमी के कारण हथकरघा उद्योग के व्यक्ति कठिनाई में हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग पर जिसमें केवल कुछ लाख व्यक्ति ही लगे हुए हैं सरकार ने 94 लाख रुपये खर्च किये हैं और हथकरघा उद्योग पर जिसमें 1 करोड़ से 1.50 करोड़ तक व्यक्ति लगे हुए है केवल लगभग 24.76 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। क्या यह उचित है? सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। गांधीजी के नाम पर मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जब कि वे गांधीजी की शतवर्षी मना रहे हैं, उन्हें हथकरघा उद्योग पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती सुधा रेड्डी (मधुगिरि): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

हाल में पश्चिम बंगाल में एक मिली-जुली सरकार बनी है, जिसमें साम्यवाद—दक्षिणपंथी तथा वामपंथी और मध्यम पंथी, बंगला कांग्रेस, पी० एस० पी० और एस० यू० सी० जैसी पार्टियां शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता के बारे में कहा गया है कि उसे घोड़े की तरह शक्तिशाली, सर्प की भांति बुद्धिमान और बत्तख की भांति अधातुक होना चाहिये, परन्तु ये सामाजिक कार्यकर्त्ता इसके विपरीत हैं, वे सांप की तरह जहरीले हैं और गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। यह एक ऐसी सरकार है जिसके संघटकों के विचार परस्पर विरोधी हैं। कहा गया है कि जो ताज पहनता है, उसे चिन्ता रहती है, परन्तु इस सरकार के तो रावण की तरह 10 सिर हैं और हमें आशा है कि इसे चिन्ता नहीं सतायेगी।

यह एक अच्छी बात है कि हम धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चल रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता धर्महीनता में बदलती जा रही है। वास्तव में धर्म का अर्थ एक कड़ी में बांधने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धर्म की इस भावना का आचरण किया जाना चाहिये और विशेषतया युवा पीढ़ी को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं समझती हूं कि बच्चे और स्त्रियां इस वर्ग में आ जाते हैं। मैं समझती हूं कि पिछड़ी जाति आयोग ने सिफारिश की थी कि स्त्रियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया जाना चाहिये।

देश की भलाई इसमें है कि प्रशासन को स्त्रियों के हाथ में सौंपा जाना चाहिये। पुरुषों के हाथ में प्रशासन रहा है तथा वे प्रशासन को सुधारने में असफल रहे हैं। इसलिये प्रशासन स्त्रियों को सौंपा जाना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि स्त्रियों को कृषि के उन्नत तरीकों की शिक्षा दी जानी चाहिये क्योंकि बुआई से लेकर कटाई तक खेती का 60 प्रतिशत काम स्त्रियां करती हैं। मेरा सुझाव है कि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, जो करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। अस्थायी कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता तथा उनके परिणाम भी अस्थायी होते हैं। अब समय आ गया है जबकि पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं को युद्ध स्तर पर लिया जाना चाहिये और उनकी सुधार योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस बात को याद रखना चाहिये कि यदि ये क्षेत्र काफी समय तक पिछड़े रहे तो स्वार्थी लोग इसका लाभ उठायेंगे और वहां के लोगों में असंतोष पैदा करेंगे। हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी का दास नहीं है, वह केवल धन का दास है। इसलिये पिछड़े क्षेत्रों का विकास परमावश्यक है, ताकि धन के अभाव के कारण वहां के लोग रास्ता न भटक जायें। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस बड़े-बड़े व्यापारियों का दल है तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने किसी अन्य दल को राजों-महाराजों का दल बताया तथा कुछ माननीय सदस्यों ने किसी अन्य दल के बारे में कहा है कि उसे चीन से धन प्राप्त होता है, चाहे जो हो, परन्तु वास्तविकता यह है कि जीवन के लिये कुछ न्यूनतम धन की जरूरत होती है। इसलिये आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाना चाहिये।

कृषि के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि बहुत सी देशव्यापी समस्यायें हैं। मैं इस सम्बन्ध में विशेषतया मैसूर राज्य का उल्लेख करना चाहती हूं। मैसूर में बहुत से ऐसे तालाब हैं, जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं तथा जिनकी न तो मरम्मत ही की गई है और न ही उनमें से मिट्टी निकाली गई है। उनको जिस उद्देश्य के लिये बनाया गया था, अब उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आगामी वर्षों में लघु सिंचाई और भूसंरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि सरकार को गंदी बस्तियां हटाने के अतिरिक्त गंदी बस्तियों को सुधारने का कार्यक्रम भी अपनाना चाहिये। कई सरकारों ने गंदी बस्तियों को हटाने का प्रयास किया है परन्तु वे असफल रही हैं। मैं समझती हूं कि गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम सफल हो सकता है। इसलिये गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम अवश्य आरम्भ किया जाना चाहिये। प्रायः गंदी बस्तियों में ही असंतोष का जन्म होता है। इसलिये सरकार को इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देकर कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिये।

मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं कि विभिन्न समस्याओं के बारे में विलम्ब होता है, वह नहीं होना चाहिये, क्योंकि न्याय में विलम्ब का अर्थ न्याय न करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि महाजन पंचाट को, जो मैसूर सीमाओं के बारे में चौथा पंचाट है अविलम्ब लागू किया जाना चाहिये।

शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। परन्तु ज्ञात होता है कि हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ ही भूल गये हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ चरित्र निर्माण है, न कि पेट भरना। परन्तु इसके साथ-साथ हमारी शिक्षा में व्यवहारिकता होनी चाहिये। विश्वविद्यालय शिक्षा और रोजगार की क्षमता में सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिये। मुझे याद है कि कई वर्ष पहले रामास्वामी मुदालियार समिति ने सुझाव दिया था कि दफ्तरों के काम काज के लिये मैट्रिक तक की शिक्षा पर्याप्त समझी जानी चाहिये। मैं समझती हूं कि इस सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रसिद्ध शिक्षाविद ओलिवर रेडलिक्स ने कहा है कि समृद्ध राष्ट्रों ने भी प्रत्येक व्यक्ति को विश्वविद्यालय शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया है, परन्तु हमारा देश, जोकि एक गरीब देश है, ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। मैं समझती हूं कि सामान्य जीवन के लिये मैट्रिक परीक्षा के स्तर को और अच्छा बनाने पर जोर देना पर्याप्त होगा।

मेरा सुझाव है कि हमारे उद्योगों को भावना अथवा सिद्धान्त की ओर नहीं, अपितु उपभोक्ता के हितों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। एच० एम० टी० कारखाना एक सफल कारखाना सिद्ध हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

विभिन्न औद्योगिक एककों विशेष कर सरकारी एककों को वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिये जहां मूल कारखाने काम कर रहे हों ताकि भवनों, कर्मचारियों के मकानों आदि पर दोहरे खर्च को बचाया जा सके।

बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेने की बजाय छोटी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री दांडेकर ने कहा कि यहां पर करों की भरमार है। परन्तु वह कौनसी पार्टी है जो करों के बिना देश का विकास कर सकती है।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The President's Address says that our economic situation has started improving. But the truth is that still we have to face economic difficulties. We owe about 5800 crores of loans. It is very regrettable that even after securing such huge loan we have not been able to effect an adequate increase in the income of weak sections of our population. Even today, the spending capacity of 34% of our rural population is Rs. 15 per mensem. On the other hand, the assets of some capitalists have considerably increased. These are no indications of any improvement in our economic situation.

The President's Address mentions :

"The burden of servicing the external debt is mounting and amounts to 514 million dollars this year."

We have been reduced to such a position because of the heavy borrowing by the Government of India.

It has been claimed that there has been a remarkable change in the field of agricultural production on account of the 1967-68 crop. The President's Address also states that the prospects for 1968-69 are also good and that the previous year's performance is likely to be repeated. It cannot be called a progressive trend. Rather it smacks of a **retrograde** trend.

In 1955-56 the then Prime Minister had stated that our country would become self-sufficient in the matter of foodgrains within two years. But at present the situation has emerged when we shall be progressively dependent on the imports of foodgrains and our country will become a dumping ground for the foreign foodgrains.

As regards the Industries, their installed capacity falls far short of the requirements of the country and it is paradoxical that we are not utilizing that capacity to the maximum. The units under the Heavy Engineering Corporation are being run only to 20-25 per cent of the installed capacity.

It has been mentioned in the President's Address that a stream lining of the industrial process would eventually result in stabilising the prices. But at the same time it has also been stated therein that the augmented production of foodgrains would pose the problem of maintaining fair prices. These two propositions run counter to each other. It is true that industrial manufactures are registering a rise in their prices; foodgrain markets are virtually under the control of the capitalists. Therefore, the cultivators are rightly sceptical about their getting reasonable price for their produce. The problem of holding the price line is still staring us in the face.

This Government constantly harps on swadeshi spirit. Swadeshi and Gandhism are the constant refrain of their slogans. But this Government has been less than fair as regards giving encouragement to swadeshi spirit. We have been borrowing colossal sums from foreign countries and we have been paying fabulous amounts annually in the shape of debt service charges which is a constant drain on our economy. By inviting foreign capital, we are as a matter of fact stifling our economy. At least during the Gandhi centenary year Government should have eschewed taking such a step.

The problem of unemployment has become an intractable one and it bids defiance to any solution. Especially, in the rural sector, it has assumed alarming proportions where the figures of unemployed have reached 15 million apart from the semi-employed and under-employed. In the urban sector the number of unemployed has reached 27,40,000. Is it the indicator of our economic advancement?

There is no mention in the Address about the implementation of the land reforms. It seems that the Government has given up those policies now.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 43वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FORTY-THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 43वें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My amendment reads like this :

कि प्रस्ताव में, 'सहमत है' शब्दों से पहले यह जोड़ा जाये :—

"इस रूपभेद के साथ कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में श्री नाथ पाई के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 पर आगे वाद-विवाद स्थगित किया जाये और सरकारी कार्य निपटाने के लिये नियत किसी दिन या दिनों में, जैसा कि अध्यक्ष महोदय सभा के नेता के परामर्श से निश्चित करें, विधेयक को लिया जाये ।

सभा आगे संकल्प करती है कि उपरोक्त विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ कर सकने के लिये यदि किसी नियम को निलम्बित करने की आवश्यकता पड़े तो सभा चर्चा पुनः आरम्भ करने से पहले ऐसा करेगी ।"

This is a very simple amendment there have been occasions in the House of commons also when Government allotted time from its own quota to private members' Bills. The private members' time should not be taken for discussion on this Bill. Many private Members' Bills are pending for a long time for want of time. The Mover of this Bill also agrees with the principle underlying my amendment. So this may be passed unanimously.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम चाहते हैं कि इस विधेयक पर इसी सत्र में विचार हो जाये । इसलिये इसके लिये कोई दिन या समय पहले निर्धारित किया जाना जरूरी है । इसी शर्त पर मैं इस संशोधन का समर्थन कर सकता हूं ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । बेहतर यह होगा कि पखवाड़े में एक बार चर्चा करने की बजाय इसपर लगातार चर्चा हो ताकि लोगों को मालूम हो जाये कि संसद् तथा सदस्य इस बारे में क्या कर रहे हैं । मैं बारीकियों में नहीं जाना चाहता परन्तु मेरी मन्शा यह है कि इस पर लगातार विचार हो और सरकार इसके लिये उचित समय निकाले ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सरकार से निश्चित आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही मैं इस सुझाव का समर्थन कर सकता हूं । काफी समय पहले सरकार ने इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन किया था और विधि मंत्री की पहल पर ही इसे संयुक्त समिति को सौंपा गया था ।

मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों द्वारा इस विधेयक के सिद्धान्तों के विरुद्ध आन्दोलन किया गया है और इसलिये मैं इस बारे में अधिक देरी सहन नहीं कर सकता । मेरी समझ में नहीं आता कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी हम इसके बारे में निर्णय नहीं कर सकते हैं । यदि सरकार ने इस विधेयक के बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है तो उन्हें तुरन्त इस पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करना चाहिये ।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : सरकार इसे एक अन्य प्रवर समिति को सौंपने के बारे में सोच रही है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिये हम सरकार को जल्दबाजी करने के लिये नहीं कहेंगे। फिर भी सरकार को इस मामले की पेचीदगी को समझाना चाहिये और इसे एक के बाद दूसरे सत्र के लिये नहीं टालते रहना चाहिये। सरकार को सत्र की समाप्ति से पूर्व ही इस बारे में अपना निर्णय कर लेना चाहिये।

यदि श्री लिमये के संशोधन से इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को सौंपने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है तो मैं उनके संशोधन का समर्थन करने के लिये तैयार हूं। सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये और इस विधेयक के लिये कोई दिन निश्चित कर देना चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : संसद् अथवा सरकार के शक्ति अपने हाथ में लेने के इस प्रस्ताव पर सभी अल्प-संख्यक समुदायों में रोष है। इसलिये इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपना बहुत जरूरी हो गया है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरी राय में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का सुझाव सभी को मान्य होना चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम): श्री मधु लिमये के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये और सरकार को अपने समय में से कुछ समय इस विधेयक के लिये निर्धारित कर देना चाहिये। इस विधेयक के स्थगित किये जाने के बारे में मुझे कोई अपत्ति नहीं है परन्तु सरकार को यह साफ कर देना चाहिए कि वह इस सत्र में इसपर अवश्य ही विचार करेगी।

श्री गोविन्द मेनन : श्री मधु लिमये ने सुझाव रखा है कि इसपर वाद-विवाद गैर-सरकारी दिन के अलावा किसी अन्य दिन होना चाहिए। इस सुझाव में काफी वजन है क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा के कारण सभी गैर-सरकारी कार्यवाही अवरुद्ध हो रही हैं। लेकिन सरकार की अपनी भी कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि उसके पास भी समय इतना अधिक नहीं है और कार्य-सूची बहुत भारी है। इसलिए ऐसा निःशर्त आश्वासन देना कठिन है कि सरकार इस विधेयक के लिए अपने आवंटित समय में से समय निकालेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो उसे निश्चित रूप से समय निकालना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि लोक-सभा का चालू सत्र 16 मई तक चलेगा। इसलिए सभा अभी यह निर्णय ले ले कि हम और आगे दो दिन अर्थात् 18 मई तक बैठेंगे और इस प्रकार इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए सभा को दो दिन मिल जायेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : मैं सरकार की स्थिति इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि बाद में उसपर आश्वासनों का पालन न करने का आरोप न लगाए जा सकें। सरकारी कार्य निपटाने तक के लिए समय पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक अतिरिक्त दिन की तलाश करनी पड़ेगी। यह जरूरी नहीं है कि वह दिन 17 अथवा 18 मई ही हो। बस कार्य के लिए बीच में कोई शनिवार ढूंढा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्ततोगत्वा यह कार्यमंत्रणा समिति में जायेगा। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसे भी ध्यान में रखा जायेगा। इसलिए क्या इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

श्री गोविन्द मेनन : हम इससे सहमत हैं, लेकिन शर्त यह है कि गैर-सरकारी दिन किसी शनिवार को निश्चित किया जाए जब कि इसे उस दिन के लिए सभा के कार्य के रूप में लिया जा सके।

श्री नाथपाई (राजापुर) : आश्वासन स्पष्ट होना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : मैं अपना प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव प्रतिवेदन के स्वीकार हो जाने के बाद आयेगा। आपका प्रस्ताव स्वतंत्र है। और इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक संशोधन है, संशोधन श्री मधु लिमये का है। मैं अब इस संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

add at the end of the motion :

"with the modification that further debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1967 by Shri Nath Pai, as reported by Joint Committee, be adjourned and the Bill be taken up on a day or days allotted for the transaction of Government Business as the Speaker may, in consultation with the leader of the House, decide.

The House further resolves that if any Rules need to be suspended to enable resumption of the discussion on the aforesaid Bill, the House shall proceed to do so before such resumption."

कि प्रस्ताव में, 'सहमत है' शब्दों से पहले यह जोड़ा जाये :—

"इस रूपभेद के साथ कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में श्री नाथपाई के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 पर आगे वाद-विवाद स्थगित किया जाये और सरकारी कार्य निपटाने के लिये नियत किसी दिन या दिनों में, जैसा कि अध्यक्ष महोदय सभा के नेता के परामर्श से निश्चित करें, विधेयक को लिया जाये।

सभा आगे संकल्प करती है कि उपरोक्त विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ कर सकने के लिये यदि किसी नियम को निलम्बित करने की आवश्यकता पड़े तो सभा चर्चा पुनः आरम्भ करने से पहले ऐसा करेगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

"That this House do agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 20th February, 1968, as amended."

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 20 फरवरी, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, संशोधित रूप में सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

नई धारा 121-ख का रखा जाना

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1960 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1960 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आयकर (संशोधन) विधेयक
INCOME TAX (AMENDMENT) BILL

धारा 80-ग का संशोधन

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक
PUBLIC UNDERTAKINGS (COMPULSORY APPROVAL OF AGREEMENTS) BILL

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये करारों की किसी केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा अनिवार्य जांच और अनुमोदन किये जाने तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये करारों की किसी केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा अनिवार्य जांच और अनुमोदन किये जाने तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक

GOLD (CONTROL) AMENDMENT BILL

धारा 16, 27 आदि का संशोधन

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

आठवीं सूची का संशोधन

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 240 तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम
FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

धारा 34 का प्रतिस्थापन

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री चं० चु० देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना) विधेयक

CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS PARTICIPATION) BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute students' unions and to provide for their representation in Central Universities bodies.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्यार्थियों के संघ गठित करने तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

नई धारा 12 क आदि का रखा जाना

Shri Madhu Limaye : I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the University Grants Commission Act, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

धारा 62 का संशोधन

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati: I introduce the Bill.

धर्म ग्रहण विधेयक
ADOPTION OF RELIGION BILL

Shri Maharaj Singh Bharati: I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for declaration of religion by a person on attaining mojority.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी व्यक्ति द्वारा वयस्क हो जाने पर अपने धर्म की घोषणा करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन

श्री चं० चु० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक साधारण विधेयक है । इसका सम्बन्ध राज्य सभा तथा विधान परिषदों के लिये नामांकन के अधिकार से है । अनुच्छेद 80 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को राज्य सभा के लिये 12 व्यक्ति मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है । इसी प्रकार द्विसदनीय विधान मण्डल वाले राज्यों में विधान परिषदों के लिए मनोनीत करने के बारे में भी ऐसा ही उपबन्ध है । ऐसा महसूस किया गया है कि इस शक्ति के प्रयोग के कारण पक्षपात तथा दलबन्दी के आरोप लगाये जा सकते हैं । हमारा पिछले बीस सालों का अनुभव यही बताता है कि इस अधिकार का सभी मामलों में समुचित प्रयोग नहीं हुआ है । ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति का नामनिर्देशन का अधिकार सरकार की ओर से एक राजनैतिक कदाचार का मामला बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं अपितु मंत्रिपरिषद की जिसका मतलब है प्रधान मंत्री की सलाह पर नामनिर्देशन

करते हैं। मतलब यह है कि इस उपबन्ध के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इस विशेष उपबन्ध का दुरुपयोग किया जाता है और अब इसका प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

वास्तविकता यह है कि यदि आप प्रत्येक नामनिर्देशन को देखें, तो मुश्किल से ही ऐसा कोई मामला नजर आयेगा जहां इस उपबन्ध के अनुकूल कार्यवाही की गई हो जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशन की शक्ति का प्रयोग उन लोगों को संसद में स्थान देने के लिए किया जायेगा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा का व्यावहारिक अनुभव अथवा विशेष ज्ञान हो।

नामनिर्देशन की इस शक्ति का प्रयोग केवल केन्द्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी होता है जिसका प्रयोग वहां राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम इस मामले में राज्यों की ओर देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वहां तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इसका ज्वलन्त उदाहरण वर्ष 1967 में बिहार में मिलता है। जहां संसद के एक सदस्य को वहां के विधान मण्डल का नेता चुनवाकर उसे राज्य का मुख्य मंत्री बनाया गया था। यह कैसे सम्भव हुआ ? इसके लिए समुचित योजना बनायी गई और राजनैतिक हेरा-फेरी करके उसे क्रियान्वित किया गया। तात्पर्य यह है कि इस अधिकार का केवल केन्द्र में हीं नहीं अपितु अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्यों में भी भारी दुरुपयोग किया जा रहा है और हम यह भी देखते हैं कि इस अधिकार का विशेषत: राज्यों में कहां तक दुरुपयोग किया जा सकता है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

इस समय भिन्न-भिन्न राज्यों तथा केन्द्र में विभिन्न दल सत्तारूढ़ हैं जिनमें से कुछ ऐसे भी दल हैं जो किसी तरह अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं और विधानमंडल में अपनी शक्ति तथा स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि नामनिर्देशन सिद्धान्त के आधार पर है अथवा नहीं या मनोनीत व्यक्ति उसके उपयुक्त है अथवा नहीं। उन्हें तो केवल सत्ता बटोरने तथा अपनी स्थिति मजबूत करने की चिन्ता है। यही आज नामनिर्देशन का मार्गदर्शी सिद्धान्त बना है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें चुनावों तथा नामनिर्देशन दोनों के ही सिद्धान्तों पर नहीं बल्कि एक ही सिद्धान्त पर—वह चुनावों के सिद्धान्त पर चलना चाहिए। जब नामनिर्देशन के सिद्धान्त का अनुकरण तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती ही नहीं हैं, बल्कि उनकी आड़ में अपने राजनैतिक तथा दलगत स्वार्थों की पूर्ति की जाती है, तो फिर लकीर पीटने का क्या लाभ है—उससे देश का राजनैतिक वातावरण और भी अधिक दूषित होता है। इसलिये हमें इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए ताकि उसके दुरुपयोग के बुरे परिणामों को रोका जा सके।

राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कराने के नाम पर जो व्यक्ति मनोनीत किये गये हैं, वास्तव में वे इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते

क्योंकि वे भारत की प्राचीन परम्परा के गौरव को प्रतिबिम्बित करने योग्य नहीं हैं ; वे सदस्य केवल कांग्रेस सरकार के संरक्षण देने के सिद्धान्त के अन्तर्गत मनोनीत हुए हैं। आज केन्द्र जिस नीति पर चलता है कल राज्य सरकारें भी उसी नीति का अनुसरण करेंगी। अतः मनोनीत करने का यह अधिकार अथवा सिद्धान्त समाप्त किया जाना चाहिए।

अतः राज्य सभा के सम्बन्ध में, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करने वाला खण्ड (3) समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्यों के बारे में, अनुच्छेद 171 का खण्ड (5) भी समाप्त कर दिया जाये।

दूसरे शब्दों में, मनोनीत करने का सिद्धान्त ही नहीं रहना चाहिए।

अतः इस विधेयक को स्वीकार करने के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं।

---

*माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न-काल के दौरान कहे गये कुछ शब्दों का वापस लिया जाना

WITHDRAWAL BY MEMBER OF CERTAIN REMARKS MADE BY HIM DURING QUESTION HOUR

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रातः काल कार्यवाही को पढ़ा है। श्री मधोक इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैंने भी प्रातः काल की कार्यवाही को पढ़ा है तथा उसके दौरान मैंने एक सामान्य प्रकार की टिप्पणी की थी। परन्तु मैं देखता हूं कि यह कोई विशिष्ट रूप से कहे गये शब्द हैं। मैं किसी संसत्सदस्य को देशद्रोही नहीं कहना चाहता। अतः मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

अनुच्छेद 80 और 171 में संशोधन

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : माननीय मित्र श्री चं० चु० देसाई द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के इन अनुच्छेदों का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। परन्तु फिर भी मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन नहीं करता। स्वयं श्री देसाई ने ही इस तथ्य के बारे में कहा है कि कुछ क्षेत्रों का जिन्हें परिषद अथवा राज्य सभा के आने के लिए पर्याप्त मत प्राप्त नहीं हो पाते प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे मेरे राज्य मद्रास की विधान सभा में, मनोनीत करने के नियमों के बिना आंगल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना कठिन है। राज्य सभा के बारे में, मैं चाहूंगा कि इस अनुच्छेद में सुधार करके सरकार को बाध्य किया जाये कि वह इसका दुरुपयोग किये बिना इसका प्रयोग करें।

---

*कृपया पृष्ठ संख्या 11 देखिये।

दुर्भाग्य से संविधान के वास्तविक अनुच्छेद तो केवल लिखित रूप में ही रहते हैं। वास्तव में नामांकन तो केवल उन्हीं असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का होता है जिन्हें शासक दल अपने साथ रखना चाहता है। इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतों और जिला परिषदों के लिये भी हमने ऐसे अधिकार दे रखे हैं ताकि प्रशासन सुचारु रूप से चलाया जा सके। परन्तु देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में, हमें इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है कि कई राज्यों में जहां की विधान सभाओं में शासक दल तथा विपक्ष के बहुमत में केवल एक-दो मतों का अन्तर है वहां इस प्रकार अपने दल के राजनैतिक व्यक्तियों को मनोनीत करके बहुमत बनाना प्रजातंत्रवाद को गहरा आघात पहुंचाना है। अतःऐसी स्थिति में बड़ा गम्भीर मामला खड़ा हो जाता है और इस बारे में सरकार को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। श्री देसाई का विधेयक यद्यपि सरकार को स्वीकार नहीं होगा, परन्तु फिर भी यह सरकार को स्थिति पर पुर्नविचार करने की प्रेरणा अवश्य देगा। इससे हमारे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।

एक और बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मनोनीत करने की प्रथा लोकतंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। वैसे हम इस पर यों भी आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की एक धरोहर है। परन्तु मेरा अपना विचार यह है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें कुछ लोगों के लिये स्थान बनाना होगा। निकट भविष्य में हम इससे नहीं बच सकते।

अतः सरकार को चाहिये कि वह इस सारे विषय पर सावधानी से विचार करे तथा इस व्यवस्था को इस प्रकार दोषमुक्त बनाये कि राज्य सभा तथा राज्यों की परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने हेतु संविधान में निहित भावना का दुरुपयोग न हो।

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना को वापस लेना
WITHDRAWAL OF NOTICE OF PRIVILEGE MOTION

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : प्रातःकाल की कार्यवाही के दौरान श्री बलराज मधोक ने जो शब्द मेरे विरुद्ध कहे थे उनसे मुझे इतना कष्ट पहुंचा कि मुझे उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करना पड़ा। परन्तु अब क्योंकि उन्होंने अपने शब्द बिना शर्त वापस ले लिये हैं; अतः मैं भी अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The spirit behind the provision of nomination under article 80 was to bring in such learned people in the Rajya Sabha and Councils of States as are experts in the field of literature, arts, science or social service and who cannot come, or do not desire to come in these Houses through elections. The purpose was to have such people in these Houses and take advantage of their ability and experiences. Although any sort of nomination is certainly detrimental to the spirit of democracy. But under the present circumstances in our country, the provision of such nominations is very necessary also. However, I

agree with Shri Desai that this provision in the constitution has been very much misused. It has now been made a source of favour and patronage. There are many instances to prove it. In Bihar also all efforts were made to uproot the non-Congress Government. The discretion of the Governor was not just and it was rather a blot on the institution of a Governor. This all happened with connivance of the Central Government.

But still, I am very sorry that I cannot support Shri Desai's motion. There cannot be any doubt that these provisions of the Constitution have been misused but the spirit and background on which these two provisions are based, are not at all wrong. We should, therefore, ask the Government to establish healthy conventions and put some curbs and restrictions to stop this misuse. For example, a nominated Member should not be permitted to become a Chief Minister or Prime Minister or a Minister. Nomination should be done only in the case of a literary man or social worker.

This ideal principle should be adhered to by all parties, particularly when there is a very little difference between the majority and minority.

Secondly, no such person should be nominated who is not either a literary man or a social worker in true sense. It is not so easy to achieve until we give up the greed for the post.

With these words, I oppose the Bill.

अध्यक्ष महोदय : श्री राम मूर्ति ?

श्री राम मूर्ति : मैं तो केवल कोरम का प्रश्न उठाना चाहता था। इस समय सभा में कोरम नहीं है।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है।.....अब कोरम पूरा हो गया है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I strongly oppose the Bill moved by Shri Desai in this House. Shri Kanwar Lal Gupta is only partially right. I think the quota of nominated members should be doubled at least. This should include the best brains and generals of our army, navy and air force also. I recommend this sort of amendment for this article.

I donot agree with the proposition of nominating the people who are defeated in the elections. They should not be made Ministers also. But this is being done in the Punjab Government. A defeated candidate Shri Bari has been made a Minister in the Punjab Government. Is it a good precedent put by the Akalis and Jan Sanghis ? These parties have no principles at all. Defeated persons should not be nominated to the Councils of States or to Rajya Sabha.

By nominating Shri Pirthvi Raj Kapoor and Shri Bachhan, the President has not only honoured these people but also the Houses to which they have been nominated. We have many good brains in our country but they are not the least desirous of contesting any elections just in order to join the Houses. Such people should always be nominated and their skill and brains are put to country's benefit.

I wonder how a very able and experienced man like Shri Desai thought of such a wrong proposition. I would have been very happy had he recommended the names of some very good brains in the field of art, science, literature or social work, for nomination. I suggest that the nomination of political people who are desirous to meet the ruling party's political interests, should be discouraged as much as possible and only the able and learned persons who are able to guide the country in different fields of our development should be nominated.

Shri Kanwar Lal Gupta has passed certain remarks against Shri Pratap Singh Kairon. He was the best brain among farmers. Persons like Shri Pratap Singh Kairon are very rare. He served the rural areas and helped the farmers. He was a good statesman, brave and experienced ; and he used to nominate very able persons. He helped the sufferers and handicapped. He was really one of the best brains of our country. It is not fair to insult him after his death.

I may perhaps agree if some one says that the Legislative Councils are a burden on the country's budget ; and the Government in those States may propose any action in this regard. But so long the Councils are there, they should have very able, learned and experienced people who may act as a light house to the Government there.

I want that the mover may kindly withdraw his motion. Otherwise the House may reject it forthwith since the motion has got no sound standing.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : यद्यपि यह प्रस्ताव स्वतंत्र दल के एक सदस्य ने पेश किया है परन्तु मैं इसको अपना पूरा समर्थन देता हूं ।

हमारा संसद सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है । माना कि इसमें बहुत उच्चकोटि के वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार आदि होने चाहिये; परन्तु जब सरकार के किसी विभाग को चलाने का काम आता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति विज्ञान, कला अथवा साहित्य आदि में पारंगत हो । सम्भव है एक कवि अथवा साहित्यकार एक अच्छा राजनीतिज्ञ अथवा प्रशासक न हो और इसके साथ ही इस प्रकार के जो व्यक्ति मनोनीत किये जाते हैं उनके बारे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह निश्चय करे कि वास्तव में ही वे लोग किसी कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रवीण हैं ? हमारा अनुभव तो यही रहा है कि शासक दल कांग्रेस केवल अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति हेतु ही अपनी पसन्द के व्यक्तियों को मनोनीत करता आया है । तथा इस सम्बन्ध यह भी कैसे विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा ?

वर्ष 1952 में कांग्रेस को मद्रास में करारी हार मिली । 375 के सदन में उन्हें केवल 156 स्थान मिले । कामराज जी स्थिति को नहीं सम्भाल सकते थे । अतः इस अनुच्छेद का सहारा लेकर श्री राजगोपालाचारी को मनोनीत किया गया । वह किसी साहित्य अथवा कला आदि के हेतु तो मनोनोत नहीं किये गये थे । मैंने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में भी याचिका दी थी परन्तु उसका भी परिणाम ठीक नहीं निकला । यह सब कुछ कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि वर्ष 1952 में राज्यपाल ने श्री राजगोपालाचारी को केवल कांग्रेस के राजनैतिक लाभ के लिये ही मनोनीत किया था ।

केरल में वर्ष 1953 के दौरान क्या हुआ ? मैं केवल यह प्रमाणित करने के लिये उदाहरण दे रहा हूं कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 127 के सदन में हमें 65 स्थान मिले तथा कांग्रेस और अन्य दलों को कुल मिलाकर केवल 62 स्थान मिले। परन्तु मंत्रिमंडल के गठन से पूर्व ही राज्यपाल ने आंग्ल भारतीयों के समुदाय से दो सदस्य मनोनीत कर दिये ताकि कांग्रेस को सहायता मिल सके। यह केवल हमारे उस मामूली से बहुमत को समाप्त करने के लिये किया गया था।

जिन कलाकारों और वैज्ञानिकों आदि की सार्वजनिक कार्यों में रुचि होती है और वे चुनाव लड़ते हैं वे अवश्य ही चुन लिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्री एम० जी० रामचन्द्रण जो एक कलाकार हैं और जो सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं जब वे चुनाव लड़े तो उन्हें बहुमत से चुन लिया गया था। इसलिये ऐसे लोगों को नामजद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु जब एक बार नामजदगी के सिद्धांत को मान लिया जाता है तो नामजद व्यक्ति अपनी नामजदगी के लिये सरकार के प्रति अपने को हमेशा आभारी समझता है। इसलिये उससे यह आशा करना बेकार है कि वह सभा के सामने आने वाली समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय देगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हम लोगों की सार्वभौमिकता पर चुनाव सम्बन्धी सिद्धांतों के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिये लोगों की सार्वभौमिकता का पूरा सम्मान और आदर किया जाना चाहिये। यह देखना लोगों का काम है कि संसद् में उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। यह निर्णय करना और किसी का काम नहीं है। इसलिये मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री देसाई ने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें नाम-निर्देशन की शक्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : मैं श्री देसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं। हमने गत पंद्रह वर्षों से यह अनुभव किया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 (2) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का काफी हद तक दुरुपयोग किया गया है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई उदाहरण दिये हैं। एक उदाहरण हमारे देश के उस वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ का दिया गया है जिसे मद्रास में कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व करने के लिये 1952 में मनोनीत किया गया था। इस सम्बन्ध में मैं भी एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। 1962 में श्री निजलिंगप्पा आम चुनाव में हार गये थे। तब उनके स्थान पर जिस व्यक्ति को राज्य विधान सभा में चुना गया था उसे वह स्थान खाली करने के लिये कहा गया था ताकि श्री निजलिंगप्पा को विधान सभा में लिया जाये। परन्तु उस सदस्य के साथ यह समझौता कर लिया गया था कि जब वह विधान सभा की सदस्यता छोड़ देगा तब उसे राज्य विधान परिषद् का सदस्य नामजद कर दिया जायेगा। इस तरह से विधान सभा

की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने और उस स्थान के खाली हो जाने के एक महीने बाद उन्हें नामजद कर दिया गया था। तब हमने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन-पत्र भेजा था और कहा था कि इस प्रकार से संविधान को दूषित किया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें संविधान के सम्बन्धों के इस प्रकार के दुरुपयोग को समाप्त करना ही होगा। अतः यदि संविधान में संशोधन करके यह प्राधिकार छीन लिया जाये तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अतः मैं श्री चं० चु० देसाई के विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार को इस विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार करने और संविधान में संशोधन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

Shri Sheo Narain (Basti): Mr. Deputy-Speaker, Sir. I believe in democracy. The meaning of democratic set-up is "A Government by the people, for the people and of the people." We are the representatives of the people who have given us the votes according to their rights conferred on them by the constitution.

We see that a sum of Rupees one crore and fifty lakhs is spent on Rajya Sabha which I feel is an unnecessary burden on the exchequer of our country. That is why I feel that not only Rajya Sabha but all the upper Houses should be abolished because they are unnecessary burden on our exchequer. I therefore want that a full-fledged Bill should be brought in that connection.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): As far as the underlying idea of the Bill is concerned I support it. Although the principle to nominate Scientists and literate persons in these bodies is not wrong but Congressmen have misutilised this provision. Shri Sheo Narain has rightly said that the Congress has nominated the members of its party in these bodies most of whom were either very old persons or very weak. They were nominated in order to please the party. That is why we want that the system of nomination should be put an end to and all the members of these bodies should be elected.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में है परन्तु खेद की बात तो यह है कि इसके लिये हमें पूर्व सूचना नहीं मिली है। इसलिये हम राज्य सभा के इतिहास और नाम-निर्देशन के इस विशिष्ट प्रावधान के बारे में अच्छी तरह से विचार नहीं कर सके हैं। तथापि मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि नाम-निर्देशन के सिद्धांत से संविधान दूषित होता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सभा ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का एक प्रतिरूप है।

मेरी दूसरी बात यह है कि राज्य सभा सम्भवतया राज्यों के माध्यम से आने वाले देश के वरिष्ठ व्यक्तियों की एक सभा है। राज्य सभा इस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिये नहीं बनाई गई थी जिस प्रकार के लोग इस सभा में प्रत्यक्ष चुनाओं के माध्यम से आते हैं। इस प्रकार की सभा में कोई नहीं कहेगा कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवाओं को स्थान नहीं मिलना चाहिये। हम चाहते हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवायें वहां पर न केवल हों ही बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया जाये। इसलिये मैं

इस बात से सहमत नहीं हूं कि नाम-निर्देशन की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि इससे तो इस सभा का न केवल महत्व ही कम हो जायेगा बल्कि हमारे जीवन के इन चार भागों को बहुत ठेस पहुंचेगी।

तीसरे, मैं चाहता हूं कि हमें यह विचार करना चाहिये कि राज्य सभा से लोकतंत्र पर कैसे कुप्रभाव पड़ता हैं क्योंकि इस सदन की तो शक्तियां ही सीमित हैं।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि असंतुष्ट और निराश राजनीतिज्ञों को संतुष्ट करने के लिये नाम-निर्देशन का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु इस काम के लिये केवल यह ही मंच नहीं है। राज्यपालों को भी इसी प्रकार नियुक्त किया जा सकता है। वेसे ही समितियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन संस्थाओं को भी समाप्त करने का हमारा उद्देश्य है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे उदाहरण दिये गये हैं कि मनोनीत व्यक्ति कानून के अनुसार भी अर्ह नहीं थे। परन्तु हमें यह देखना चाहिये कि ऐसी बात क्यों हुई है। हमें तो यह देखना चाहिये कि संविधान में क्या समुचित संशोधन किया जा सकता है ताकि विगत काल में हुई गलतियों को फिर से न करते हुये उन चारों विषयों का प्रतिनिधित्व रखा जा सके। अतः एक बात तो यह है कि संविधान में संशोधन किया जाये तथा दूसरी बात यह है कि सरकार एक संकल्प पारित करे कि उन व्यक्तियों का चयन एक विशेष ढंग से किया जाये ताकि लोगों की यह आशंका दूर की जा सके कि जो चुनाव वर्तमान उपबन्धों के अधीन किये गये हैं वे असंतोषजनक रहे हैं। यदि सरकार यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि वह यहां और राज्यों में समुचित रूप से चयन करने के लिये कोई योजना बना सकती है तब तो मैं श्री देसाई को यह कहने के लिये तैयार हूं कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें अन्यथा हम सबके लिये सिवाये विधेयक का समर्थन करने के और कोई चारा नहीं है।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharaj Gunj): Sir, I want to bring this thing to the kind notice of this House that in Rajya Sabha there are 238 representatives of the States and 12 Members are nominated in that House. I also want to bring this thing to its notice that generally such persons are nominated who have special knowledge or practical experience of literature, Science, art and social services. Any and every body cannot be nominated there. In regard to the appointments made so far most of the people were satisfied. There may be difference of opinion in regard to the nomination of any person but there cannot be two opinions that he represents a special branch of science.

Secondly, the percentage of nominated persons is very low and apart from it the voting is not going to be effected thereby because the final decision is taken in this House. Therefore I am of the opinion that this system should remain as it is and no amendment should be made in the existing system.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि श्री देसाई ने संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 में संशोधन करने के बारे में यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक

राज्य सभा तथा राज्यों के ऊपरी सदनों में सदस्यों को नामजद करने के बारे में है। हमारे 20 वर्षों के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि हम न तो राज्यों में और न ही केन्द्र में एक अच्छी प्रथा स्थापित कर सके हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार सर्वत्र व्यापक हैं। प्रधान मंत्री से लेकर राज्य के विधेयक तक हम सभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के लिये वचनबद्ध हैं। हमने जनता में विश्वास रखा है और हमें जनता के निर्णय का सम्मान करना है। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नाम-निर्देशन की प्रणाली से राजनैतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। हमने विगत काल में देखा है कि कभी-कभी द्वितीय सदन में कुछ अनुचित व्यक्ति नामजद किये गये हैं। कांग्रेसी सरकार के राजनैतिक भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुये राज्य सभा और राज्यों के द्वितीय सदनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री देसाई का संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि संविधान में संशोधन करने वाले प्रत्येक विधेयक का अपना बहुत महत्व होता है। परन्तु ऐसा मालूम हो रहा है कि इस सभा के अधिकांश सदस्य, यहां तक कि श्री देसाई के अपने दल के सदस्य भी, इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। हमें यह देखना चाहिये कि आखिर इसका कारण क्या है। संविधान में नामजदगी के सम्बन्ध में केवल चार अनुच्छेद हैं। उनमें से दो अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 331 और 334 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नामजदगी के बारे में हैं। चूंकि श्री देसाई का विधेयक उन मामलों के बारे में नहीं है इसलिये मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों की नामजदगी के बारे में व्यवस्था की गई है इस मामले पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर ऐसा मालूम देता है कि नाम-निर्देशन सम्बन्धी सभी मामलों में संरक्षण देने की झलक दिखाई देती है। यदि राज्य सभा के लिये मनोनीत किये गये बारह के बारह सदस्य निश्चित रूप से इन्हीं श्रेणियों में आते हों, जिनका संविधान में उल्लेख है तो भी इस मामले में संरक्षण देने की गुंजाइश बनी रहेगी चाहे मनोनीत करने वाला अधिकारी कोई भी हो।

जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है हमने उस सभा के ढांचे को आयरलैण्ड गणराज्य के ढांचे के अनुरूप ही बनाया है। 250 सदस्यों के सदन में केवल 12 व्यक्तियों को, जो 4 से 5 प्रतिशत के बीच बैठते हैं, मनोनीत करना एक ऐसी व्यवस्था है जो आयरलैण्ड के संविधान से की गई है। यदि हम इस प्रश्न पर ध्यान से विचार करें तो पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को अब तक मनोनीत किया गया है वे लोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सम्मानित और योग्य व्यक्ति रहे हैं। इस-लिये मेरा निवेदन यह है कि यदि हम द्विनीय सदन में इस प्रकार के लोगों को रखना चाहें तो यह व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है।

यदि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये तो यह मालूम हो जायेगा कि सम्पूर्ण राज्य सभा ही आश्रय का परिणाम है। उस सभा में सभी सदस्य एक ऐसे निर्वाचन मण्डल द्वारा चुने जाते हैं जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का बना होता है। इसलिये प्रत्येक

राजनीतिक दल विधान सभा में अपनी शक्ति पर विचार करता है और कुछ व्यक्तियों को आश्रय देता है।

जहां तक विधान परिषदों का सम्बन्ध है संविधान के अनुच्छेद 169 में एक उपबन्ध है कि विधान सभा निश्चित बहुमत से एक संकल्प पारित करके विधान परिषद् को समाप्त कर सकती है। परन्तु ऐसा कभी नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल की विधान सभा पश्चिम बंगाल की विधान परिषद् को समाप्त करने के लिये संकल्प पारित करेगी। मैं समझता हूं कि वह कभी नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ मुख्य मंत्रियों ने तो मुझे लिखकर भेजा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि उनके राज्यों में विधान परिषदों की सदस्यता बढ़ाई जाये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां कहीं नाम-निर्देशन की व्यवस्था होती है वहां पर आश्रय के मामले अवश्य होंगे। आखिरकार यह द्वितीय सदन है और वहां पर सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति से सदन की गरिमा बढ़ती है। यह एक ऐसी संस्था है जिसका काम पुनर्विचार करना होता है। हमने देखा है कि उस सभा के कुछ सदस्यों ने तो वाद-विवाद में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। आप श्री कौल को ले लीजिये जो लोक सभा के सचिव थे। वह वहां पर वाद-विवाद में बहुत योगदान देते हैं क्योंकि उन्हें विधान सम्बन्धी विज्ञान के बारे में बहुत अनुभव है।

मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि मानवीय संस्थाओं में गलतियां नहीं हो सकतीं। यदि एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है तो पूछा जाता है कि दूसरे को क्यों नहीं चुना गया। इसलिये आश्रय का प्रश्न हमेशा ही उठाया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि द्वितीय सदन में, जो वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन होता है, 250 व्यक्तियों में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या गृह-कार्य मंत्री की सलाह से चुन लिया जाता है और इसलिये उसमें आश्रय देने का आभास मिलता है तो यह एक ऐसी बात नहीं है जिसका उल्लेख किया जाये। उदाहरण के तौर पर श्री राममूर्ति ने 1952 में श्री राजगोपालाचारी के मनोनीत किये जाने का उल्लेख किया था। ऐसे मामले अपवाद-स्वरूप हैं जो गलत अथवा ठीक भी हो सकते हैं। परन्तु इसके लिये यह कोई कारण नहीं है जिससे मनोनीत करने के अधिकार का विरोध किया जाये।

मैं यह बात स्पष्टतौर से बता देना चाहता हूं कि संविधान के इन उपबन्धों में सरकार का कोई निहित स्वार्थ नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये उपबन्ध संविधान सभा ने बहुत सोच-समझकर बनाये हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब तक यह उपबन्ध देश की शासन व्यवस्था के लिये हानिकारक सिद्ध नहीं होते तब तक उन्हें कायम रहने दिया जाना चाहिये और यदि इस मामले में कुछ आश्रय भी दिया जाता है तो भी उस पर आपत्ति उठाने की कोई बात नहीं है। इसलिये मैं श्री चं० चु० देसाई से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस विधेयक को वापिस लें।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि विगत काल में नाम-निर्देशन सम्बन्धी अधिकार का दुरुपयोग किया गया है । उन्होंने केवल यही कहा है कि कुछ एक मामलों में ऐसा हो भी सकता है । परन्तु सच्चाई तो यह है कि नाम-निर्देशन के प्रत्येक मामले को देखने से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में संविधान में उल्लिखित सिद्धान्तों का पालन नहीं बल्कि उल्लंघन अधिक हुआ है । मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं परन्तु यह मेरा उद्देश्य नहीं है । मेरा उद्देश्य तो यह बता देना है कि नाम-निर्देशन का यह सिद्धान्त चुनाव के सिद्धान्त के प्रतिकूल है । हमारी प्रभुसत्ता चुनाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर आधारित है । इसलिये नाम-निर्देशन से चुनाव सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है । दूसरे हमने यह अनुभव किया है कि नाम-निर्देशन के उद्देश्य को ही विफल कर दिया गया है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 24 फरवरी, 1969/4 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 24, 1969/Phalguna 4, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 21-5-69—600